विन्ध्य सम्भाग की बुनियादी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा सन १९५२ से सन १९६१ तक ग्रामपुनर्निर्माण में योगदान हेतु आयोजित कार्य-क्रमों का एक समालोचनात्मक अध्ययन

सागर विश्वविद्यालय की एम. एड- उपाधि परीक्षा सन १९६२
की आंशिक पूर्ति हेतु प्रस्तुत
शोधकार्य-प्रबन्ध

निर्देशक
श्री जी० वाई० तन्खीवाले
एम. एस सी., बी. टी
प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर बुनि० प्रशि० महाविद्यालय
रीवा [म० प्र०]

प्रस्तुत कर्ता
प्रेमनारायण रूसिया
एम. ए., एल. टी., बेसिक ट्रेंड
प्राध्यापक
राजकीय बु० शि० प्र० महाविद्यालय
कुण्डेश्वर (टीकमगढ़)


स्वास्थ्य तथा हाईजीन
सांस्कृतिक उत्थान
और शिक्षा
सामाजिक उत्थान
आर्थिक उत्थान
निर्माण कार्य
बुनियादी शिक्षा

आमुख

प्रस्तुत प्रबन्ध में " विन्ध्य संभाग की बुनियादी शिक्षण एवम् प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा सन् १९५२ से सन् १९६१ तक ग्राम पुनर्निर्माण में योगदान हेतु आयोजित कार्यक्रमों का एक समालोचनात्मक अध्ययन " उपस्थित किया गया है । समाज की प्रगति में बुनियादी शिक्षा सिद्धान्तों की सार्वभौम उपयोगिता विद्यमान है, और उसी के द्वारा कोटि कोटि ग्राम वासी भारतीय जन समूह की धीर किन्तु स्वस्थ प्रगति होना सम्भव है । बापू के इस कथन से शायद ही किसी का मतभेद हो :-

" गांवों के पुनर्निर्माण से ही सच्चे स्वराज की स्थापना होगी, अन्य सब प्रयत्न निरर्थक सिद्ध होंगे । अगर गांव नष्ट हो गये तो हिन्दुस्तान भी नष्ट हो जायगा । वह हिन्दुस्तान ही नहीं रह जायगा । दुनियां में उसका मिशन ही खतम हो जायगा ।"

इस उद्देश्य की पूर्ति में बुनियादी शिक्षा का स्थान असंदिग्ध रूप से महत्वपूर्ण है । स्वयं बापू ने बुनियादी शिक्षा की योजना उपस्थित करते हुये कामना की थी कि बुनियादी शिक्षण संस्थायें समाज का नवनिर्माण करके उसका जीवन केन्द्र बनें ।

वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार तथा भूतपूर्व विन्ध्य प्रदेश सरकार ने ग्राम पुनर्निर्माण के कार्य को बुनियादी शिक्षा का एक अभिन्न अंग माना है । इस संभाग में सन् १९५२ से बुनियादी शिक्षण एवम् प्रशिक्षण संस्थाओं के अत्याधिक विस्तार के साथ साथ ग्राम पुनर्निर्माण के कार्यक्रम का विस्तार हुआ है । बुनियादी शिक्षा संस्थायें दीर्घ काल से ग्राम पुनर्निर्माण हेतु अपनी अपनी शक्ति और साधनों के अनुसार प्रयत्न शील हैं । यह उचित अवसर है जबकि इन संस्थाओं द्वारा ग्रामीण समस्याओं के समाधान हेतु अनुष्ठित किये जाने वाले कार्य क्रमों और उससे प्राप्त निष्कर्षों का अध्ययन प्रारम्भ किया जाय ।

इसी आधार पर प्रस्तुत शोध के लिये उक्त अध्ययन को प्रबन्ध का विषय चुना गया है। विवरणों के सर्वांगपूर्ण एवम् सघन आलोचन की दृष्टि से उक्त अध्ययन का क्षेत्र विन्ध्य संभाग तक ही सीमित रक्खा गया है।

उपलब्ध साधनों का उपयोग इस प्रबन्ध में कैसा बन पड़ा है यह निर्णय विवेचकों के आधीन है। इतना अवश्य कथ्य है कि अध्येताने अपनी सीमित शक्ति, साधन और समय में भी इस शोधन कार्य को वास्तविकता तक पहुंचाने का प्रयास किया है।

इस प्रबन्ध लेखन का कार्य गुरुजनों एवम् गुरुकल्प उदाराशय मित्रों के सहयोग एवम् शुभानुध्यान से सम्पन्न हुआ है। उन सभी के प्रति अपनी विनम्र, निर्व्याज कृतज्ञता प्रकट करना मेरा परम कर्त्तव्य है। प्रथमत: अपने इस शोधकार्य के निर्देशक श्री जी० वाई० तनखीवाले, एम०एस०सी० बी०टी० प्राचार्य, स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय रीवा, के प्रति आन्तरिक आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने अपनी अनवरत व्यस्तता में भी इस कार्य को सफलता पूर्वक सम्पादन के लिये अपने अमूल्य स्नेहपूर्ण एवम् अवसरोचित निर्देशों के व्दारा सदैव मेरा उत्साह वर्धन तथा मार्ग दर्शन किया है। श्री बी०एल० शर्मा तथा श्री हरिश्चन्द्र जी भट्ट, प्राध्यापक स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय रीवा के सारगर्भित सुझावों ने मेरे मार्ग को सुगम और सुखद बनाया है। उनका मैं हृदय से आभारी हूं।

प्रान्तीय प्रशिक्षण महा विद्यालय जबल पुर के प्राचार्य डा० श्री आत्मानन्द जी मिश्र ने कृपा पूर्वक समय समय पर मुझे जो अपने उदार स्नेह और सहयोग का संम्बल दिया है उससे आत्म विश्वास को बल मिला है अत: उनके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं।

मैं उन समस्त प्रधानाध्यापकों, प्राचार्यो, जिला-विधालय निरीक्षकों तथा ग्राम वासियों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस शोधकार्य को पूर्ण करने में अपना अमूल्य समय एवं सहयोग प्रदान किया है । वे समस्त लेखक वशिक्षा शास्त्री भी मेरी श्रद्धा के पात्र हैं जिनके साहित्य से मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है ।

अन्त में उन समस्त विचारकों एवं मित्रों का धन्यवाद करता हूं जिनसे किसी भी रूप में मैं उपकृत हुआ हूं ।

प्रेमनारायण रूसिया

प्रेम नारायण रूसिया

डा. [illegible]

अनुक्रमणिका

परिशिष्ट - सूची

-:000:-

ग्राफ, बार ग्राफ तथा दृष्टान्तचित्र की सूची

तालिका - सूची

पृष्ठ

प्रथम अध्याय

विषय-प्रवेश

१- अध्ययन की आवश्यकता

आज देश भर में बुनियादी शिक्षा का प्रसार द्रुतगति से हो रहा है। इस शिक्षा के पीछे विचारकों की अनेक संकल्पनाएँ हैं इन संकल्पनाओं का सम्बन्ध न केवल शिक्षा में आमूल परिवर्तन करने का रहा है वल्कि एक ऐसी सामाजिक क्रान्ति लाना इसका ध्येय है जिससे हम और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी अपने को स्वतन्त्र देश का आदर्श नागरिक सिद्ध कर सके। देश के आर्थिक, नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक पहलुओं को बल मिले और जिससे समग्र ग्राम रचना का सही रूप देखने को मिल सके ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति में शिक्षा का योगदान नि:सन्देह मूल्यवान है। इस बात को गहराई से समझने के बाद ही गांधी जी ने दृढ़ता से कहा था कि राजनैतिक स्वतन्त्रता को वृहद क्षेत्रिय पूर्ण स्वतन्त्रता में परिणित करने हेतु बुनियादी शिक्षा अद्वितीय शक्ति है। चूंकि यह जीवन द्वारा जीवन की शिक्षा है इस लिये जीवन का कोई क्षेत्र इससे अछूता नहीं रहता। गर्भ से लेकर मरणातक की मानव जीवन की सम्पूर्ण समस्याओं का परिहार इस शिक्षा में सन्निहित है।

आरम्भ में इस बुनियादी शिक्षा का प्रयोग-क्षेत्र सेवा ग्राम चुना गया। वहां पर अनेक शिक्षा शास्त्रियों ने गांधी जी के साथ मिल कर कार्य किया। भारत का सच्चा स्वरूप गांव में ही दिखाई देता है स्वतन्त्र भारत के नागरिकों को जीवन शिक्षण देने के कार्य का परीक्षण ग्रामीण वातावरण में करना उचित था, कहां पर यह अनुमान लगाना भी सम्भव था कि इस योजना से दीन हीनों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही विचारों को दृष्टिकोण में रखकर गुरूदेव ने भी शिक्षा एवं ग्रामोद्धार की योजना को शान्ति निकेतन तथा श्री निकेतन में कार्यान्वित किया, जो ग्रामीण वातावरण में स्थित है। गुरूदेव के ये आश्रम अपने जन्म से ही ग्राम जीवन के उत्कर्ष की दृष्टि से बच्चों के विकास की भावना के प्रेरणा श्रोत रहे हैं। श्री निकेतन के तो सम्पूर्ण क्रियाशील ग्राम जीवन में वांछनीय परिवर्तन लाकर सुखमय बनाने हेतु किये जाते हैं। बापू को इन स्थलों से बड़ी प्रेरणा मिली थी। सेवा ग्राम के प्रयोगों का अनुकरण उनके अनेक अनुयायियों ने किया तथा राष्ट्रीय शिक्षा के अनेक केन्द्र स्थापित हुये जैसे अहमदाबाद का विधापीठ, गुजरात का आश्रम, जामियामिलिया,

स्लामियां, दिल्ली, तुर्की विहार, मुदराई :मद्रास: आदि सब स्थलों के अनुभव अमूल्य हैं । इनसे सदैव मार्ग दर्शन मिल सकता है । अत: आज बुनियादी शिक्षा के कार्य में रत अनेक संस्थाओं तथा व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वे सेवाग्राम तथा अन्य स्थलों के प्रयोगों का अध्ययन करके अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा प्राप्त करें ।

देश की प्रगति गांवोंकी प्रगति में है । इससे हम यह कह सकते हैं कि आज बुनियादी शिक्षा के समक्ष सबसे महत्व पूर्ण कार्य यह है कि वह अपने को ग्रामोत्थान करने की क्षमता की कसौटी में खरी सिद्ध करे । आज देश के हर प्रान्त में बुनियादी प्राथमिक शालाएं, बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय एवं महाविद्यालय, बुनियादी शिक्षा के कार्य में रत हैं । इन सब संस्थाओं का सम्बन्ध ग्रामों की अनेक समस्याओं को हल करने से किसी न किसी रूप में अवश्य है ।

विन्ध्य संभाग में भी इस दिशा में अनेक वर्षों से प्रयास चल रहा है । बुनियादी शिक्षा का कार्य जब यह सम्भाग एक प्रदेश के रूप में था तभी से सुचारू रूप से सम्पन्न हो रहा है । विन्ध्य प्रदेश की सरकार ने शिक्षा के कार्य क्रम के साथ ही समाज-सेवा-कार्य संचालन करने हेतु सामाजिक-शिक्षा को शिक्षा का एक अंग ही बना दिया था । सामान्य शिक्षा के साथ-साथ समाज शिक्षा की भी व्यवस्था की गई थी । उसके साथ ही बुनियादी प्रशिक्षण के लिए सर्व प्रथम जो दो संस्थाएं खोली गई वे ग्रामीण वातावरण में ही स्थित हैं । इन प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम में ग्राम पुनर्निर्माण का एक अलग विषय रक्खा गया जिसमें सैद्धान्तिक तथा प्रायोगिक दोनों कार्यों की एक निश्चित योजना समक्ष रक्खी गई । इस प्रकार की योजना से इस सम्भाग में बुनियादी शिक्षा का सम्बन्ध ग्रामीण समस्याओं तथा ग्रामीण जीवन से बहुत घनिष्टता से स्थापित हुआ । आज भी इस सम्भाग के सीनियर बेसिक स्कूल, बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय एवं महाविद्यालय अपने बहुमुखी कार्यक्रमों से बुनियादी शिक्षा को मूर्त रूप देने में संलग्न है ।

किसी भी कार्य को संवेग प्रदान करने हेतु उसका सिंहावलोकन नितान्त आवश्यक है क्योंकि इस से सम्पन्न होने वाले कार्यों के प्रत्येक पहलू पर विचार हो जाता है, साथ ही भावी गति विधि एवं लक्ष्य सिद्धि को समुचित मार्गदर्शन एवं बल भी प्राप्त होता है । यह कहने की बात नहीं कि सम्भाग की विभिन्न बुनियादी संस्थाएं अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में अनवरत प्रयत्नशील हैं । अत: एक ऐसा अध्ययन, जिससे यह मालूम हो सके कि हम अपने प्रयासों से बुनियादी शिक्षा को ग्रामपुनर्निर्माण मूलक क्षमता कहां तक प्रदान कर सके हैं,

अत्यन्त उपादेय सिद्ध होगा, इसी दृष्टि से अध्ययन का यह क्षेत्र चुना गया है।

बच्चों के विकास पर समाज का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इससे बच्चों का नव निर्माण समाज के नव निर्माण द्वारा ही सम्भव है। मध्य प्रदेश सरकार इसी दृष्टिकोण से बुनियादी शिक्षा को अपनाने का कार्य कर रही है। गांव गांव में बुनियादी स्कूलों की स्थापना का उद्देश्य वहां के ग्रामीण वातावरण में नवचेतना लाने का है। सरकार ने प्रान्त भर की पाठशालाओं के लिये एक ऐसा पाठ्यक्रम बना दिया है जिसमें ग्राम जीवन को आनन्द मय बनाने की बातों का समावेश है। इसी प्रकार समस्त बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए भी ऐसा ही एक पाठ्यक्रम बना दिया है। इस पाठ्यक्रम का, समुदायिक जीवन तथा सामाजिक कार्य, एक महत्व पूर्ण अंग है। इन संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे समाज की समस्याओं को अपनी समस्या मानकर प्रेम तथा सहयोग से उनका हल ढूंढे। इन संस्थाओं के कार्यक्रम में नवीनता एवं प्रगति हेतु समय समय पर विभाग से आदेश जारी किये जाते हैं जिनसे इन संस्थाओं में विभिन्न राष्ट्रीय तथा सामाजिक पर्वों में ग्रामोत्थान के कार्यों का समावेश किया जाता है। गांधी जयन्ती सप्ताह, बाल दिवस, बुनियादी शिक्षा सप्ताह आदि कार्य क्रमों की रूप रेखा में ग्राम निर्माण के कार्य ही होते हैं। ग्राम शिविर की व्यवस्था करके वहां पर रचनात्मक योजना को कार्य रूप में परिणित करने की भी प्रेरणा दी जाती है। इन कार्यों में बहुत अधिक शक्ति, समय व धन लग रहा है। अतः इस बात की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा है कि बुनियादी शिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित ग्रामपुनर्निर्माण के कार्यक्रमों का सर्वेक्षण किया जाय, तथा उनकी प्रगति व प्रभाव को प्रकाश में लाया जाय। इसी उद्देश्य से अध्ययन का यह क्षेत्र चुना गया है।

वास्तव में आज जन जन के हृदय परिवर्तन की आवश्यकता है। समाज में नये मूल्यों की स्थापना व, उनके प्रति सच्ची आस्था उत्पन्न करना आज के युग की मांग है। प्रगति के रास्ते में उत्तरोत्तर आगे बढ़ने के लिए प्रत्येक नागरिक में आन्तरिक शक्ति उत्पन्न करना है जिससे वह अपने जीवन की आवश्यकताओं की दृष्टि से स्वावलम्बी बनकर परहित के कार्यों को भी कर सकें। ग्राम की समग्र रचना उसके सदस्यों के इसी प्रकार के विकास द्वारा ही सम्भव है। सामाजिक जीवन में ऐसा महत्व पूर्ण परिवर्तन शिक्षा के कल्याणकारी प्रभाव से ही सफली-भूत हो सकता है। अस्तु बुनियादी शिक्षा द्वारा दीर्घकाल से देशव्यापी सर्वतोन्मुखी प्रयोग चल रहे हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि इन प्रयोगों पर शोध एवं समालोचनात्मक अध्ययन करके उनकी

I

सफलताओं और समस्याओं के आधार पर भविष्य में मार्ग दर्शन हेतु सुझाव प्रस्तुत किये जांये । इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु इस समस्या को अध्ययन का विषय चुना गया है ।

२- समस्या कथन

विन्ध्य सम्भाग की बुनियादी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा सन् १९५२ से सन् १९६१ तक ग्राम पुनर्निर्माण में योगदान हेतु आयोजित कार्यक्रमों का एक समालोचनात्मक अध्ययन ।

३- समस्या की व्याख्या

यह एक प्रतिमानात्मक अध्ययन है जो प्रमुख रूप में विन्ध्य सम्भाग की बुनियादी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा सन् १९५२ से सन् १९६१ तक ग्राम पुनर्निर्माण हेतु आयोजित कार्य क्रमों का समालोचनात्मक दृष्टि से शोध करता है । इस सम्भाग की बुनियादी शिक्षा संस्थाओं के पाठ्य क्रम में ग्राम पुनर्निर्माण का विशिष्ट स्थान रहा है तथा समय समय पर शासन की ओर से इस कार्य के प्रसार एवं प्रोत्साहन हेतु समुचित निर्देश प्रसारित होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं । जिसके फलस्वरूप बुनियादी शिक्षा संस्थाओं द्वारा ग्राम पुनर्निर्माण सम्बन्धी अनेक कार्यक्रमों का दीर्घ काल से आयोजन हो रहा है । इन आयोजनों पर शक्ति, समय, और कुछ अंशों में सम्पत्ति का भी उपयोग हुआ है । अतः इस प्रबन्ध में बुनियादी शिक्षा संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्य क्रमों एवं उनमें ग्रामवासियों की रुचि का शोध सन्निहित है ।

४- अध्ययन के उद्देश्य

१- विन्ध्य सम्भाग की बुनियादी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा सन् १९५२ से १९६१ तक ग्राम पुनर्निर्माण में योगदान हेतु आयोजित कार्यक्रमों का पता लगाना ।

२- इन आयोजित कार्य क्रमों में से ग्राम वासियों एवं शिक्षार्थियों की रुचि के कार्य क्रमों की खोज करना ।

३, बुनियादी शिक्षा द्वारा ग्राम पुनर्निर्माण के कार्य क्रम को प्रभाव शाली बनाने हेतु सुझाव देना ।

५- -: अध्ययन का क्षेत्र :-

बुनियादी शिक्षा द्वारा ग्राम पुनर्निर्माण के कार्य क्रम की आवश्यकता को समझने के पश्चात् तत्कालीन विन्ध्य प्रदेश एवं वर्तमान मध्य प्रदेश की सरकारों ने समस्त शिक्षा संस्थाओं में इस कार्यक्रम को पाठ्यक्रम का अंग बना दिया गया । अत: प्रान्त की समस्त शिक्षा संस्थाएं इस दिशा में प्रयत्न कर रहीं हैं । इतने बड़े प्रान्त की सम्पूर्ण शिक्षण संस्थाओं के कार्यक्रमों का अध्ययन करना एक बहुत बड़ा काम है । इससे हमने विन्ध्य - सम्भाग को अपना क्षेत्र मान कर इसकी बुनियादी शिक्षण संस्थाओं के ग्राम पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्य क्रम का अध्ययन करना निश्चित किया है । अध्ययन को गम्भीर तथा तथ्यपूर्ण बनाने के लिए सम्भाग की बुनियादी प्राथमिक शालाओं, सीनियर बेसिक पाठशालाओं, जूनियर बुनियादी शिक्षक - प्रशिक्षण संस्थाओं एवं सीनियर बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं तथा पोस्ट ग्रेजुएट बेसिक प्रशिक्षण संस्थाओं को अपने अध्ययन का क्षेत्र माना है ।

विन्ध्य सम्भाग का परिचय:- विन्ध्य सम्भाग का क्षेत्र फल २२८७० वर्ग मील है । इसका लगभग आधा भू-भाग अर्थात् १०,००० वर्ग मील का क्षेत्र जंगल तथा पहाड़ों से आच्छादित है । इस सम्भाग की कुल जन संख्या ३४१०३७६ है ।

इस सम्भाग में छोटे बड़े कुल सात जिले हैं जिनका विवरण निम्नांकित है :-

क्रमांक	नाम जिला	क्षेत्र फल
१	रीवा	२५१२ वर्गमील
२	सतना	२७४०,,
३	सीधी	४०७२ ,,
४	शहडोल	५४१६ ,,
५	पन्ना	२७८६ ,,
६	टीकमगढ़	१६४६ ,,
७	छतरपुर	३३८६ ,,

६. समस्या की परिमितता :- प्रस्तुत प्रबन्ध की महत्वपूर्ण समस्या में शोधकार्य हेतु विन्ध्य संभाग को अध्ययन का क्षेत्र चुना । एक ओर कार्य क्षेत्र विस्तीर्ण था और दूसरी ओर अध्येता के पास शक्ति, साधन और समय परिमित था । इस प्रबन्ध लेखन का कार्य निश्चित अवधि में पूरा करके विश्व विद्यालय को भेजना आवश्यक था । इस प्रबन्ध लेखन का शोधकार्य केवल एम० एड० उपाधि परीक्षा की आंशिक पूर्ति हेतु किया गया है । अत: इन समस्त असमर्थताओं के कारण प्रबन्ध को इस संभाग की १२६ बुनियादी पाठशालाओं, २ सीनियर बेसिक स्कूल, ५ जूनियर ट्रेनिंग विद्यालय, ५ सीनियर ट्रेनिंग महा विद्यालय तथा १ स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण महा विद्यालय तक ही सीमित रखा गया है ।

समस्या की वास्तविक वस्तुस्थिति को ठीक ठीक समझने के लिये यह आवश्यक था कि प्रत्येक बुनियादी शिक्षा संस्था के कार्यों का अवलोकन उनके कार्य क्षेत्र में पहुंच कर किया जाता और वहां पर ग्राम वासियों, विद्यार्थियों, प्रशिक्षणार्थियों तथा अध्यापकों और प्राध्यापकों से मिलकर विचार विमर्श किया जाता । अगर समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों से साक्षात्कार करके उनके आलेखों का अवलोकन हो सकता तो शोध कार्य पूर्ण रूपेण ठीक ठीक निष्कर्षों तक पहुंचने में समर्थ होता । किन्तु उपरोक्त असमर्थताओं के कारण सात जिलों में से केवल ४ जिलों के विभिन्न स्थानों में जाकर ४७ ग्रामवासियों से साक्षात्कार किया, २२ बुनियादी पाठशालाओं के कार्य क्षेत्र का अवलोकन किया और चार जिला विद्यालय निरीक्षकों से साक्षात्कार किया तथा उनके कार्यालय में उपलब्ध आलेखों का अवलोकन किया । इन कठिनाइयों के अतिरिक्त सबसे बड़ी कठिनाई इस समस्या पर पूर्व अनुसंधान कार्य के अभाव की रही है । इस समस्या पर बड़ी बड़ी शिक्षा संस्थायें प्रयोग कर रही हैं तथा अनेक रचनात्मक कार्य हो रहे हैं किन्तु अभीतक मुझे इस पर कोई अनुसंधान कार्य देखने को नहीं मिला ।

७ - अध्ययन की विधि व पद्धति

इस शोध कार्य में निम्नांकित विधियों का अवलम्बन लिया गया है :-

१- प्रश्नावली - बुनियादी शिक्षा संस्थाओं द्वारा आयोजित ग्राम पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम के समंकों को ज्ञात करने हेतु दो प्रकार की प्रश्नावलियां बनाई गई :-

:अ: प्रथम प्रश्नावली को इस सम्भाग की समस्त बुनियादी शिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थाओं में भेजा गया । इस प्रश्नावली के ६ भाग थे । प्रत्येक भाग चार स्तम्भों में विभक्त था । प्रथम स्तम्भ में कार्यों का नाम था, दूसरे स्तम्भ में प्रत्येक कार्य के सामने सन् १९५२ से १९६१ तक सम्पादित होने वाले कार्यों की जानकारी माँगी गई क्योंकि सभी संस्थाओं ने एक साथ इस कार्यक्रम को प्रारम्भ नहीं किया है । जो संस्था जिस सन् में खोली गई या बुनियादी शिक्षा में परिवर्तित की गई उसी सन् से उसने कार्य प्रारम्भ किया, कुछ कार्य साधनों के अभाव के कारण विलम्ब से प्रारम्भ हुये या एक दो वर्ष पश्चात् बन्द कर दिये गये अत: प्रत्येक कार्य की अलग अलग सनों में स्थिति को ज्ञात करना आवश्यक था ।

संस्थाओं के प्रधानों से इन समस्त कार्यों का क्रमांकन इस प्रश्नावली के तीसरे स्तम्भ में कराया गया । इस क्रमांकन से ग्राम पुनर्निर्माण हेतु महत्त्व रखने वाले कार्यक्रमों का पता चला । इस क्रमांकन से अनेक महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात हुईं जैसे कि कुछ स्थानों पर ज्ञात हुआ कि जिस कार्य को संस्था के प्रधानाचार्य सबसे अधिक महत्त्व का मानते हैं उस कार्य को उनकी संस्था अन्य कार्यों की अपेक्षा कम करती है । जैसे कि पर्दा प्रथा व धर्मान्धता को मिटाना अधिकांश व्यक्ति समाज उत्थान हेतु प्रथम कार्य मानते हैं किन्तु ग्रामों में उसका प्रचार धीरे धीरे ही सम्भव हो सकता है ।

इस प्रश्नावली के चतुर्थ स्तम्भ में कुछ प्रश्न दिये गये थे। इनसे प्रश्नावली के स्तम्भ दो तथा तीन में अंकित समंकों को प्रमाणित करने में सहायता मिलती थी तथा ग्राम वासियों, संस्था व शिक्षार्थियों की रुचि के कार्य ज्ञात होते थे और कार्यों की अवधि व क्षेत्र स्पष्ट होता था।

प्रश्नावली के प्रथम भाग में स्वास्थ्य तथा हाईजीन के ६ कार्य क्रम, दूसरे भाग में सांस्कृतिक उत्थान के ७ कार्य क्रम, तीसरे भाग में प्रौढ़ शिक्षा के छः कार्य क्रम, चौथे भाग में सामाजिक उत्थान के ६ कार्य क्रम, पांचवे भाग में आर्थिक विकास के ६ कार्य क्रम तथा छठे भाग में निर्माण के ६ कार्य क्रमों का उल्लेख था।

:ब: दूसरी प्रश्नावली इस संभाग के समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों के पास भेजी गई। यह प्रश्नावली तीन भागों में विभक्त थी। प्रथम भाग में सन् १९५२ से १९६१ तक उनके जिले में खुलने वाली बुनियादी पाठशालाओं की सन् वार संख्या मांगी गई थी।

इस प्रश्नावली के दूसरे भाग में तीन स्तम्भ थे, प्रथम स्तम्भ में जो कार्य उनके जिले की पाठशालायें करती हैं उनके सामने "हां" लिखना था। दूसरे स्तम्भ में ग्राम पुनर्निर्माण के छः कार्य क्रम लिखे थे जिनका उल्लेख प्रथम प्रश्नावली में हो चुका है तथा तीसरे स्तम्भ में कार्यों का महत्व के अनुसार क्रमांकन करना था।

इस प्रश्नावली के तीसरे भाग में कुछ प्रश्न थे जिनसे बुनियादी पाठशालाओं द्वारा सम्पादित कार्य क्रमों का प्रभाव एवम् जिला विद्यालय निरीक्षकों का उसमें योगदान ज्ञात होता था।

प्रश्नावली की परिशुद्धता व विश्वसनीयता

१- इसमें छोटे व स्पष्ट प्रश्न लिखे गये ।

२- प्रश्नावली की भाषा सरलतम थी ।

३- प्रश्नावली को अनावश्यक बातों के उल्लेख से बचाया गया ।

४- प्रश्नावली को भरने के लिये आवश्यक निर्देश सरल भाषा में प्रश्नावली में ही लिख दिये गये ।

५- प्रश्नावली को विश्वसनीय बनाने के लिये निकटवर्ती क्षेत्र में अनेक बार इसका प्रयोग किया । इन प्रयोगों के परिणामों के आधार पर प्रश्नावलियों में अनेक परिवर्तन तथा परिवर्धन किये गये । जब प्रश्नावली से अभीष्ट सिद्ध होने लगा तभी इसे छपाया गया ।

६- संस्थाओं में प्रश्नावली के साथ लिखित आश्वासन भेजा कि इस प्रश्नावली की प्रत्येक बात गोपनीय रखी जायगी, उनके समंकों का उपयोग केवल सामान्य रूप से अपने एम० एड० के प्रबन्ध में ही किया जायगा ।

प्रश्नावली का लक्ष्य

प्रश्नावलियों द्वारा निम्न बातों की जानकारी प्राप्त की गई :-

१- किस वर्ष में, कौन सा कार्य कितने क्षेत्र में आयोजित हुआ ।

२- ग्राम वासियों की रुचि के कार्य ।

३- शिक्षार्थियों की रुचि के कार्य ।

४- विभागीय अधिकारियों का कार्य क्रम में योग ।

५- कार्य क्रम का प्रभाव ।

६- कार्य कर्ताओं के अनुभव ।

प्रश्नावली की प्राप्ति

प्रथम प्रश्नावली को भेजने व पुन: भरकर प्राप्त होने का विस्तृत विवरण निम्नांकित है :-

प्रश्नावली का विवरण	बुनियादी पाठशालायें	सीनियर बेसिक स्कूल	जूनियर ट्रेनिंग स्कूल	सीनियर ट्रेनिंग कालेज	पी० जी० बी० टी० कालेज
संस्थाओं की संख्या					
१- जहां प्रश्नावली भेजी गई	२४६	३	९	७	२
२- जहां से प्रश्नावली वापिस आई	१२६	२	५	५	१
३- प्रतिशत	५१.२	६६.६	५५.५	७१.१	५०

दूसरी प्रश्नावली ७ जिला विद्यालय निरीक्षकों के पास भेजी गई थी उसमें से पांच जिला विद्यालय निरीक्षकों से भरकर वापिस प्राप्त हुई इस प्रकार इसकी प्राप्ति का प्रतिशत ७१.३ रहा ।

२- सर्वेक्षण- प्रश्नावलियों व्दारा प्राप्त जानकारी की पुष्टि हेतु विभिन्न जिलों में स्थित २२ बुनियादी पाठशालाओं तथा ५ बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्य क्षेत्र में जाकर विगत योजनाओं व्दारा सम्पादित कार्यों एवं वर्तमान योजनाओं की कार्य प्रणाली का अवलोकन किया । रात्रि पाठशालाओं, सांस्कृतिक आयोजनों तथा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के कार्य क्रमों में भाग लिया । इसके अतिरिक्त सड़क, कुंआ, शाला भवन, खाद के गड्ढे, फलदार वृक्ष आदि रचनात्मक कार्य निकट से देखे ।

३- साक्षात्कार - प्राप्त समंकों को प्रमाणित करने के लिये निम्नांकित व्यक्तियों से साक्षात्कार किया ।

१- दो बुनियादी प्रशिक्षण महा विद्यालयों के प्राचार्य ।
२- तीन बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालयों के प्रधानाध्यापक ।
३- दो प्रशिक्षण संस्थाओं के प्राध्यापक ।
४- दो जिला विद्यालय निरीक्षक ।
५- दो उप जिला विद्यालय निरीक्षक ।
६- चार शिक्षा शास्त्री तथा समाज सेवक ।
७- ३२ ग्रामीण बन्धु जो विभिन्न जिलों के निवासी हैं । साक्षात्कार का परिपत्र परिशिष्ट क्रमांक ८ पर संलग्न है ।

४- आलेख निरीक्षण - सामान्यतय: बुनियादी पाठशालाओं में ग्राम पुनर्निर्माण सम्बन्धी योजनाओं के आलेख नहीं रखे जाते हैं । किन्तु उनके व्दारा उच्च कार्यालयों को आयोजनों के जो विवरण समय समय पर भेजे जाते हैं उनकी प्रतिलिपियां देखने को मिली । जिला विद्यालय निरीक्षकों के कार्यालयों से पाठशालाओं को इस प्रकार के आदेश समय समय पर भेजे जाते हैं तथा सहायतार्थ सामान्य या रुपया वितरित किया जाता है , कार्य क्रमों की समाप्ति पर सम्पादित कार्यों का विवरण मांगा जाता है तथा उच्च कार्यालय को भेजा जाता है । इन सब आलेखों के देखने से समंकों को प्रमाणिकृत करने में बहुत अधिक सहायता मिली । उदाहरणार्थ परिशिष्ठ क्रमांक दो पर जिला विद्यालय निरीक्षक टीकमगढ़ से प्राप्त एक विवरण को संलग्न कर दिया गया है ।

इस सम्भाग की अधिकांश बुनियादी प्रशिक्षण संस्थायें प्रतिवर्ष पत्र पत्रिकाओं में अपनी अपनी योजनाओं तथा उनकी प्रगति को प्रकाशित करती रहती हैं। यह समस्त प्रकाशन इस शोध कार्य में विशेष सहायक सिद्ध हुये। प्रशिक्षण संस्थाओं में सामुदायिक जीवन के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों की समाज सेवा एवं बुनियादी शिक्षा सप्ताह तथा गांधी सप्ताह पर आयोजित कार्यों विवरण देखनेको मिला। इन समस्त आलेखों से ग्राम पुनर्निर्माण की योजना और उसकी कार्यान्विती को सुगमता से समझा जा सका।

५- <u>समंकों की व्याख्या</u> - ग्राम पुनर्निर्माण हेतु आयोजित कार्य-क्रम के सम्बन्ध में प्रश्नावली द्वारा समंक प्राप्त हुये उनको साक्षात्कार, आलेख निरीक्षण व स्थान सर्वेक्षण द्वारा प्रमाणित करके वर्गीकरण किया। अन्त में विवेचना और विश्लेषण के द्वारा निष्कर्ष निकाले गये।

६- अध्ययन की योजना :-

प्रथम अध्याय के प्रारम्भ में इस अध्ययन की आवश्यकता को सिद्ध किया गया है । उसके पश्चात् समस्या की व्याख्या तथा उसके पूर्व प्रयोगों का संक्षिप्त विवरण देने के साथ ही अध्ययन के उद्देश्य एवम् क्षेत्र को निश्चित किया गया । तथा अध्याय के अन्त में प्रस्तुत समस्या के अध्ययन की विधियां एवं पद्धतियां निर्धारित की गईं ।

प्रथम अध्याय में कार्य एवम् उसकी दिशा निश्चित हो जाने से साधन तथा साध्य के स्वरूप व सम्बन्ध को समझने की आवश्यकता प्रस्तुत हुई अत: द्वितीय अध्याय में बुनियादी शिक्षा के अर्थ, उद्देश्य एवम् क्षेत्र की व्याख्या करके भारतीय ग्रामों की वर्तमान स्थिति एवं उनके पुनर्निर्माण और बुनियादी शिक्षा के सह सम्बन्ध का विवेचन किया ।

बुनियादी शिक्षा तथा ग्राम पुनर्निर्माण का सम्बन्ध सिद्ध हो जाने पर अध्ययन के क्षेत्र अर्थात् विन्ध्य संभाग में उसकी प्रगति तथा तत्सम्बन्धी विभागीय नीति को समझने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी । अत: तृतीय अध्याय में सन् १९५२ से १९५६ तक विन्ध्य प्रदेश सरकार की समस्या सम्बन्धी नीति तथा बुनियादी शिक्षा की प्रगति का संक्षिप्त विवरण देने के पश्चात् सन् १९५६ से सन् १९६१ तक इस संभाग में मध्य प्रदेश सरकार की बुनियादी शिक्षा एवम् ग्राम पुनर्निर्माण सम्बन्धी नीति तथा उसकी प्रगति का संक्षिप्त वर्णन किया गया ।

इस संभाग में बुनियादी शिक्षा की प्रगति एवं उसके द्वारा ग्राम पुनर्निर्माण की योजना के स्पष्टीकरण से उसकी कार्यान्विति के अध्ययन एवम् उसके प्रभावों को समझने की आवश्यकता उत्पन्न हुई ।

अत: चतुर्थ अध्याय में बुनियादी पाठशालाओं द्वारा तथा पांचवे अध्याय में बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा ग्राम पुनर्निर्माण हेतु आयोजित कार्य क्रमों का प्रश्नावली, साक्षात्कार, आलेख, अवलोकन तथा कार्य निरीक्षण के आधार पर जानकारी प्राप्त करके उसका विश्लेषण किया ।

इस संभाग की बुनियादी शिक्षा संस्थाओं द्वारा सन् १९५२ से १९६१ तक ग्राम पुनर्निर्माण हेतु आयोजित कार्यक्रमों के विश्लेषण से जो निष्कर्ष एवं सुझाव निकले उनका उल्लेख छटवें अध्याय में हुआ है ।

अन्तिम अध्याय में इस अध्ययन से प्राप्त समस्त निष्कर्षों एवं सुझावों का पुन: संक्षेप में उल्लेख करके भावी शोध कार्य के लिये सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं ।

द्वितीय अध्याय

खण्ड-ब

-: बुनियादी शिक्षा और ग्राम पुनर्निर्माण :-

-:o:-

बुनियादी शिक्षा और ग्राम पुनर्निर्माण के सह सम्बन्ध को समझने के लिए हमें सर्व प्रथम यह जान लेना आवश्यक है कि बुनियादी शिक्षा क्या है ? ग्रामों की वर्तमान स्थिति कैसी है ? तथा बुनियादी शिक्षा को बालक के निर्माण के लिए ग्रामों का निर्माण करना क्यों अनिवार्य है ?

१- बुनियादी शिक्षा

१- बुनियादी शिक्षा का अर्थ :- बुनियादी शिक्षा की परिभाषा देते हुए गांधी जी ने कहा था कि " शिक्षा से मेरा मतलब है बच्चे या मनुष्य की तमाम शारीरिक, मानसिक, और आत्मिक शक्तियों का सर्वतोन्मुखी विकास । अक्षरज्ञान न तो शिक्षा का आरम्भ है और न अन्तिम लक्ष्य । वह तो उन अनेक उपायों में से एक है जिनके द्वारा स्त्री - पुरुषों को शिक्षित किया जा सकता है । फिर सिर्फ अक्षर ज्ञान को शिक्षा कहना गलत है । शिक्षा तो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक अखण्ड प्रक्रिया है । " *

गांधी जी के इस कथन पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि बुनियादी शिक्षा अंग्रेजों के समय की उस शिक्षा से भिन्न है जो अक्षर ज्ञान या साक्षरता मात्र को ही शिक्षा मानती थी । बुनियादी शिक्षा बालक की समस्त बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करके उस का सर्वांगीण विकास करना चाहती है । बुनियादी आवश्यकताओं के अन्तर्गत ही हृदय में उठनेवाली भावनाओं के आधार पर बालक में रचनात्मक एवम् उत्पादक कार्य के साथ साथ ज्ञान की अभिवृद्धि हो, । इन दोनों के समन्वय से जो शिक्षा का क्रम चले वह समय के साथ साथ प्रगति करता हुआ बालक का सर्वांगीण विकास और एक नये समाज का निर्माण करने में समर्थ हो, वही बुनियादी शिक्षा है ।

---

* हरिजन सेवक ३१-७-३७, गांधी जी

गांधी जी ने इस बुनियादी शिक्षा में हमारे परम्परागत विचारों एवम् शिक्षा सम्बन्धी मान्यताओं में आमूल परिवर्तन किया है। उन्होंने हमारे सामने यह विचार रक्खा है कि समाज का समग्र जीवन और कार्य क्रम ही शिक्षा है। अब विभिन्न कक्षाओं वाली पाठशालाओं को एक चहारदीवारी के अन्दर सीमित करके वहां अक्षर ज्ञान देने मात्र को ही शिक्षा नहीं कहा जा सकता बल्कि सम्पूर्ण समाज के सारे जीवन क्रम को एक ईकाई मान कर उसकी बुनियाद पर जब हम शिक्षा का भवन खड़ा करेंगे तभी वह सच्ची बुनियादी शिक्षा होगी।

२- बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य :-

विनोबा जी के शब्दों में "नये समाज का निर्माण तभी सम्भव है जबकि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सोई हुई शारीरिक मानसिक और आत्मिक शक्तियां खिलेंगी, संकल्प शक्ति जागृत होगी, और वे स्वत: के पुरुषार्थ द्वारा श्रम के योग से अपने आप को स्वस्थ्य और खुश हाल बनायेंगे। गांधी जी कहते थे कि खुश हाली बाहर से नहीं आवेगी वह तो खुद समाज में, हर गांव में तथा हर शहर में अपने श्रम के फलस्वरूप मिलेगी। तभी बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य पूरा होगा।

नया समाज निर्माण करने में हमें उसी सामग्री तथा साधनों का उपयोग करना होगा जो गांव में उपलब्ध है। गांधी जी ने कहा है कि प्राचीन थाती तथा अपने खून में मिली हुई चीजों को अलग नहीं कर सकते, वरन् हमें उसे ऐसी दशा में मोड़ना होगा कि वह व्यक्ति के, और जिस समाज में वह व्यक्ति रहता है उस समाज के, और साथ ही समग्र मानवता के उत्कर्ष में सहायक बनें। इसी सामग्री के सहारे में हमें अपने समाज का पुनर्निर्माण करना होगा, वह समाज जो सात लाख गावों में फैला हुआ है। इस परम्परागत देन का उपयोग यदि बालकों के लिए महत्व रखता है तो बड़ों के लिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़े ही बालकों के लिए आदर्श होते है बड़े ही बालकों के लिए आदर्श जुटाते हैं, वातावरण का निर्माण करते हैं और उसी वातावरण में बालक परवरिश पाते हैं। इन्हीं बड़ों का बालक के कोमल मन पर जो प्रभाव पड़ेगा वही उनके भविष्य को रूप देगा। इसीलिए बड़ों और बालकों की शिक्षा को एक साथ चलाना बुनियादी शिक्षा ने अपना उद्देश्य माना है।"

गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ नई शक्ति तथा नया तेज प्रदीप्त करना था जिससे समाज में एक नई जीवन शक्ति को जन्म मिले। अत: बुनियादी शिक्षा का काम समाज में जीवन की इसी टिम टिमाती हुई लौ को शक्ति प्रदान करना है जिसमें वह एक बार फिर जाज्वल्य हो जाये। उसे लोक मानस में वर्तमान जीवन से श्रेष्ट जीवन को प्राप्त करने की सोयी हुई भावना और संकल्प शक्ति को फिरसे जागृत करना है, बालक तो अत्यन्त लचीला होता है, उसे मोड़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन लम्बे समय से बनी हुई आदतों के कारण बड़ों की दृष्टि जड़ बन गई है और अपना समस्त जीवन रस खो चुकी है, उसे बाहरी दबाव के बल पर बदलना मुश्किल है। उसमें परिवर्तन तभी सम्भव है जब बड़े ही परिवर्तन चाहने लगें, उसके लिए दृढ़ संकल्प हों और अत्यन्त धैर्य एवं तत्परता के साथ परिवर्तन करने के लिए प्रयत्नशील बन जायं। इस दृष्टि से देखा जाय तो बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य जन-मानस में ज्योति प्रज्ज्वलित करने का है। बुनियादी शिक्षा द्वारा यह ज्योति एक एक व्यक्ति से प्रज्ज्वलित होकर समस्त समाज में फैल जायगी और तब समाज का नव निर्माण होगा।

३- बुनियादी शिक्षा का क्षेत्र :-

गांधी जी ने नयी तालीम को गर्भ से मृत्यु तक चलने वाली अखण्ड प्रक्रिया माना है। उनकी दृष्टिमेंयह प्रक्रिया समग्र थी, अन्य प्रक्रियाओं के साथ चलने वाली कोई आंशिक प्रक्रिया नहीं थी। इसलिये उन्होंने कहा था कि दूसरे सब रचनात्मक कार्य नई तालीम में समा जाते हैं, यानी जब नई तालीम की प्रक्रिया चलती है तो दूसरे सब कार्य अपने आप होते चलते हैं। इस तरह बुनियादी शिक्षा अपनी समग्रता और सार्वभौमिकता के कारण स्वयं जीवन का पर्याय बन जाती है, और यह समग्रता तथा सार्वभौमिकता समाज परिवर्तन एवम् जीवन शोधन की सम्मिलित प्रक्रिया के रूप में प्रकट होती है। अत: हम कह सकते हैं कि बुनियादी शिक्षा व्दारा जीवन शोधन के साधन से समाज परिवर्तन का साधन सिद्ध होता है। इसीलिए समाज का प्रत्येक बच्चा, बूढ़ा, जवान स्त्री और पुरुष बुनियादी शिक्षा का विद्यार्थी हो जाता है। और मानव के जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय का समस्त क्षेत्र बुनियादी शिक्षा का क्षेत्र बन जाता है।

६- ग्रामों की दशा

भारत के नव निर्माण का अर्थ है इसके सात लाख ग्रामों का निर्माण, क्योंकि भारत की ८० प्रतिशत जनता ग्रामों में निवास करती है। दीर्घकालीन परतंत्रता के कारण ग्रामों की स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। उनकी कुछ प्रमुख समस्याओं का वर्णन नीचे संक्षेप में किया जाता है :-

१- गन्दगी एवम् बीमारी :- ग्रामों की गन्दगी तथा बीमारियों का वर्णन करते हुये गांधी जी लिखते हैं कि "हमारे अधिकांश गांव घूरे : जहां गांव वाले गन्दगी फेंकते हैं और जहां घास-पात के ढ़ेर लगाये रहते हैं : की सी हालत में दिखाई देते हैं। लोग जहां तहां पाखाना फिरते दिखाई देते हैं घर का सहन तक नहीं बचता। फिरे हुये पाखाने की कोई फिक्र नहीं करता। गांव में कहीं रास्ते ठीक नहीं रक्खे जाते। कहीं ऊंचीं मिट्टी के ढ़ेर हैं, कहीं गड्ढा हो रहा है। आदमी और पशु दोनों को चलने में तकलीफ होती है। पोखरे, पोखरियों में बर्तन माजे, धोये जाते हैं, उनमें पशु पानी पीते हैं, नहाते हैं, पड़े रहते हैं उनमें छोटे और बड़े भी आबदस्त लेते हैं, यही पानी खाना पकाने के काम में लाया जाता है। घर बनाने में किसी प्रकार के नियम की परवाह नहीं की जाती। न पड़ोसी की सहूलियत का ख्याल किया जाता है, न अपनी धूप रोशनी और हवा का। सहकार के अभाव के कारण गांव वाले अपने आरोग्य के लिये जरूरी चीजें भी नहीं उपजाते। अपने फालतू वक्त का सदुपयोग नहीं करते या उन्हें करना नहीं आता, इससे उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति क्षीण रहती है। आरोग्य के साधारण ज्ञान के अभाव के कारण रोगी होने पर गांव वाले सीधे साधे घरेलू उपायों के बदले ओझा सोखा के फेर में पड़ते और जन्तर-मन्तर के जाल में फंसकर परेशानी मोल लेत हैं, पैसा फूंकते हैं और बदले में रोग बढ़ा लेते हैं। आपसी लड़ाई झगड़ों और मुकदमें बाजी के कारण पैसे को नष्ट करते हैं और कर्ज के बोझ से लदे हैं।" *

वे आगे फिर कहते हैं कि "गांव के रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं देखने में ऐसा मालूम होता है जैसे अभी धूल फैला कर बनाये गये हैं, उनमें धूल ही धूल भरी होती है। इसलिए उनपर चलने वाले व्यक्ति और गाड़ी खींचते हुये बैलों को बड़ी तकलीफ होती है।

---

* "ग्राम सेवा" पृष्ठ १० गांधी जी

इसके कारण उन्हें गाड़ियां भारी और उनके पहिये भारी रखने पड़ते हैं इससे बैलों को बेकार दूना बोझा खीचना पड़ता है। बर्षात में रास्तों में इतना कीचड़ होता है कि उनमें से गाड़ी हांकना मुश्किल हो जाता है। आदमी को भी तैर कर जाना पड़ता है या कमर तक भीगकर जाना पड़ता है इससे तरह तरह के रोग फैलते हैं" :*: ।

जहां गांव घूरे सरीखे हों, जहां तालाब, कुंओं की कोई परवाह न करता हो, जहां रास्ते बाबा आदम के से समय के हों तो वहां बच्चों की दशा अच्छी रह ही नहीं सकती है। बालकों के बर्ताव और उनकी सभ्यता पर ग्राम दशा का प्रभाव छाया रहता है।

२- सामाजिक कुरीतियां :- अज्ञान के कारण तथा शोषण से उत्पीड़ित ग्रामीण समाज में अन्ध विश्वास मजबूती से जम गया है। ओझा गुनियां तथा साधु संन्यासी अनेकों छल और प्रपंच दिखला कर गांव के पैसे का अपहरण कर रहे हैं। सामाजिक कुरीतियों के बन्धन में जकड़े होने के कारण गांव वाले कर्ज लेकर सामाजिक कार्यों में पैसा खर्च करते हैं, लड़की की शादियों में बढ़ती हुई दहेज प्रथा ने और लड़कों की शादी में बाह्य आडम्बरों ने ग्राम वासियों को दयनीय स्थिति में पहुंचा दिया है। ग्रामों में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख सामाजिक कुरीतियों का उल्लेख संक्षेप में नीचे किया जाता है :-

:१: विवाह सम्बन्धी कुरीतियां :-

:क: दहेज :ख: बड़ी बड़ी दावतें
:ग: बाल-विवाह :घ: बहु विवाह
:च: अनमेल विवाह :छ: गर्भान्तर विवाह
:ज: जुलूस एवं प्रदर्शन

:२: अन्ध विश्वास :-

:क: मंत्र-तंत्र :ख: पशु बलि
:ग: भूतों का डर :घ: नजर का लगना
:च: मनुष्य तथा पशुओं की बीमारी में बैठक कराना।

:३: छुआ छूत :- :क: जातीय संकीर्णता :ख: पार्टी बन्दी
:ग: उद्योगों को जातियों से सम्बन्धित करना

:*: "ग्राम सेवा" पृष्ठ २६ गांधी जी

:४: स्त्रियों के प्रति द्वेष भाव :-

:क: लड़की को लड़के से कम महत्व देना

:ख: निम्न जातियों में स्त्रियों का क्रय विक्रय होना

:ग: स्त्रियों की शिक्षा को अनावश्यकमानना

:घ: पर्दा प्रथा

३- आर्थिक समस्यायें :- एक समय था जब आबादी कम थी और प्रत्येक परिवार के पास जमीन काफी थी । अत: सब लोग निश्चिन्त होकर उसका उपयोग करते थे । ग्रामों में किसान, बढ़ई, लुहार, बुनकर चमार, कुम्हार तथा अन्य सभी उद्योगो के करने वाले एक साथ मिलकर रहते थे । सभी के पास काम था किन्तु जन संख्या के बढ़ने से जमीन की कमी पड़ने लगी और साथ ही साथ गांव के उद्योग नष्ट होने लगे जिसके परिणाम स्वरूप गांव गांव में झगड़े, दलबन्दी और मुकदमे बाजी का बोल बाला हो गया । आज गांव के सभी प्रेम के बन्धन टूट चुके हैं मुकदमें बाजी के कारण गांव का पैसा दलालों, वकीलों, और कचहरि-यों में नष्ट हो रहा है ।

हिन्दुस्तान कृषि प्रधान देश भले ही कहलाता हो लेकिन उसका उद्धार सिर्फ खेती के द्वारा नहीं होगा । क्योंकि हिन्दुस्तान में खेती ही प्रधान व्यवसाय होते हुये भी यहां पर फी आदमीसिवा एकड़ का औसत है । इसके विपरीत फ्रांस में प्रति मनुष्य साढे तीन एकड़ जमीन है जबकि वह उद्योग प्रधान देश माना जाता है । हिन्दुस्तान की एक व्यक्ति की सालाना आय कृषि से ५०-६० रुपया और उद्योग से १२ आना है इस लिए हिन्दुस्तान को कृषि प्रधान देश कहा जाता है । इग्लैण्ड में खेती द्वारा एक आदमी की आय भारत की तरह ही ५०-६० वार्षिक है किन्तु उद्योग द्वारा ५१२ पांच सौ बारह रुपया है ।इसी से हमें भारतीय किसानों की आर्थिक स्थिति का पता चल जाता है । उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने के निम्नांकित तीन प्रमुख कारण है ।-

१ल कृषि के दोष :- भारतीय ग्रामोंके९० प्रतिशत निवासी खेती करते है । दिन रात परिश्रम करने के बाद भी किसानों को भर पेट भोजन तथा शरीर ढकने को वस्त्र उपलब्ध नहीं होते । क्योंकि न तो किसानों के पास पर्याप्त जमीन है और न उपयुक्त साधन । यही कारण है कि आर्थिक परिश्रम करने के पश्चात् भी भारतीय कृषि की उपज विश्व के प्रत्येक देश से बहुत ही कम होती है ।

भारतीय कृषि के अवनति के कुछ निम्नांकित कारण है :-

:अ: छोटे छोटे खेत :ब: बिखरे खेत
:स: सिचाई की अव्यवस्था :द: दैवी प्रकोप
:क: खेती का पुराना ढंग :ख: खाद की कमी
:ग: उत्तम बीजों का अभाव :घ: गोबर को जलाना
:च: दुर्बल पशु :छ: बिक्री के दोष
:ज: लड़ाई झगड़े :झ: कर्ज
:प: मार्ग दर्शन का अभाव :फ: निराशावादी दृष्टिकोण

इन्हीं सब खेती की समस्याओं के कारण किसानों की दुर्दशा का वर्णन करते हुये गांधी जी ने लिखा है कि "हिन्दुस्तान में छोटे छोटे खेतों में खेती करने से किसानों को लाभ के बदले हानि ही हो रही है गांव के लोगों में ताजा जीवन नहीं दिखाई देता, उनके जीवन में न आशा रही है न उमंग, और न उत्साह न स्फूर्ति। भूख धीरे धीरे उनके प्राणों को चूस रही है। उधर ऋण के गर्दन तोड़ बोझ से वे दबे जा रहे हैं।" *

२- उद्योगों का अभाव :- एक ओर तो अपर्याप्त भूमि एवं कृषि के साधन न होने के कारण भारतीय किसान के पास खेती में वर्ष के लिए पूरा काम नहीं होता है और दूसरी ओर ग्रामों में ऐसा कोई उद्योग धन्धा नहीं है जिसे गांव वाले अपने खाली समय में जीविकोपार्जन के लिए अपना सके। ग्रामों में कच्चा माल तो बहुत पैदा होता है लेकिन गांव वाले उसे शहरों में बेच आते है और यही कच्चा माल जब उनके गांव में रूप बदलकर वापिस आता है तो उन्हें कई गुना अधिक रुपया देना पड़ता है यही कारण है कि ग्रामों में निर्धनता बढ़ती जा रही है। जिसका वर्णन करते हुये विनोबा जी ने लिखा है कि "हमारे गांव की सारी लक्ष्मी यहां से उठ कर शहरों में चली जाती है। इस लक्ष्मी के पैर गांव में नहीं ठहरते। वह शहर की तरफ दौड़ती है जैसे पहाड़ पर पानी भरपूर बरसता है लेकिन वह वहां कब ठहरता है? चारों तरफ भाग निकलता है पहाड़ बेचारा कोरा का कोरा खड़ा रह जाता है।

---

* किसानो की दशा का सुधार - गांधीजी

देहात की लक्ष्मी इसी तरह चारों दिशाओं में भाग खड़ी होती है अगर हम उसे रोक सके तो हमारे गांव सुखी होगे । गांव वाले गांव में कपास बोते हैं लेकिन सारा का सार कपास शहरों में बेच आते हैं फिर बुआई के समय बिनोले शहरों से मोल लेते हैं । कपास गांवों में पैदा करते हैं और उसे बेच कर बाहर से कपड़ा खरीदते हैं । गांवों में मूंगफली, तिली और अलसी पैदा करते है लेकिन तेल शहर की मिल से ही लेते हैं । सारा का सारा कच्चा माल गांव में ही पैदा होता है । और वह कौड़ियों की कीमत में शहरों में बेच दिया जाता है, वहां से वह कच्चा माल शक्ल बदल कर पक्के माल के रूप में फिर गांव में वापिस आता है । कच्चे माल की कीमत सदैव कम होती है किन्तु जैसे जैसे उसका पक्का माल बनता जाता है उसका मूल्य भी बढ़ता जाता है । उदाहरण के लिए मूंग फली की खेती को लेलें । अगर एक किसान चार एकड़ जमीन में सौ रुपया की मूंग फली पैदा करता है तो तेली उस किसान की सौ रुपये की मूंग फली खरीद कर एक सौ पच्चीस रुपये का तेल और पच्चीस रुपया की खली तैयार करेगा । इसी तेली के तेल को एक सौ पच्चीस रुपया में एक गन्धीगर खरीद कर सुगंधित तेल बनाकर उसकी कीमत दो सौ पचास रुपया वसूल कर लेता है ।''*

३- <u>ऋण की समस्या :-</u>

किसान वर्ष में दो फसलें पैदा करता है एक फसल खरीफ की तथा दूसरी रबी की । दोनों फसलों के बीच छै: माह का अन्तर होता है । इस छै: माह की अवधि में किसान के पास आय का कोई साधन नहीं होता है अत: अपने जीवन निर्वाह के लिए महाजनों से रुपया लेने को वह मजबूर होता है । महाजन लोग एक ओर तो किसानों से चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं और दूसरी ओर उनके अज्ञान से अनुचित लाभ उठाते हैं । अपढ़ किसान हिसाब को समझ न सकने के कारण उसे जीवनभर कई गुना अधिक रुपया देने पर भी पूरा नही कर पाते हैं ।

---

* शिक्षण विचार विनोबा

कर्ज़ के विषय में किसी ने ठीक ही कहा है कि भारतीय किसान कर्ज़ में जन्म लेता है कर्ज़ में रहता है और कर्ज़ में ही मरता है। ग्रामीण ऋण के निम्नांकित कारण हैं:-

:अ: भूमि पर जन संख्या का भार ।

:ब: पैतृक ऋण ।

:स: अनिश्चित खेती ।

:द: रोगों के कारण पशुओं की आकस्मात् मृत्यु ।

:य: लड़ाई झगड़े व मुकदमे बाजी ।

:फ: सामाजिक कुरीतियां ।

:क: निश्चित माल गुजारी और रुपयों में उसकी वसूली

:ख: अत्यधिक व्याज़ ।

:ग: किसान के रोग ।

ऋणग्रस्त होने का किसान के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है उसके मन में चैबीसों घन्टे चिन्ता बनी रहती है जिसके कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और उसकी कार्यकुशलता नष्ट हो जाती है। उसको इस बात में कोई रुचि नहीं रहती कि वह अपनी उत्पत्ति बढ़ाये। क्योंकि वह जानता है कि वह जो भी उत्पन्न करेगा वह उसके पास नहीं रहेगा। अपने परिश्रम का उसे कोई आनन्द नहीं मिलता अत: वह निराशावादी हो जाता है।

४- <u>सांस्कृतिक समस्या</u> :-

भारत वर्ष में जितनी अधिक धर्म जातियां और उपजातियां पाई जाती हैं उतनी विश्व के अन्य किसी देश में नहीं। समय के परिवर्तन और अज्ञानता के कारण लोगों का दृष्टिकोण संकीर्ण होता गया अत: संस्कृति में जड़ता आ गई। इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों में धर्मान्धता बढ़ी, साम्प्रदायिक झगड़े हुये और अच्छाईयों के स्थान पर दुर्गुण आते गये। उदाहरण के लिये हम हिन्दुओं के त्योहारों को ही लेलें। इन त्योंहारों में जो वैज्ञानिक दृष्टि कोण एवं मानवीय विचार निहित था वह अब कोई नहीं जानता है। वरन् इन त्योहारों के मनाने की इतनी दोष पूर्ण रीतियाँ प्रचिलित हो गई हैं कि जिनसे व्यक्ति और समाज दोनों का अहित होता है जैसे कि दीवाली के अवसर पर लोग जुवा खेलना आवश्यक मानने लगे हैं,

होली के पर्व पर कीचड़ उछालना, भद्दे गीत गाना, और लज्जा प्रति प्रदर्शन करने में लोग अपने को प्रगति वादी समझने लगे हैं । इन कुरीतियों के कारण समाज को धन और जन दोनों की हानि उठानी पड़ती है ।

५- शिक्षा की समस्या :-

हमारे ग्रामों में अधिकांश व्यक्ति अशिक्षित हैं । दीर्घ कालीन परतंत्रता के कारण उनकी अपनी पुरानी शिक्षा पद्धति का अंत हो गया है, उसके स्थान पर अंग्रेजों ने जो शिक्षा दी उससे ग्राम वासियों को बहुत भारी हानि उठानी पड़ी जिसका वर्णन करते हुये गांधी जी कहते हैं " अलग अलग धन्धे वाले लोग शिक्षा पाने के बाद अपना धन्धा छोड़कर नौकरी ढूढ़ने लग जाते हैं और नौकरी मिलते ही ऐसा समझ जाते है कि हम आगे बढ़ गये । हमारे स्कूलों में राज लुहार, बढ़ई दर्जी, मोची वगैरह जातियों के लड़के पढ़ते देखे जाते हैं । पर पढ़कर वे अपने आप दादों के धन्धों को आगे बढ़ाने के बजाय उसे बिल्कुल नीचा समझ कर छोड़ देते हैं और क्लर्की की नौकरी पाने में इज्जत समझते हैं ।" ※ इस प्रकार से जहां एक ओर हमारे गांव का विद्यार्थी-समाज वर्तमान शिक्षा प्रणाली से अनुचित मार्ग पर ले जाया जा रहा है वहां दूसरी ओर प्रौढ़ समाज अज्ञान के कारण अपने जीवन का समस्त आनन्द खोकर अवनति के गहन गर्त में गिरते जा रहे हैं । ग्राम वासी इतना तो जानते हैं कि उन्हें पानी चाहिये, भोजन चाहिए कपड़ा चाहिये और घर चाहिये । लेकिन वे इतना नहीं जानते कि उनका वह पानी शुद्ध होना चाहिये, उनके कपड़े साफ सुथरे होना चाहिये और उनका घर निरोगी तथा स्वच्छ होना चाहिये । वे नहीं जानते कि पानी, भोजन, वस्त्र और घर जितना अच्छा होगा जीवन का स्तर भी उतना ही उत्तम होगा । यदि उनकी आवश्यक चीजों में वांछित अच्छाईयां नहीं आती और न उनके ज्ञानमें वृद्धि होती है तो उनकी आय कितनी भी ज्यादा क्यों न बढ़ जाय । उन्हें कितनी अधिक से अधिक सहायता क्यों न दी जाय उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा । उदाहरण के लिये जहां कहीं भी सरकार ने अपनी ओर से ग्राम वासियों के रहने के लिये आदर्श मकान बनवाये हैं वहां पर-

---

※ " समालोचक ": गुजराती : अक्टूबर १६१६

लेकिन अज्ञान के कारण उनके द्वारा इन मकानों का इतनी बुरी तरह उपयोग हुआ है कि उनकी सारी सुन्दरता नष्ट हो गई है। अतएव आवश्यकता इस बात की नहीं है कि मकान ईंट सीमेन्ट के हों बल्कि इसकी है कि उनका अज्ञान मिटे और उनमें एक ऐसी सूझ बूझ पैदा हो जो फूस की झोपड़ियों को भी स्वच्छ नीरोग और कला पूर्ण बना दे।

५- बुनियादी शिक्षा और ग्राम पुनर्निर्माण का सम्बन्ध

अब हमें यहां विचार करना है कि बुनियादी शिक्षा को ग्राम पुनर्निर्माण के उत्तरदायित्व का भार वहन करने की क्या आवश्यकता है? शिक्षा के बारे में दो दृष्टि कोण हैं पहिला दृष्टि कोण व्यापक है जिसमें शिक्षा को जन्म से मृत्यु तक चलने वाली अखण्ड प्रक्रिया माना है अत: इसका क्षेत्र समस्त समाज तक विस्तीर्ण हो जाता है। दूसरा दृष्टिकोण संकीर्ण है जिसमें शिक्षा का सम्बन्ध बालक तक सीमित माना जाता है। यह दोनों दृष्टिकोण ग्राम पुनर्निर्माण के सिद्धान्त का समर्थन ही करते हैं, विरोध नहीं। क्योंकि अगर शिक्षा का सम्बन्ध बालक से है तो बालक का सर्वांगीण विकास तभी हो सकेगा जबकि उसके अभिभावक, पड़ोसी और गांव वाले प्रत्येक दृष्टिकोण से विकसित हों। बालक स्कूल में सीखता है और घर में रहता है, स्कूल में तो वह अधिक से अधिक पांच घन्टे ही रहता है उसके दिन का शेष समय घर और समाज में ही व्यतीत होता है। स्कूल की शिक्षा तब तक प्रभाव शाली सिद्ध नहीं हो सकती जब तक कि बालक के अभिभावक शिक्षित न हों। बालक की शिक्षा पर जो भी समय और पैसा खर्च होगा यदि उसकी उन्नति के सम्बन्ध में उसके माता पिता को अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान न होगा तो वह समस्त धन राशि नष्ट प्राय सी ही होगी। बालक को सारे सुखों से भरा हुआ घर देने वाले, उसकी रोज की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले, उसके स्वास्थ्य और आराम का ख्याल करने वाले, उसे नैतिक और आध्यात्मिक विकास की ओर उन्मुख करने वाले और उसके भविष्य को उज्जवल बनाने वाले उसके माता पिता ही हैं। अत: यदि बालक का सर्वांगीण विकास करना है तो उसके माता पिता का सर्वांगीण विकास उससे पहिले ही करना पड़ेगा। इसीलिये बुनियादी शिक्षा ने प्रौढ़ शिक्षा को अपना क्षेत्र माना है।

शिक्षा देने का काम आरम्भ में माता पिता ही करते हैं, फिर उन्हें अपने इस काम का भाव क्यों न हो ? हमारे राष्ट्र का भावी उत्कर्ष आज हम बालकों को जो तालीम दे रहे हैं उस पर निर्भर है । लेकिन आज के कितने माता पिता और पालक अपने बालकों की सच्ची आवश्यकताओं को समझते हैं और उनकी सर्वांगीण शिक्षा,- जिसे वास्तव में सर्वांगीण कहा जा सके - कि चिन्ता करते हैं ? आज तो जब अपने बालकों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझने और उसका निर्वाह करने वालों की संख्या उंगलियों पर गिनने लायक हैं तो अपने पड़ोसी के बालकों के प्रति अपना कर्तव्य समझने वालों की बात ही दूर रही । समाज के प्रत्येक सयाने का कर्त्तव्य है कि वह अपने समाज के प्रत्येक बालक की उन्नति का ख्याल रक्खे । यह तो नैसर्गिक सामाजिक उत्तरदायित्व है जिसका समाज के प्रत्येक वयो वृद्ध को अनुभव करना चाहिये । इसलिए बालकों की शिक्षा में माता पिता की शिक्षा का स्थान पहिला है ।

अभिभावक मातृत्व और पितृत्व के उत्तरदायित्व को जिस दृष्टि से ग्रहण करते हैं, उसे जितनी समझ बूझ के साथ व्योहार में लाते हैं, उन सब का बालक के प्रारम्भिकसंस्कारों और अनुभवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है । बालक को सुख दुख का अनुभव प्रारम्भ में अपनी मां के द्वारा होता है । उसे जो पोषक द्रव्य मिलते हैं और उसका जो शारीरिक विकास होता है वह उसकी मां उसे जितनी खुराक दे सकती है उस पर निर्भर है । उसकी सफाई उसका शरीर सम्बन्धी आराम यानी उसका सामान्य स्वभाविक विकास जितना उसकी मां को स्वास्थ्य के नियमों का ज्ञान होगा उसपरनिर्भर है । बालक के यथोचित मानसिक विकास के लिये उसेजितना संतोष चाहिए,+ जितना सुख चाहिये, जितनी स्वतंत्रता चाहिये यह बहुत कुछ उसके माता पिता जितनी उस बात को समझते होंगे तथा बालक को देते होंगे उस पर निर्भर है । उसके घर का वातावरण, उसके घर की कौटुम्बिक जीवन की समस्याएं और मौजूदा स्थिति आदि सब बातों का बालक के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है । इस लिए उन्हें अपने इस प्रभाव और उत्तरदायित्व की गुरु-ता का भान होना चाहिये ।

क्या कारण है कि आम तौर पर गरीब घर के बच्चों को स्वास्थ्य के प्रारम्भिक नियम या अपनी सफाई तथा निरोगता की साधारण बातों का भी ज्ञान नहीं होता क्योंकि उसे घर में बताना तो दूर रहा माता पिता के द्वारा बताने का विचार तक नहीं किया जाता। उसमें अच्छी आदतों का निर्माण हो, वह साफ सुथरा रहे, इसका किसी को ख्याल ही नहीं होता। उसका कारण ये है कि माता पिता खुद ही नहीं समझते कि उनके बालक को वे बातें जाननी चाहिये। आज जो बालक की आदतें बिगड़ी हुई हैं, वह ज्यादा खाता है, गन्दा रहता, समय से अपना काम नहीं करता, उसका कारण येह है कि खुद माता पिताओं को ही अच्छी आदतों, नियमित खान पान और साफ सुथरेपन का ज्ञान नहीं है। यही ज्ञान बुनियादी शिक्षा के व्दारा अभिभावकों को कराना है।

जिन घरों में बालकों की परवरिश होती है, आज तो वे घर स्वयं ही एक समस्या बने हुये हैं। जिधर देखो उधर कूड़ा-कर्कट और गन्दगी, जिधर जाओ उधर बीमारियां और उनकी छूत दिखाई देती है ऐसे घर तो बाल शिक्षण के कदापि योग्य नहीं हो सकते। अगर इन माताओं- पिताओं को देखें तो कल्पनातक नहीं की सकती कि उनके बच्चे भले आदमी बनेंगे या अपनी नागरिक जबावदारी को पहचानेंगे। आज तो ऐसी विषम परिस्थिति है कि बालकों की भावी और वर्तमान कल्यान की महान जबावदारी को न तो माता पिता लेने को तैयार हैं और न देहात का समग्र समाज ही।

बालकों को यह समझाने की आवश्यकता है कि उनका खुद का स्वभाव, आदतें, अपने पड़ोस वालों के साथ का बर्ताव, बालक के आचरण पर प्रभाव डालता है। बालक के मस्तिष्क में जो प्रारम्भिक छाप पड़ती है, उसका महत्व उसे समझना चाहिये और साथ ही साथ यह भी जानना चाहिये कि जो भी छाप पड़ती है वह बहुत कुछ उन्हीं की होती है। घर के बड़े बूढ़ों के कलह और अनमेल का बालक के मन पर बहुत ही घातक प्रभाव पड़ता है क्योंकि बालक को स्वस्थ्य एवं आनन्द मेंयवातावरण की आवश्यकता है और उस दांता किट किट से वह नष्ट हो जाता है। उन्हें यह भी जानना चाहिये कि बालक का जीवन क्रिया शील रहता है।

अत: उसे हिलने डुलने की, दुनियां में हर चीज़ की छान बीन करने की तथा उसके साथ प्रयोग करने की स्वतंत्रता चाहिए। इसके साथ साथ उन्हें यह भी जानना चाहिये कि उनके अत्यधिक लाड़-प्यार और स्वच्छन्दीपन से या अनावश्यक ताड़ना से वे बालक के विकास में बाधा पहुंचाते हैं।

बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है यह उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि बालक के घर, परिवार तथा गांव का सर्वांगीण विकास न होगा। क्योंकि अगर गांव में गन्दगी रहेगी, पानी सड़ेगा और मकान तथा भोजन स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित न होंगे तो निस्सन्देह ही गांव में बीमारियां बढ़ेंगी जिसके कारण पाठशाला के बच्चे बच न सकेंगे। वे भी बीमार होंगे, उनका भी स्वास्थ्य बिगड़ेगा और वे पाठशाला न आ सकेंगे। ग्रामों में छूत की बीमारियां बड़ी शीघ्रता से फैलती हैं क्योंकि एक ही पोखरे में गांव के सभी आदमी नहाते हैं कपड़ा धोते हैं और उसी पानीको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के काम में भी लाते हैं। गांव में आमतौर से एक ही कुंआ होता है जिसके पानी का पूरा गांव उपयोग करता है। इस कुंए में अपनी अज्ञानता के कारण गांव वाले अपने गन्दे बर्तनों को डुबाते हैं। इन्हीं कारणों से एक व्यक्ति की बीमारी गांव भर में फैल जाती है। चेचक आदि घातक बीमारियों से प्रति वर्ष गांव में सैकड़ों बच्चे मरते हैं। तथा अंग विकृत तो अधिकांश बच्चों के हो जाते हैं। अत: जब तक गांव स्वच्छ न होंगे और गांव वालों को स्वास्थ्य के नियमों का ज्ञान न होगा तब तक बालकों के स्वास्थ्य का निर्माण न हो सकेगा।

आज राष्ट्रीय सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है क्योंकि वह चाहती है कि देश के प्रत्येक बच्चे को बुनियादी शिक्षा मिले। इसीलिए गांव गांव में बुनियादी स्कूल खोलने की योजना बनाई गई है। किन्तु जिन ग्रामों में पाठशालायें खुल चुकी हैं वहां भवन, साज सज्जा तथा अध्यापक होने पर भी गांव के समस्त बच्चे तो क्या चौथाई बच्चे भी पढ़ने नहीं आते हैं।

जब गांव वालों से वहां के अध्यापक अपने बच्चे पाठशाला भेजने की बात करते हैं तो वे धनाभाव के कारण बालकों को पाठशाला भेजने में अपनी असमर्थता को बतलाते हुए स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं कि उनके बच्चे दिन में बैल चराते हैं, घास काटते हैं या कहीं मजदूरी पर निकल जाते हैं तब कहीं मुश्किल से उन्हें एक समय का भर पेट भोजन उपलब्ध होता है। कुछ स्थानों पर बालकों को पाठशाला न भेजने के अपराध में ग्रामीणों पर अनिवार्य शिक्षा एक्ट के अन्तर्गत आर्थिक दण्ड किया गया किन्तु फिर भी उन्होंने अपने बच्चे पाठशाला नहीं भेजे। अतः यदि ग्रामों के समस्त बच्चों को शिक्षित बनाना है तो उनके अभिभावकों की आय में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी। यही कारण है कि बेसिक शिक्षा में ग्रामीण उद्योगों के प्रोत्साहन को विशेष स्थान प्राप्त हुआ है।

हम चाहते हैं कि प्रत्येक बालक में प्रेम, करुणा, सहयोग और त्याग आदि अनेक मानवीय गुणों का निर्माण हो इसके लिये पाठशालाओं में बड़े बड़े प्रयत्न किये जाते हैं। किन्तु यह तब तक सम्भव नहीं हो सकता है जब तक कि प्रत्येक घर में और प्रत्येक गांव में सभी मनुष्य प्रेम और मेल से न रहते हों। आज गांव में दल बन्दियां और फूट तथा आपसी लड़ाई झगड़े हैं जिसके कारण आये दिन झगड़े होते रहते हैं। इन सब झगड़ों का प्रभाव बालकों पर पड़ता है। जब बालक अपने अभिभावकों को द्वेष की बातें करते हुए सुनते हैं और आपस में लड़ते हुए देखते हैं तो उनके मन में भी द्वेष की भावना बलवती होती है। अतः बालक का नैतिक उत्थान और सांस्कृतिक विकास करने के लिये उनके चारों ओर का वातावरण सुधारना होगा।

अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिये बुनियादी शिक्षा को ग्रामों का समग्र निर्माण करना अनिवार्य है।

६- बुनियादी संस्थायें और ग्राम पुनर्निर्माण

:अ: गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा को एक व्यापक अर्थ में लिया है । उनकी बुनियादी शिक्षा की संस्था चहार दीवारी के सीमित दायरे में बालकों को अमुक अवधि तक पुस्तकें रटाने मात्र तक सीमित नहीं है । वे अपनी बुनियादी शिक्षा की संस्था को समस्त ग्राम का जीवन केन्द्र बनाना चाहते हैं । चूंकि बुनियादी तालीम जीवन की तालीम है अत: गांव की एक भी समस्या ऐसी नहीं रह जाती है जिसको बुनियादी शिक्षा व्दारा हल न किया जा सके । इसलिये वे कहते हैं कि"आरम्भ से ही मैं यह मानता और कहता आया हूं कि विद्यापीठ का सच्चा काम तो गांव में है । वहां पर इन विद्या मन्दिरों में विद्यार्थी अव्वल दर्जे के पिंजारे, कतवये और जुलाहे बने, पहिले दर्जे की कपास की खेती जानने वाले हो, उन्हें देहात के काम आने वाला बढ़ई का काम आता हो, यानी उन्हें बढ़िया चर्खा बनाना आता हो, गाड़ी, हल, वगैरह बनाना न आता हो तो उनकी मरम्मत करना आता हो, वे गांव के लायक सीना - पिरोना जानते हों उनके मोती के दानों के जैसे अक्षर हों, वे साधारण लिखने की कला जानते हो, उनको देशी अंक जवानी याद हो, वे रामायण महा भारत वगैरह पुराने साहित्य और उसके आध्यात्मिक और आधुनिक अर्थों के जानकार हों, देहाती खेल जानते हों, तन्दुरुस्ती के कानून जानते हों, उन्हें घरेलू चिकित्सा अच्छी तरह आती हो यानी वे मामूली बीमारियों की जांच करने वाले और उनके इलाज करने वाले हों, वे गांव के घूरे, तालाब और कुंये वगैरह साफ करने की कला जानते हों, वगैरह वगैरह । गरज यह है कि इन विनय - मन्दिरों में इस तरह की शिक्षा दी जाय कि जिससे उनमें इतनी योग्यता आ जाय कि वे गांव की हर तरह से सेवा करने के लिये तैयार हो सके ।"* गांधी जी चाहते थे कि गांव गांव में बुनियादी तालीम की व्यवस्था हो और बुनियादी शिक्षा

---

*: नव जीवन, २७, ५, २८ , गांधी जी

संस्थाओं द्वारा समग्र ग्राम रचना के लिये कार्य हों। गांधी जी कहते थे कि बुनियादी शिक्षा द्वारा ही ग्रामों की दशा में सुधार होगा और वे आदर्श ग्राम बन जायेंगे। उनके सामने आदर्श भारतीय ग्राम का जो चित्र था उसका वर्णन उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार है :- " आदर्श भारतीय ग्राम इस तरह बनाया जाना चाहिये कि जिससे वे सम्पूर्णतया नीरोग रह सकें। उसके झोंपड़ों और मकानों में काफी प्रकाश और वायु का गुजर होना चाहिये, गांव ऐसी चीजों से बना होना चाहिये जो पांच मील की सीमा के अन्दर उपलब्ध हो सकती हो। हर मकान के आस पास, आगे पीछे इतना बड़ा सहन होना चाहिये कि जिसमें गृहस्थ अपने लिये शाक, भाजी लगा सके और अपने पशु रख सके। गांव की गलियों और रास्तों पर जहां तक सम्भव हो धूल नहीं होना चाहिये। आवश्यकतानुसार गांव में कुंऐ हों जिनसे गांव के सब आदमी पानी भर सकें। सबके लिये प्रार्थना घर या मन्दिर हों, सार्वजनिक सभा आदि के लिये एक अलग स्थान हो। गांव की अपनी गोचर भूमि हो, सहकारी तरीके की गोशाला हो, ऐसी प्राथमिक और माध्यमिक शालायें हो जिनमें औद्योगिक शिक्षा सर्व प्रधान रखी जाय। गांव के अपने मामलों का निपटारा करने को एक ग्राम पंचायत भी हो। अपनी आवश्यकताओं के लिये नाज, शाक, सब्जी, फल, खादी इत्यादि खुद गांव में ही पैदा हो। एक आदर्श गांव की मेरी अपनी यह कल्पना है।" * गांधी जी के इस कथन पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि ग्राम निर्माण के लिये धनराशि या बाहरी शक्तियों की आवश्यकता नहीं है वरन् ग्रामों में सुलभ साधनों के आधार पर तथा कुरीतियों एवं दोषों में सुधार करके ही ग्रामों का उत्थान किया जा सकता है।

:ब: विश्व भारती के अधिष्ठाता कवीन्द्र रवीन्द्र की मान्यता थी कि शिक्षालय की सार्थकता समाज सेवा में ही है। इसी से उन्होंने शांतिनिकेतन के साथ ही ग्रामोत्थान हेतु श्री निकेतन की स्थापना की थी।

---

* ग्राम सेवा पृष्ठ ५६- गांधी जी

वे चाहते थे कि विधालय कोरे दर्शन की दुहाई देकर केवल कल्पना लोक में विहार न करें। वरन् रचनात्मक कार्यों के द्वारा ग्रामों में उस दर्शन को कार्यान्वित करें। उनका कहना था कि अगर एक विधालय ने एक ही ग्राम की स्थिति को सुधार दिया तो उसने सही अर्थों में अपना कर्तव्य पालन किया है जैसा कि वे स्वयं लिखते हैं :- "हम को ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि गांव वालों के भीतर से ही एक ताकत पैदा हो, जो हमारे साथ साथ काम करती रहे - चाहे वह हमारे लिये अदृश्य भले ही रहे .... । मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें सारे देश के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं सारे देश की जिम्मेवारी नहीं ले सकता । मैं तो सिर्फ एक या दो छोटे छोटे गांवों को ही वश में करना चाहता हूं। हमें ग्रामवासियों के मन में प्रवेश पाना है। उनके साथ काम करने की ताकत हासिल करनी है। यह कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए कठोर आत्म संयम की जरूरत होगी। अगर मैं एक या दो ही गांवों को अज्ञान और दुर्बलता के बन्धनों से मुक्त कर सका तो छोटे पैमाने पर सारे भारत के लिये एक आदर्श का निर्माण होगा। हमारा उद्देश्य होना चाहिये, इन थोड़े से गांवों को सम्पूर्ण स्वतन्त्रता देना। सब ग्राम वासियों के लिए शिक्षा सुलभ होगी, आनन्द की वायु ग्राम के वायु मण्डल में चलती होगी, संगीत और भजन की आवाज़ गूंजती होगी। जैसा कि पुराने जमाने में होता था। इस आदर्श को थोड़े से ही गांवों में कार्यान्वित कीजिए तो भी मैं कहूंगा कि ये थोड़े से गांव मेरे भारत वर्ष हैं।" :*:

:स: बुनियादी शिक्षा पर विनोबा जी ने सेवा ग्राम में बड़ी गहराई से प्रयोग किए और अन्त में इस परिणाम पर पहुंचे कि पाठशालाओं को समाज का जीवन केन्द्र होना चाहिये। उनका कहना है कि बालक का ग्राम से अलग कोई अस्तित्व नहीं होता है अत: यदि बालक का समग्र निर्माण करना है तो उस गांव का भी समग्र निर्माण करना होगा। इसलिए वे कहते हैं कि :-

---

:*: माडर्न रिव्यू - रवीन्द्र नाथ

" गांव की शाला सेवा का केन्द्र होगी । गांव को औषधि देनी है तो वह स्कूल की मार्फत दी जायगी और लड़के उसमें मदद देंगे । गांव में सफाई करनी है तो शाला उसका केन्द्र बनेगी , और स्कूल के लड़के तथा शिक्षक गांव वालों की मदद करेंगे । गांव में अगर कोई झगड़े होते हैं तो उनका निर्णय करने के लिये भी लोग गांव के शिक्षक के पास पहुंचेंगे । गांव में कोई उत्सव करना है तो उसकी योजना भी शाला करेगी । इस तरह गांव का केन्द्र स्थान विद्यालय बनेगा । जो चीज़ गांव में है उसका विकास विद्यालय करेगा और जो चीज़ गांव में नहीं है उसकी स्थापना करेगा । खेती का महत्व है क्योंकि वह सारे देहात में चल रही है । बुनाई का महत्व है क्योंकि वह कहीं चल नहीं रही है । इस लिए विद्यालय के लोग खेती का विकास करेंगे और बुनाई की स्थापना करेंगे।*"

---

* विनोबा शिक्षण विचार पृष्ठ ११० - विनोबा जी

७. ग्राम पुनर्निर्माण हेतु कार्य-क्रम की रूप रेखा

-:०००:-

प्रत्येक ग्राम की अपनी अपनी समस्यायें होती हैं अत: कार्य-क्रम की कोई भी ऐसी निश्चित योजना नहीं दी जा सकती है जो समस्त ग्रामों में समान रूप से चलाई जा सके । एक बुनियादी पाठशाला अपने क्षेत्र में जिस समस्या को प्राथमिकता दे सकती है तो दूसरी पाठशाला उसी समस्या को अपने ग्राम की परिस्थिति के अनुसार साधारण मान सकती है । फिर भी कुछ ऐसे महत्व पूर्ण कार्य हैं जो समग्र ग्राम रचना के लिये अनिवार्य हैं जिन्हें प्रत्येक बुनियादी संस्था अपनी परिस्थिति के अनुसार कम या अधिक मात्रा में अपना सकती है । इनकी संक्षिप्त रूप रेखा निम्नांकित है ।-

१- स्वास्थ्य तथा हाईजीन का कार्यक्रम :- जैसे :-

१- ग्रामीणों को व्यक्तिगत सफाई के नियम बताने सम्बन्धी कार्य-क्रम
२- घरों की सफाई सम्बन्धी कार्य- क्रम
३- सड़कों की सफाई सम्बन्धी कार्य-क्रम
४- जलाशयों की सफाई सम्बन्धी कार्य-क्रम,
५- सार्वजनिक स्थानों की सफाई का कार्य-क्रम
६- भोजन में सुधार सम्बन्धी कार्य-क्रम
७- धूम्र पान की हानियां समझाने का कार्य क्रम
८- जल को शुद्ध रखने सम्बन्धी कार्य क्रम
९- नशीली वस्तुओं से होने वाली हानियां समझाने सम्बन्धी कार्य-क्रम ।

२- सांस्कृतिक उत्थान के कार्य-क्रम :- जैसे:-

१- महा पुरुषों की जयन्तियां :-

१- गांधी जयन्ती
२- विनोबा जयन्ती
३- तिलक जयन्ती
४- तुलसी जयन्ती
५- बुद्ध जयन्ती
६- महावीर जयन्ती

७- काली दास जयन्ती

२- राष्ट्रीय त्योहार :-

१- पन्द्रह अगस्त

२- २६ जनवरी

३-सर्वोदय दिवस

४- बाल दिवस

५- गांधी सप्ताह

६- बुनियादी शिक्षा सप्ताह

३- धार्मिक पर्व :-

१- राम नवमी

२- जन्माष्टमी

३- सरस्वती पूजन

४- गणेश चतुर्थी

५- होली

६- दशहरा

७- ईद

४- ग्रामों में कीर्तन भजन का कार्य-क्रम

५- ग्रामों में रामायण सभा का कार्य-क्रम

६- ग्रामों में नाटकों का आयोजन

७- लोक गीत व लोक नृत्य का कार्य-क्रम

३- प्रौढ़ शिक्षा का कार्य-क्रम :- जैसे :-

१- प्रौढ़ों को साक्षर बनाने का कार्य-क्रम

२- समाचार पत्र पढ़कर सुनाने का कार्य-क्रम

३- कृषि सम्बन्धी ज्ञान देने का कार्य-क्रम

४- पंचवर्षीय योजनाएं समझाने का कार्य-क्रम

५- गृह उद्योगों का ज्ञान देने का कार्य-क्रम

६- सरकारी विभागों की जानकारी देने का कार्य-क्रम ।

४- सामाजिक उत्थान के कार्य-क्रम :- जैसे:-

१- छोटी आयु में होने वाली शादियों की हानियां समझाने का कार्य-क्रम

२- पर्दा प्रथा के दोषों को समझाने का कार्य-क्रम

३- अन्ध विश्वास मिटाने हेतु कार्य-क्रम

४- जाति - पांति के झगड़ों को सुलझाने के कार्य-क्रम

५- ग्राम वासियों को लड़के और लड़की का समान महत्व समझाने हेतु कार्य-क्रम

६- स्वयं सेवक दल के कार्य-क्रम

आर्थिक विकास के कार्य-क्रम :- जैसे :-

१- गांव के लड़ाई झगड़ों को गांव में ही मिलकर सुलझाने सम्बन्धी कार्य-क्रम

२- अन्ध विश्वास के कारण होने वाली आर्थिक हानि से ग्रामीणों को बचाने का कार्य-क्रम

३- विवाह आदि अन्य उत्सवों पर अनावश्यक व्यय एवम् अपव्यय से होने वाली हानियों को समझाने का कार्य-क्रम

४- जाति बन्धन के कारण अपने हाथ से अपना कार्य न करने से होने वाली हानियों का ज्ञान कराना

५- फल वाले वृक्ष लगाने का कार्य

६- खेती में उन्नति हेतु नये नये तरीके समझाने का कार्य-क्रम

७- खाद बनाने का कार्य-क्रम

८- सहकारी समितियां बनवाने का कार्य-क्रम

९- गृह उद्योगों की उन्नति के कार्य-क्रम

-:-o-o-o-o-o-o-:-

निर्माण सम्बन्धी कार्य-क्रम :- जैसे :-

१- सड़कों के गढ्ढे भरने का कार्य-क्रम
२- कच्ची सड़कें बनाने का कार्य-क्रम
३ - पक्की सड़कें बनाने का कार्य-क्रम
४- पाठशाला भवन बनाने का कार्य-क्रम
५- पाठशाला भवन पर सफेदी कराने का कार्य-क्रम
६- सामाजिक कार्यों में निर्माण के समय श्रमदान करने का कार्य-क्रम
७- पाठशाला की चहार दीवारी बनाने का कार्य-क्रम
८- सोख्ता गढ्ढे बनाने का कार्य-क्रम
९- गन्दे पानी की नालियां बनाने का कार्य-क्रम ।

-:क्र-क्र-क्र-क्र-क्र-क्र-:-

खण्ड-ब

ऐतिहासिक सर्वेक्षण

-:o:-

१- " विन्ध्य प्रदेश में प्रगति "

विन्ध्य प्रदेश का निर्माण २ अप्रैल सन् १९४८ में ३५ छोटे तथा बड़े देशी राज्यों को मिलाकर किया गया । इस नए प्रान्त के निर्माण के साथ ही इसकी शासन व्यवस्था जनप्रिय मंत्रिमण्डल के हाथ में आ गई । यह कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि यह सम्पूर्ण क्षेत्र प्रत्येक दृष्टि कोण से पिछड़ा हुआ था क्योंकि राजाओं की नीति समाज की ओर से सदैव अनुदार रही है ।यहां की भूमि अन्य प्रान्तों की अपेक्षा कम उपजाऊ तथा अधिक बंजर है । यहां के निवासियों का मुख्य उद्यम खेती रहा है किन्तु खेती से पर्याप्त आय न होने के कारण उन्हें मजदूरी करना पड़ती थी। यहां के निवासी रवी की फसल काटने के लिए फागुन, चैत्र तथा वैसाख में सैकड़ों मील पैदल चल कर दूर दूर तक भटकते सहज ही देखे जा सकते थे । आवागमन के साधनों का यहां पर इतना अभाव था कि एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिये अच्छी कच्ची सड़के तक नहीं थी, रेलवे लाइन इसके कुछ बाहरी स्थानों को छूती हुई दूर से निकल गई है । यहां किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवसाय तथा कल कारखाना नहीं था, हांलाकि यहां के जंगलों और पहाड़ों में कच्चा माल व खनिज बहुत अधि मात्रा में भरा पड़ा है । शिक्षा के नाम पर राजधानियों तथा कुछ बड़े स्थानों में उगलियों पर गिनने योग्य विधालय थे । यहां के निवासियों में शिक्षा के प्रति कोई प्रेम नहीं था अत: विधालयों में बहुत ही कम विधार्थी पढ़ने जाते थे । प्रान्त निर्माण के समय यहां पर केवल ३ प्रतिशत व्यक्ति ऐसे थे जो केवल अपना नाम लिख सकते थे । संक्षेप में इतना कहना ही पर्याप्त है कि उस समय तक यहां सांस्कृतिक, राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, नैतिक व सामाजिक जागृति का कहीं कोई चिन्ह भी नहीं दिखाई देता था ।

प्रान्त निर्माण के पूर्व यहां पर शिक्षा की निम्नांकित संस्थायें थी :- १

क्रमांक	विद्यालयों का विवरण	संख्या
१	डिग्री कालेज़	२
२	इन्टर कालेज़	१
३	हाई स्कूल	१६
४	मिडिल स्कूल	१७३
५	प्राइमरी स्कूल	१९९६
६	बेसिक स्कूल	--
७	बेसिक प्रशिक्षण संस्था	--

उक्त तालिका से तत्कालीन शिक्षा की दयनीय स्थिति का स्पष्ट अनुमान सहज ही हो जाता है। यही कारण है कि यहां का अशिक्षित समाज़ किसी भी प्रकार की प्रगति न कर सका। वास्तव में नैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उत्थान में शिक्षा का सबसे महत्व पूर्ण योग होता है। अत: जनप्रिय सरकार ने आते ही यहां पर सबसे पहिले शिक्षा की व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। उस परम्परागत शिक्षा के प्रचार से साक्षरता का प्रचार तो हुआ किन्तु अन्य किसी प्रकार की प्रगति न हो सकी। तब सन् १९५२ से विन्ध्य सरकार ने बुनियादी शिक्षा को अपनाया और पहलीबार प्रत्येक जिले में एक मांडल बेसिक स्कूल खुला। इस प्रकार इस प्रान्त के ८ जिलों में ८ मांडल स्कूल खोले गये। इसी समय से इन बुनियादी पाठशालाओं की संख्या में प्रति वर्ष वृद्धि होने लगी जिसका वर्णन निम्नांकित तालिका में है :-

क्रमांक	नाम सत्र	बुनियादी पाठशालाओं की संख्या
१	५२-५३	८
२	५३-५४	६१
३	५४-५५	७२
४	५५-५६	१०५

१- " विन्ध्य प्रदेश स्ट इ ग्लांस " सूचना तथा प्रचार विभाग, विन्ध्य० से १९५५

बुनियादी पाठशालाओं को खोलने के साथ ही सरकार के समक्ष बुनियादी प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता समस्या बन कर आ गई । अतः प्रशिक्षित अध्यापकों की इस कमी को पूरा करने के लिये विन्ध्य प्रदेश की उदार सरकार ने सन् १९५२ में प्रकृति की सुरम्य, हरे ग्रामों से आवृत वनस्थली कुण्डेश्वर जिला टीकमगढ़ में हाई स्कूल पास विभागीय अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु एक बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण महा विद्यालय की स्थापना की । इस महाविद्यालय में ८ प्राइवेट अध्यापकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई तथा इन्हें प्रशिक्षण काल में सरकार की ओर से छात्र वृत्ति भी दी जाने लगी ।

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि विंध्य सरकार प्रतिवर्ष नए नए बुनियादी शिक्षालय खोलती गई । इन नए विद्यालयों को जब एक प्रशिक्षण महाविद्यालय पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षित अध्यापक न दे सका तब सन् १९५५ में मिडिल पास विभागीय अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु एक जूनियर बेसिक ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना राजगढ़ जिला छतर पुर में हुई । इस प्रकार अब प्रति वर्ष कुण्डेश्वर महा विद्यालय से सौ हाई स्कूल पास अध्यापक एवम् राजगढ़ विद्यालय से सौ मिडिल पास अध्यापक प्रशिक्षित होने लगे ।

इन प्रशिक्षित अध्यापकों ने बुनियादी पाठशालाओं में पहुंच कर थोड़े ही समय में पाठशालाओं को समाज का केन्द्र बना दिया। इन पाठशालाओं के प्रभाव से ग्रामों में नई चेतना का अनुभव होने लगा अतः विन्ध्य सरकार ने समस्त अध्यापकों कोबुनियादी शिक्षा में प्रशिक्षित कराने का निर्णय किया । इस निर्णय के अनुसार प्रान्त के दो परम्परागत प्रकार के प्रशिक्षण विद्यालयों को बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं में परिवर्तित कर दिया ।उनमें से एक संस्था छतरपुर में थी जो एच०टी०सी० की उपाधि देती थी तथा दूसरी रीवा में थी जो सी०टी० के प्रशिक्षण हेतु थी । इसके परिवर्तन के साथ ही सन् १९५६ में चार नये बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना हुई । इन समस्त बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना का विस्तृत विवरण निम्नांकित तालिका में अंकित है :-

तालिका

क्रमांक	सत्र	संस्था का नाम	विवरण
१	५२-५३	वेसिक ट्रेनिंग कालेजकुंडेश्वर	हाई स्कूल पास, वि०अ०केलिए
२	५५-५६	वेसिक ट्रेनिंग स्कूलराजगढ़	मिडिल पास ,, ,, ,,
३	५६-५७	,, ,, ,, छतरपुर	,, ,, ,, ,,
४	५६-५७	,, ,, ,, रीवा	,, ,, ,, ,,
५	,,	,, ,, ,, सतना	,, ,, ,, ,,
६	,,	,, ,, ,, शहडोल	,, ,, ,, ,,
७	,,	,, ,, ,, दतिया	,, ,, ,, ,,
८	,,	रामानुज वे०ट्रे०का० रीवा	हाई स्कूल पास, ,, ,,

इस प्रकार १६५६ तक आठ जिलों वाले छोटे से प्रदेश में आठ बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना हो गई, इनसे पर्याप्त मात्रा में प्रति वर्ष प्रशिक्षित अध्यापक विभाग को मिलने लगे। प्रत्येक उक्त प्रशिक्षण संस्था में १०० विभागीय अध्यपकों को प्रति वर्ष प्रशिक्षित किया जाने लगा अत: सन् १६५६ से एक साल में ८०० अध्यापक जिनमें २०० हाई स्कूल पास तथा ६०० मिडिल पास अध्यापकों को प्रशिक्षण मिलने लगा।

विन्ध्य प्रदेश सरकार ने बुनियादी शिक्षा को " जीवन की शिक्षा " के रूप में ही ग्रहण किया और इसके पाठ्य क्रम में समस्त जीवनात्मक सिद्धान्तों को स्थान दिया। विन्ध्य प्रदेश की ६५ प्रतिशत जन संख्या ग्रामों में निवास करती है अत: आरम्भ से ही कुण्डेश्वर महाविद्यालय तथा राजगढ़ विद्यालय की स्थापना ग्रामों में की। समस्त प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्य क्रम प्रशिक्षणार्थियों के लिये ग्रामों का सैद्धान्तिक अध्ययन एवं व्यवहारिक रचनात्मक कार्य को अनिवार्य बनाया ताकि प्रत्येक अध्यापक को ग्रामों की स्थिति समझने और उनमें कार्य करने का अनुभव भी प्रशिक्षण काल में ही प्राप्त हो सके। इनके पाठ्य क्रम में " ग्राम पुनर्निर्माण " का विषय अन्य विषयों की भांति रखा गया, जिसका संक्षिप्त - पाठ्य क्रम परिशिष्ट १ पर अंकित है। इस विषय का पांचवा प्रश्नपत्र होता था। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी

को अध्ययन काल में रचनात्मक कार्य हेतु एक ग्राम सर्वेक्षण करके योजना तैयार करना पड़ती थी और वह अपने प्रशिक्षण काल में ही उस निकट वर्ती ग्राम में अपनी योजना को कार्यान्वित करता था। इस रचनात्मक कार्य के मूल्यांकन के आधार पर ही प्रशिक्षणार्थी का परीक्षा फल बनाया जाता था। प्रशिक्षणार्थी संस्था के निकट वर्ती ग्रामों को अपना प्रयोग क्षेत्र मानकर पुनर्निर्माण का कार्य करते थे वे अपनी प्रशिक्षण अवधि में ग्रामों में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, रात्रि पाठशालायें, कीर्तन - भजन मण्डल, रामायण सभा, मनोरंजन समिति, नाटक व प्रहसन मण्डल आदि के कार्यों का आयोजन करते थे। आवश्यकता पड़ने पर सामूहिक रूप से सड़कों का निर्माण जिसमें कच्ची व पक्की दोनों प्रकार की सड़कें सम्मिलित थी, किया जाता था। पाठशाला भवन, महिला भवन, बाल उद्यान, कुआं, पेशाब घर, खाद के गड्ढे, गन्दे पानी की नालियां आदि का ग्राम वासियों के सहयोग से निर्माण करके बुनियादी शिक्षा को सार्थक बनाया। प्रशिक्षण संस्थाओं के सहयोग से ग्रामों में उद्योगो का संचालन हुआ और ग्राम वासियों की आय में कृषि तथा उद्योगो की उन्नति के द्वारा वृद्धि हुई।

विन्ध्य सरकार की मान्यता थी कि शिक्षा द्वारा ही समाज का उत्थान हो सकता है अत: उसने समाज शिक्षा को शिक्षा विभाग के साथ ही शिक्षा संचालक के अधीन रक्खा। समाज शिक्षा का कार्य करने के लिये पृथक से कोई अधिकारी नहीं थे वरन् प्रत्येक जिले में जिला विद्यालय निरीक्षक ही उसका संचालन करता था। और पाठशालाओं के अध्यापक अपने अपने ग्रामों में रात्रि पाठशालायें तथा प्रौढ़ पाठशालायें चलाते थे उन्हें विभाग की ओर से सहायक सामग्री तथा पारिश्रमिक प्रदान किया जाता था। इस प्रकार प्रान्त भर में शिक्षकों द्वारा ग्राम पुनर्निर्माण के महान कार्य में यथा शक्ति योग दान दिया गया।

समस्त बुनियादी शिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थाएं ग्रामों के समग्र निर्माण के लिये चतुर्दिक प्रयत्न कर रही थी, उनके इस प्रयत्न में सहायता एवं मार्ग दर्शन देने हेतु विन्ध्य सरकार ने एक विशेषज्ञ अधिकारी की नियुक्ति २०० - १० - ३०० के वेतन मान में

करने का निर्णय दिनांक ६ फरवरी सन् १९५३ को किया, उस निर्णय का सारांश निम्नांकित है :-

"To important the above manual labour scheme Government have further been pleased to sanction the creation of a post of a planning officer in the scale of Rs 200/10/300 in the Education Department and other expenditure as noted below. The duties of the planning officer will be to give technical advise and assistance in the formation of plans in each institution besides supervising and popularising the Manual work among the students."

(Extract of the V. P. Govt. order No. 93 -..... Development and social Sevices Department , Education Section ...)

****

इस योजना अधिकारी की नियुक्ति तथा समाज शिक्षा को शिक्षा का अंग मानने से बुनियादीसंस्थाओं को ग्राम पुनर्निर्माण के कार्य में बहुत अधिक सहायता मिली । इसके अतिरिक्त विभाग की ओर से समाज सेवा शिविर, श्रमदान पखवारा, स्वच्छ ग्राम अभियान आदि के आयोजनों हेतु बुनियादी संस्थाओं को समय समय पर आदेश प्रसारित होते रहे । इन आदेशों के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षकोंने अपने अपने जिले में बुनियादी पाठशालाओं को विस्तृत योजना देकर मार्ग दर्शन दिया । उदाहरण के लिये " गांधी पखवारा " के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक टीकमगढ़ व्दारा दिनांक ३०-९-५५ क्रमांक ३२१३७-६० के व्दारा प्रसारित कार्य क्रम का संक्षेप में उल्लेख नीचे किया जाता है :-

१- नित्य प्रभात फेरी तथा ग्रामों की सफाई करना ।

२- जिन पाठशालाओं में निर्माण कार्य चल रहा हो उसमें अध्यापक तथा छात्र दो घंटे प्रति दिन श्रम दान करेंगे ।

३- जिन पाठशालाओं का फर्श कच्चा है उसमें रोड़ा कुटवा कर छाप कराई जाय ।

४- पाठशाला के चारों ओर सफाई कराई जाय ।

५- पिछली साल जिन सड़कों पर श्रम दान किया गया था उनकी मरम्मत की जाय ।

६- वन महोत्सव के समय लगाये गये पेड़ों की रक्षा का प्रबन्ध करना ।

७- छात्रों के खेल के मैदान तैयार करना ।

८- सड़कों के किनारे वाले स्कूलों में स्कूल से सड़क तक ६ फीट चौड़ी सड़क बनाई जाय ।

९- बालकों तथा व्यक्तियों को श्रमदान का महत्व समझाया जाय ।

उक्त आदेश के सम्बन्ध में इतना उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है कि गांधी पखवारे के अवसर पर २ अक्टूबर से१७ अक्टूबर तक जिले की संस्थाओं व्दारा १५ दिन में जो कार्य हुआ उसका मूल्यांकन जिला विद्यालय निरीक्षक ने ३२५२५ रु० ७ आने की धन राशि का किया था। उदाहरण के लिये जिला विद्यालय निरीक्षक टीकमगढ़ के व्दारा उच्च कार्यालय को भेजे गये पत्र क्रमांक २२४७ जी०ब० दिनांक ८-९-५६ का सारांश निम्नांकित है :-

२ अक्टूबर सन् १९५५ से १७ अक्टूबर ५५ तक मनाये जाने वाले श्रमदान पखवारे सप्ताह में पाठशाला भवन निर्माण कार्यों में तथा अन्य अवसरों पर किये गये विभिन्न कार्यों में जो श्रमदान छात्रों व्दारा हुआ उसकी दो सूचिया निम्न अनुसार प्रेषित हैं :-

१- श्रम दान ------------------११०२५ रु०७ आ०

२- भवन निर्माण, मैदान की सफाई अन्य कार्यों का चन्दा -------- २१५०० रुपया ।

नोट:- इस कार्य का विस्तृत विवरण परिशिष्ट क्रमांक २ पर संलग्न है ।

उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि विन्ध्य प्रदेश में बुनियादी शिक्षा के प्रसार के साथ साथ ग्राम पुनर्निर्माण के कार्य क्रम में भी सतत अभिवृद्धि होती रही है ।

२- "मध्य प्रदेश में प्रगति"

-:o:-

सन् १९५७ में भोपाल, मध्य भारत, महाकौशल सिरोंज तथा विन्ध्य प्रदेश को मिला कर एक नये प्रान्त का निर्माण हुआ जिसका नाम मध्य प्रदेश रक्खा गया । इस नये प्रान्त के निर्माण के साथ ही बुनियादी शिक्षा में एक नई चेतना आयी । शिक्षा मंत्री माननीय डा० शंकर दयाल जी शर्मा ने घोषणा की कि प्रान्त के ६ वर्ष से १४ वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क बुनियादी शिक्षा की

व्यवस्था की जायगी । इतने बड़े प्रान्त के समस्त बच्चों को बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था करने की घोषणा का कार्य बड़े साहस का था क्योंकि एक ओर प्रान्त में जो परम्परा गत पाठशालायें चल रहीं थी वे संख्या में बहुत अधिक थी अतः उनको बुनियादी पाठशालाओं में परिवर्तित करने के लिये अधिक धन व प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता थी, तथा दूसरी ओर नई बुनियादी पाठशालाओं के खोलने का प्रश्न था जिनके लिये भी बड़ी संख्या में अध्यापकों व धन की आवश्यकता थी । इन समस्याओं को हल करने के लिये निम्नांकित क्रांति कारी प्रयत्न किये गये :-

१- परम्परागत प्राथमिक पाठशालाओं को बुनियादी पाठशालाओं में परिवर्तित करने के लिये - श्री डा० जी० राम चन्द्रन के नवीनी करण की योजना को पाठ्य क्रम में स्थान देकर उसे समस्त पाठशालाओं के लिये अनिवार्य बना दिया ।

२- समस्त परम्परागत पाठशालाओं में वहीं पाठ्य क्रम चलाया जो बुनियादी पाठशालाओं में चलता था ।

३- अप्रशिक्षित अध्यापकों के लिये अल्पकालीन प्रशिक्षण तथा विचार गोष्ठियों की व्यवस्था की गई ।

४- सन् १९५८ से बुनियादी शिक्षा के प्रचार तथा प्रसार एवं जनप्रिय बनाने हेतु बुनियादी शिक्षा सप्ताह का आयोजन होने लगा ।

५- प्रत्येक शिक्षक प्रशिक्षण संस्था को बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण संस्था बना दिया गया ।

६- चारों सम्भागों की प्रशिक्षण संस्थाओं में समानता लाने हेतु नवीन पाठ्य क्रम का निर्माण हुआ ।

७- बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्य करने वाले अध्यापकों के मार्गदर्शन हेतु " अध्यापक निर्देशिका " बनी ।

८- विभागीय अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये नये बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय तथा महाविद्यालय खोले गये ।

९- शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिये अधिक अध्यापकों की आवश्यकता थी अतः नये व्यक्तियों के प्रशिक्षण हेतु कई बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था की गई ।

१०- माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु स्नातकोत्तर बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना हुई।

नए प्रान्त की प्रगतिशील सरकार द्वारा सन् १९५६ से सन् १९६१ तक होने वाली शिक्षा की प्रगति निम्न सारणी से स्पष्ट हो जाती है :-

क्र० सं०	संस्थायें	सन् १९५६ संस्थाओं की संख्या	सन् १९५६ विद्यार्थियों की संख्या	सन् १९६१ संस्थाओं की संख्या	सन् १९६१ विद्यार्थियों की संख्या
१	२	३	४	५	६
१	प्राथमिक	२२७८१	१३९८१२०	३१०००	१९९६२३०
२	माध्यमिक	१६०४	१६९०००	२५००	३०००००
३	उच्च, उच्चतर तथा बहु उद्देशीय माध्यमिक शाला ---	४२१	५०,०००	७५३	८३०५०
४	प्रशिक्षण विद्यालय : प्राथमिक शिक्षा के लिये :	४४	४२२५	१०४	११०००
५	प्रशिक्षण महाविद्यालय : स्नातक शिक्षकों के लिये -	६४१८ : २० :	बी०एड०: ४१८ एम०एड० : २०	११	१२४६बी०एड ६०एम०एड
६	महा विद्यालय	२८	९४४६	७६	२०४९५
७	विविध शिल्प कला मन्दिर	७	६८५	१३	१५६०
८	अभियान्त्रित महा विद्यालय	२	१४५	६	८९०
९	शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय	१	६०	१	१००
१०	विश्व विद्यालय	१	...	४	...

"शिक्षा मंत्री डा० शंकर दयाल शर्मा ने प्रथम बुनियादी शिक्षा संगोष्ठी के अवसर पर सन् १९५८ में सीहोर में अपना संदेश प्रसारित करते हुए कहा था कि प्रत्येक बुनियादी प्रशिक्षण तथा शिक्षण संस्था को अपने निकटवर्ती ग्रामों को अपना कार्य क्षेत्र मान कर उनके निर्माण हेतु प्रयत्न करना चाहिये।

उनके इस संदेश के आधार पर बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम में ग्राम पुनर्निर्माण के कार्यक्रम को स्थान मिला, जिसके फल स्वरूप प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को ग्रामों में जाकर सफाई, श्रम दान, निर्माण, प्रौढ़ों को साक्षर बनाना, सांस्कृतिक उत्थान हेतु नाटक प्रहसन तथा लोक गीत लोकनृत्य आदि के कार्यों को अनिवार्य बना दिया गया है। प्रत्येक वर्ष बुनियादी शिक्षा सप्ताह के अवसर पर बुनियादी संस्थायें ग्राम शिविर का आयोजन करती है जिसमें सम्पूर्ण प्रशिक्षणार्थी चार भागों में विभक्त होकर चार अलग अलग ग्रामों में सात दिन तक शिविर लगाते हैं और पाठ्य क्रम के आधार पर ग्राम पुनर्निर्माण का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। पाठ्य क्रम के उस अंश का विस्तृत उल्लेख परिशिष्ट क्रमांक ३ में किया गया है।

बुनियादी शिक्षा व्दारा ग्राम पुनर्निर्माण के कार्य क्रम को प्रोत्साहन देने हेतु विभाग ने दो सप्ताहों को " ग्रामोत्थान - सप्ताह " के रूप में ही मान लिया है। उनमें से बुनियादी शिक्षा सप्ताह दिनांक दो अक्टूबर से 0 अक्टूबर तथा बुनियादी शिक्षा सप्ताह २० जनवरी से २६ जनवरी तक प्रति वर्ष मनाया जाता है। इन सप्ताहों के लिये विभाग से शिक्षा संस्थाओं को कार्य क्रम की एक विस्तृत योजना प्रसारित की जाती है जिनमें ग्राम सुधार, उद्योग प्रचार, पाठशाला सुधार, श्रम-दान तथा बुनियादी शिक्षा प्रचार आदि के कार्यों को प्रमुख स्थान दिया जाता है। बुनियादी शिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थायें इन अवसरों पर प्रचार तथा निर्माण कार्यों के साथ साथ कीर्तन, भजन, रामायण सभा, नाटक, प्रहसन तथा लोक गीत लोक नृत्य आदि के आयोजन ग्रामों में करती हैं। उपरोक्त दोनों सप्ताहों के सम्बन्ध में विभाग से प्राप्त आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट क्रमांक ४ पर संलग्न हैं।

हम पहले लिख चुके हैं कि सन् १९५६ तक विन्ध्य प्रदेश सरकार ने इस छोटे से संभाग में ८ बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थायें खोली थी किन्तु जब सन् १९५७ में मध्य प्रदेश सरकार ने अनिवार्य बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त को अपनाने की घोषणा की तो बुनियादी प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता का प्रश्न

सर्व प्रथम सामने उपस्थित हुआ, अत: सन् १९५७ से १९६१ तक इस छोटे से संभाग में ९ बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई, जिनमें १ स्नातकोत्तर बुनियादी प्रशिक्षण महा विद्यालय, चार हाई स्कूल पास प्राईवेट व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिये तथा ४ मिडिल पास विभागीय अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु थे। निम्नांकित तालिका से प्रशिक्षण संस्थाओं की प्रगति का स्पष्टीकरण हो जाता है :-

क्रमांक	नाम सत्र	संस्था का नाम	विवरण
१	१९५७-५८	बेसिक ट्रेनिंग स्कूल निवाड़ी	मिडिल पास वि०अ०हेतु
२	,,	अजय गढ़	,,
३	,,	सीधी	,,
४	,,	मऊ गंज	,,
५	१९५९-६०	बे०ट्रे०कालेज ओरछा	मैट्रिक पास प्राई०अ०हेतु
६	,,	,, रीवा	,,
७	,,	,, शहडोल	,,
८	१९६०-६१	,, लक्ष्मीपुर	,,
९	१९५६-५७	स्नातकोत्तर म०विद्यालय रीवा	विभागीय स्नातक अ० हेतु

इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक ओर मध्य प्रदेश में बुनियादी शिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या में बड़ी द्रुत गति से वृद्धि हुई और दूसरी ओर ग्राम पुनर्निर्माण कार्य-क्रम को सरकार ने बुनियादी शिक्षा का एक आवश्यक अंग ही बना दिया, जिसके कारण समस्त बुनियादी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थायें अपने अपने क्षेत्र में ग्राम पुनर्निर्माण के कार्य का संपादन कर रही हैं।

इससे सिद्ध है कि बुनियादी शिक्षा द्वारा ग्राम पुनर्निर्माण का कार्य जो इस क्षेत्र में सन् १९५२ से प्रारम्भ हुआ था आज भी चल रहा है तथा उस समय की अपेक्षा उसकी गति स्वम् क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

-:000:-

चतुर्थ - अध्याय

बुनियादी पाठशालाओं से प्राप्त समंक एवम् उनका विश्लेषण

हम पिछले अध्याय में अध्ययन कर चुके हैं कि तत्कालीन विन्ध्य प्रदेश सरकार तथा वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार ने ग्राम पुनर्निर्माण के कार्यों को बुनियादी शिक्षा का अभिन्न अंग माना है। इसकी कार्यान्विति हेतु समस्त संभावित प्रयत्न हुये हैं तथा आज भी हो रहे हैं । बुनियादी शिक्षा के इस ऐतिहासिक सर्वेक्षण के पश्चात् ग्राम पुनर्निर्माण के सम्पादित कार्यक्रमों के शोध की आवश्यकता प्रस्तुत हो जाती है।

अत: इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु विन्ध्य संभाग की बुनियादी पाठशालाओं द्वारा सन् १९५२ से सन् १९६१ तक ग्राम - पुनर्निर्माण में योगदान हेतु आयोजित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने लिये २४६ बुनियादी पाठशालाओं तथा तीन सीनियर बेसिक स्कूलों में प्रश्नावली भेजी गई । उनमें से १२६ संस्थाओं ने प्रश्नावली को भर कर वापिस किया । इन प्रश्नावलियों को भेजने वाली बुनियादी संस्थायें इस संभाग के ७ जिलों में यत्र तत्र विद्यमान हैं । इस प्रकार ५१.२ प्रतिशत बुनियादी पाठशालाओंके कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त हुई जो अध्ययन के लिये पर्याप्त कही जा सकती है । इन प्रश्नावलियों के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि कुछ संस्थाओं के समंक ठीक नहीं हैं अत: यथार्थता तक पहुंचने व प्राप्त जानकारी को प्रमाणित करने हेतु विभिन्न जिलों की २२ बुनियादी पाठशालाओं का सर्वेक्षण किया, ४७ व्यक्तियों से साक्षात्कार किया, तथा ४जिला विद्यालय निरीक्षकों से मिलकर आलेखों का अवलोकन किया । संस्थाओं द्वारा सम्पन्न किये निर्माण कार्यों को देखा तथा विद्यार्थियों एवं सहायक अध्यापकों से विचार विमर्श किया । इस प्रकार समंको को प्रमाणित करने के पश्चात् इस अध्याय में उनका विश्लेषण किया गया है ।

[redacted]

बुनियादी पाठशालाओं से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण

-: स्वास्थ्य तथा हाईजीन का कार्य क्रम :-

तालिका क्रमांक -१

सन् १६५२ से इस सम्भाग की बुनियादी संस्थायें ग्राम पुनर्निर्माण हेतु प्रति वर्ष अनेक प्रकार के कार्य क्रम आयोजित करती हैं। उनसे प्राप्त जानकारी में से यहां पर उल्लेखनीय सन् १६५२, ५७ ५८ व ६१ में स्वास्थ्य तथा हाईजीन के कार्यों को सम्पन्न करने वाली बुनियादी पाठशालाओं की संख्या का प्रतिशत निम्नांकित तालिका में अंकित किया गया है :-

क्र०	सम्पादित कार्यों के नाम	सन् १६५२ में करने वाली संस्थाओं का प्रतिशत	सन् १६५७ में करने वाली संस्थाओं का प्रतिशत	सन् ५८ में करने वाली संस्थाओं का प्रतिशत	सन् १६६१ में करने वाली संस्थाओं का प्रतिशत
१	ग्रामीणों को व्यक्तिगत सफाई के नियम बताने का कार्यक्रम	-	३३.६	६०.८	७६.८
२	घरों की सफाई सम्बन्धी कार्यक्रम	-	३२.८	३६	७३.६
३	सड़कों की सफाई सम्बन्धी कार्यक्रम	-	२४	४०.८	५२.८
४	जलाशयों की सफाई का प्रयास	-	२८	३६.२	५७.६
५	सार्वजनिक स्थानों की सफाई	-	२०.८	४०.	६०.८
६	भोजन में सुधार के प्रयास	-	१६.२	२८	५६.२
७	धूम्र पान की हानियां समझाने का कार्यक्रम	-	२५.६	४६.४	६५.६
८	जल को शुद्ध रखने के प्रयास	-	२१.६	३६.८	६०.८
९	नशीली वस्तुओं की हानियां समझाने के कार्यक्रम	-	२३.२	२६.४	७१.२

इस तालिका के विश्लेषण से निम्नांकित बात स्पष्ट होती है ।

१- सन् १९५२ में स्वास्थ्य तथा हाईजीन के कार्य क्रम को कोई भी संस्थायें ग्रामों में नहीं करती थी । किन्तु सन् १९६१ में इस कार्य को बहुत अधिक संस्थाये करने लगी ।

२- सन् १९६१ में अन्य कार्यों की अपेक्षा व्यक्तिगत सफाई के नियम समझाने सम्बन्धी कार्य क्रम को सबसे अधिक संस्थाओं ने सम्पन्न किया है ।

३- सन् १९६१ में सड़कों की सफाई करने के कार्य को सबसे कम बुनियादी पाठशालाओं ने किया है ।

४- सन् १९५८ में स्वास्थ्य तथा हाईजीन के प्रत्येक कार्य को करने वाली संस्थाओं की संख्या बहुत अधिक वृद्धि हुई है । जैसे कि सार्वजनिक स्थानों की सफाई का काम सन् १९५७ में केवल २८.८ प्रतिशत संस्थाऐं करती थी । किन्तु सन् १९५८ में इसी कार्य को ४० प्रतिशत संस्थायें करने लगी ।

५- भोजन की उत्तमता पर स्वास्थ्य निर्भर होता है । अत: ग्राम वासियों के भोजन में सुधार करने का कार्य बहुत ही महत्व पूर्ण है किन्तु उक्त तालिका से विदित होता है कि इस कार्य को केवल ५९.२ प्रतिशत बुनियादी पाठशालायें ही ग्रामों में करती है; जबकि व्यक्तिगत सफाई के नियम समझाने के कार्य को ७९.८ प्रतिशत संस्थायें करती हैं ।

तालिका क्रमांक - २

निम्नांकित तालिका दो बातों को स्पष्ट करती है :-

१- कितने प्रतिशत बुनियादी पाठशालायें किस कार्य को सबसे अधिक करती हैं ।

२- कितनी प्रतिशत संस्थाओं के विद्यार्थी तथा क्षेत्रीय ग्राम निवासी किस कार्य में अधिक रुचि रखते है ।

क्रमांक	कार्यों का विवरण	कितने प्रतिशत संस्थायें किस काम को सर्वाधिक करती हैं	कितने प्रतिशत संस्थाओं के विद्यार्थी किस काम में सबसे अधिक रुचि लेते हैं	कितने प्रतिशत संस्थाओं के क्षेत्रीय ग्राम वासी किस कार्य में सर्वाधिक रुचि लेते हैं।
१	ग्रामीणों को व्यक्तिगत सफाई के नियम बताने का कार्यक्रम	३६	२७.२	२६.८
२	घरों की सफाई सम्बन्धी कार्यक्रम	१४.४	४.०	१६.८
३	सड़कों की सफाई सम्बन्धी कार्यक्रम	८.८	११.२	६.४
४	जलाशयों की सफाई	८.८	१३.६	९.६
५	सार्वजनिक स्थानों की सफाई	१९.२	२३.२	२६
६	भोजन में सुधार के प्रयास	१.६	४	७.२
७	धूम्रपान की हानियां समझाने का कार्यक्रम	४.८	४.८	-
८	जल को शुद्ध रखने के प्रयास	२.४	७.२	४.८
९	नशीली वस्तुओं की हानियाँ समझाने का कार्यक्रम	४	४.८	२.४
		१००	१००	१००

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से निम्नांकित तथ्य स्पष्ट होते हैं :-

१- अन्य कार्यों की अपेक्षा व्यक्तिगत सफाई के नियम समझाने के कार्य को सबसे अधिक संस्थायें करती हैं तथा इसी कार्य में विद्यार्थियों

एवं ग्राम वासियों की रुचि भी अन्य कार्यों की अपेक्षा सबसे अधिक है ।

२- सार्वजनिक स्थानों की सफाई का कार्य भी अधिक संस्थायें करती हैं तथा उक्त कार्य के पश्चात् इसी कार्य में ग्रामवासियों एवं विद्यार्थियों की सबसे अधिक रुचि है है ।

३- भोजन में सुधार करने हेतु बहुत कम संस्थाये प्रयास करती हैं तथा इस कार्य में शिक्षार्थियों एवं ग्राम वासियों की सबसे कम रुचि है ।

४- धूम्र पान से ग्राम वासियों को हानियां समझाने के कार्य को केवल ४.८ प्रतिशत पाठशालाओं ने ही किया है । तथा इस कार्य में ग्राम वासियों की किंचित मात्र भी रुचि नहीं है । इसीसे इस कार्य का परिणाम ० प्रतिशत रहा है ।

-:ooo:-



२- सांस्कृतिक उत्थान के कार्यक्रम

तालिका क्रमांक-३

सन् १९५२ से इस सम्भाग की बुनियादी संस्थायें ग्राम पुनर्निर्माण हेतु प्रतिवर्ष अनेक कार्यक्रम आयोजित करती हैं। उनसे प्राप्त जानकारी में से यहां पर उल्लेखनीय सन् १९५२, ५७, ५८ व ६१ में सांस्कृतिक उत्थान के कार्यों को सम्पन्न करने वाली बुनियादी पाठशालाओं की संख्या प्रतिशत में नीचे अंकित की गई है:-

क्र०	संपादित कार्यों का नाम	सन् १९५२ में करने वाली संस्थाओं का प्रतिशत	सन् १९५७ में करने वाली संस्थाओं का प्रतिशत	सन् १९५८ में करने वाली संस्थाओं का प्रतिशत	सन् १९६१ में करने वाली संस्थाओं का प्रतिशत
१ महापुरुषों की जयंतियां	१ गांधी जयन्ती	-	४२.४	६६.६	९६
	२ विनोबा जयन्ती	-	१४.४	२८	७४.४
	३ तिलक जयन्ती	-	१९.२	३७.६	५४.४
	४ तुलसी जयन्ती	-	२८.८	५०.४	६८.८
	५ बुद्ध जयन्ती	-	८.८	२४.	४५.६
	६ महावीर जयन्ती	-	८.८	२६.४	३९.६
	७ कालिदास जयंती	-	७.२	१४.४	२८.८
२ राष्ट्रीय त्योहार	१ पंद्रह अगस्त	-	३२.८	६१.६	९८.४
	२ २६ जनवरी	-	४१.२	६०.८	६२.४
	३ सर्वोदय दिवस	-	१६.८	२८.	५४.४
	४ बाल दिवस	-	२५.६	४५.६ ४	६४.
	५ गांधी सप्ताह	-	-	४२.४	७४.४
	६ बुनियादी शिक्षा सप्ताह	-	-	४५.६	७६

क्रमशः :-

तालिका क्रमांक -३

३ धार्मिक पर्व	१ राम नवमी	-	३५.२	६२.४	१००
	२ जन्माष्टमी	-	३६	६१.६	६६.२
	३ सरस्वती पूजन	-	२८	५६.२	६३.६
	४ गणेश चतुर्थी	-	१६.२	४२.४	६७.२
	५ होली	-	३२.८	५६.८	८४
	६ दशहरा	-	२३.२	५०.४	८६.४
	७ ईद	-	१४.४	२०.८	३५.२
४ अन्य कार्य	१ भजन कीर्तन का आयोजन	-	२८.८	५२.८	८१.६
	२ रामायण सभा का आयोजन	-	२१.६	४३.२	६४.
	३ नाटकों का आयोजन	-	१६.२	४०.	७४.४
	४ लोक गीत लोक नृत्य का आयोजन	-	१३.६	४४.८	७८.४

इस तालिका के विश्लेषण से निम्नांकित बातें स्पष्ट होती हैं :-

१- सन् १६५२ में ग्रामों में सांस्कृतिक उत्थान के कार्यक्रम को कोई भी बुनियादी पाठशालायें ग्रामों में आयोजित नहीं करती थी किन्तु ज्यों ज्यों समय व्यतीत होता गया इस कार्यक्रम को करने वाली संस्थाओं की संख्या भी बढ़ती गई है जैसे गांधी सप्ताह को एक भी संस्था ग्रामों में आयोजित नहीं करतीथी किन्तु १६६१ में ७४.४ प्रतिशत संस्थायें इसी कार्य क्रम को ग्राम वासियों के साथ मिलकर सम्पन्न करने लगी ।

२- बुनियादी शिक्षा सप्ताह तथा गांधी सप्ताह को सन्१६५७ तक एक भी संस्था नहीं मनाती थी । इस दोनों पर्वों का आयोजन सन्१६५८ से प्रारम्भ हुआ है और सन् १६६१ में इन पर्वों को ग्रामों में क्रमशः ७४.४ प्रतिशत तथा ७६ प्रतिशत संस्थायें सम्पन्न करने लगी ।

३- उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सन् १९६१ में रामनवमी के धार्मिक पर्व को सत् प्रतिशत संस्थायें ग्रामों में सम्पन्न करती हैं किन्तु ईद को केवल ३५.२ प्रतिशत संस्थायें ही मनाती है ।

४- सन् १९६१ में रामायण सभा का आयोजन ६४ प्रतिशत संस्थाओं ने किया जबकि भजन कीर्तन का आयोजन ८१.६ प्रतिशत संस्थाओं ने किया है ।

५- गांधी जयन्ती, पन्द्रह अगस्त, राम नवमी, जन्माष्टमी तथा सरस्वती पूजन के कार्यक्रम को ९० प्रतिशत से अधिक संस्थायें ग्रामों में संपन्न करने लगी हैं ।

-:000:-

तालिका क्रमांक -४

निम्नांकित तालिका दो बातों को स्पष्ट करती है ।

१- कितने प्रतिशत बुनियादी पाठशाला किस कार्य को सर्वाधिक करती हैं ।

२- कितने प्रतिशत पाठशालाओं के विद्यार्थी तथा क्षेत्रीय ग्रामवासी किस कार्य में अधिक रुचि लेते हैं ।

क्रमांक	कार्यों का विवरण	कितने प्रतिशत संस्थायें किस काम को सर्वाधिक करती हैं	कितने प्रतिशत संस्थाओं के विद्यार्थी किस काम में सबसे अधिक रुचि लेते हैं	कितने प्रतिशत संस्थाओं के क्षेत्री ग्रामवासी किस कार्य में सर्वाधिक रुचि लेते हैं
१	महा पुरुषों की जयन्तियां मनाना	२४	२४.८	२०
२	राष्ट्रीय त्योहार मनाना	२४	२४	१२
३	धार्मिक पर्व मनाना	३२	२८	२४
४	कीर्तन भजन का आयोजन	८	११.२	२४
५	रामायण सभा का आयोजन	४	४	६.४
६	नाटकों का आयोजन	३.२	४	३.२
७	लोक नृत्य एवं लोक गीतों का आयोजन	४.८	४	१०.४
		१००	१००	१००

इस तालिका के समंको का विश्लेषण निम्नांकित है ।

१- अन्य कार्यों की अपेक्षा धार्मिक पर्वों को सबसे अधिक संस्थाये ग्रामों में आयोजित करती हैं तथा इसी कार्य में विद्यार्थियों तथा ग्रामवासियों की रुचि भी सर्वाधिक है ।

२- महापुरुषों की जयन्तियां तथा राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन २४ प्रतिशत संस्थाये अन्य कार्यों की अपेक्षा अधिक करती हैं। इस प्रकार इन दोनों कार्यों को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है।

३- धार्मिक पर्वों तथा भजन कीर्तन के आयोजन में ग्रामवासियों की सबसे अधिक रुचि है।

४- रामायण सभा के आयोजन में ग्राम वासियों की रुचि कीर्तन भजन के आयोजनों की अपेक्षा बहुत कम है।

५- सबसे कम बुनियादी पाठशालाये ग्रामों में नाटकों का आयोजन करती है। तथा इसमें विद्यार्थियों एवं ग्राम वासियों की रुचि भी बहुत कम है।

-:क:क:क:क:क:क::क:-

३- प्रौढ़ा शिक्षा का कार्यक्रम :-

तालिका का क्रमांक -५

इस सम्भाग की बुनियादी पाठशालाओं व्दारा सन् १९५२ में ग्राम पुनर्निर्माण हेतु आयोजित कार्यक्रमों को विस्तृत विवरण प्राप्त किया। उसमें से उदाहरण के लिये यहां पर उल्लेखनीय सन् १९५२, ५७, ५८ व ६१ में प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम सम्पन्न करने वाली पाठशालाओं की संख्या प्रतिशत में नीचे तालिका व्दारा प्रदर्शित की गई है।

क्रमांक	सम्पादित कार्यों के नाम	सन् १९५२ में करने वाली संस्थाओं प्रतिशत	सन् १९५७में करने वालीका संस्थाओंका प्रतिशत	सन् १९५८में करने वाली संस्थाओं काप्रतिशत	सन् १९६१में करने वाली संस्थाओंका प्रतिशत
१	प्रौढ़ों को साक्षर बनाने का प्रयास	-	२४.६	५३.६	६८
२	समाचार पत्र पढ़कर सुनाना	-	११.२	२६.४	४२.२
३	कृषि सम्बन्धी ज्ञान देना	-	१९.२	३३.६	५७.६
४	पंचवर्षीय योजनाओं का ज्ञान कराना	-	१४.७	२९.६	४७.२
५	गृह उद्योगों का ज्ञान कराना	-	१६.८	२६.४	५०.४
६	सरकारी विभागों की जानकारी देना	-	१९.२	३३.६	६१.६

इस तालिका के समंकों का विश्लेषण निम्नांकित है।-

१- सन्१९५२ में प्रौढ़ शिक्षा का कार्य किसी भी बुनियादी प्राथमिक पाठशाला ने नहीं किया है।

२- इस कार्यक्रम में समय की प्रगति के साथ साथ प्रगति हुई है। सन् १९५८ में कार्य की प्रगति विशेष रूप से हुई है जैसे कि सन् १९५७ में प्रौढ़ों को

साक्षर बनाने का प्रयास केवल २४.६ प्रतिशत पाठशालायें करती थी किन्तु सन् १९५८ में इसी कार्य को ५३.६ प्रतिशत संस्थायें करने लगी ।

३- प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के कार्य को सन् १९६१ में सब से अधिक संस्थाओं ने किया है । इस कार्य को करने वाली पाठशालाओं का प्रतिशत ६८ है ।

४- समाचार पत्र सुनाने का कार्य सबसे कम संस्थाओं ने किया है । इस कार्य को सन् १९६१ में केवल ४३.२ प्रतिशत संस्थाये करती थी ।

५- सन् १९६१ में प्रत्येक कार्य में प्रगति हुई है ।

-:-:-------:-:-

तालिका क्रमांक -६

निम्नांकित तालिका से दो बातों का स्पष्टीकरण होता है :-

१- कितने प्रतिशत बुनियादी पाठशालायें किस कार्य को सर्वाधिक करती हैं ।

२- कितनी प्रतिशत पाठशालाओं के क्षेत्रीय ग्राम वासी किस किस कार्य में अधिक रुचि लेते हैं ।

क्रमांक	कार्यों का विवरण	कितने प्रतिशत संस्थायें किस काम को सर्वाधिक करती हैं	कितनी प्रतिशत संस्थायें के क्षेत्रीय ग्राम वासी किस कार्य में सर्वाधिक रुचि लेते हैं ।
१	प्रौढ़ों को साक्षर बनाने का प्रयास	४५.६	३१.२
२	समाचार पत्र पढ़कर सुनाना	१.६	२.४
३	कृषि सम्बन्धी ज्ञान देना	२४.४	४१.६
४	पंचवर्षीय योजनाओं का ज्ञान देना	६.८	६.४
५	गृह उद्योगों का ज्ञान देना	७.२	९.६
६	सरकारी विभागों की जानकारी देना	१४.४	८.८
		१००	१००

इस तालिका के अध्ययन से निम्नांकितबातों की पुष्टि होती है :-

१- अन्य कार्यों की अपेक्षा प्रौढ़ों को साक्षर बनाने का प्रयास बुनियादी पाठशालायें सबसे अधिक करती हैं।

२- कृषि सम्बन्धी ज्ञान देने के कार्य को दूसरा स्थान प्राप्त है। इस कार्य को साक्षरता के पश्चात् पाठशालायेंसबसे अधिक करती हैं।

३ - कृषि सम्बन्धी कार्य के कार्य क्रम में ग्रामवासियों की रुचि सबसे अधिक है।इस कार्य के पश्चात् ग्राम वासियों की रुचि साक्षर बनने में है।

४- समाचार पत्र पढ़कर सुनाने का कार्य पाठशालायें सब से कम करती हैं तथा इसी कार्य में ग्राम वासियों की रुचि भी सबसे अधिक है।

-:000:-

[illegible]

४- सामाजिक उत्थान के कार्य-क्रम :-

-0-0-

तालिका क्रमांक -७

इस सम्भाग की बुनियादी पाठशालाओं द्वारा सन्१९५२ ग्राम पुनर्निर्माण हेतु आयोजित कार्य-क्रमों का विवरण प्राप्त किया गया । इसमें से यहां पर उल्लेखनीय सन्१९५२, ५७, ५८ व ६१ में सामाजिक उत्थान के कार्यक्रम को सम्पन्न करने वाली पाठशालाओं की संख्या प्रतिशत में निम्नांकित तालिका में दी गई है :-

क्रमांक	सम्पादित कार्यों का नाम	सन्१९५२में करने वाली संस्थाओं का प्रतिशत	सन्१९५७में करनेवाली संस्थाओं का प्रतिशत	सन्१९५८में करनेवाली संस्थाओं का प्रतिशत	सन्१९६१में करने वाली संस्थाओं का प्रतिशत
१	छोटे आयु की अवस्था की शादी की हानियां	-	१६.८	२५.६	५९.२
२	पर्दा प्रथा के दोष समझाना	--	१८.६	४३.२	५५.२
३	अन्ध विश्वास मिटाने का प्रयास	-	२३.२	४०.८	६१.६
४	जातियों के झगड़े मिलकर हल कराने का प्रयास	-	१७.८	४१.६	६०
५	ग्राम वासियों को लड़के व लड़कियों का समान महत्त्व समझाना ।	-	१३.६	३५.२	४६.६
६	स्वयं सेवक दल का आयोजन	-	१३.६	४१.६	५६.८

इस तालिका के समंको के विश्लेषण से निम्नांकित तथ्यों का स्पष्टीकरण होता है ।

१- सन् १९५२ में सामाजिक उत्थान का कोई भी कार्य बुनियादी पाठशालाओं ने ग्रामों में नहीं किया है किन्तु समय के साथ साथ इस कार्य क्रम में प्रगति हुई और बहुत अधिक संस्थायें इस कार्य क्रम को आयोजित करने लगी ।

२- सन् १९५८ से सामाजिक उत्थान के कार्यक्रम मे विशेष उन्नति हुई है । उदाहरण के लिये जातियों के झगड़ों को मिलकर निपटाने का प्रयास सन् १९५७ में १७.८ प्रतिशत पाठशालायें करती थी और सन् १९५८ में ४१.६ प्रतिशत पाठशालायें करने लगी ।

३- सन् १९६१ में अंध्य विश्वास को मिटाने का प्रयास सबसे अधिक बुनियादी पाठशालाओं ने किया है ।

४- सन् १९६१ में ग्रामीण लड़के तथा लड़कियों के महत्व की समानता समझाने का कार्य अन्य कार्यों की अपेक्षा बुनियादी पाठशालाओं द्वारा कम किया गया है । अंध्य विश्वास मिटाने का प्रयास इसी सन् में ६१.६ प्रतिशत संस्थायें करती थी किन्तु इस कार्य को केवल ४६.६ प्रतिशत संस्थाओं ने किया है ।

तालिका प्रमांक - ८

निम्नांकित तालिका से दो बातों पर प्रकाश पड़ता है ।-

१- कितनी प्रतिशत बुनियादी पाठशालायें किस कार्य को सर्वाधिक करती हैं ।

२- कितनी प्रतिशत पाठशालाओं के क्षेत्रीय ग्राम वासी किस कार्य में अधिक रुचि लेते हैं ।

क्र०	कार्यों का विवरण	कितनी प्रतिशत संस्थायें किस कार्य को सर्वाधिक करती हैं	कितनी प्रतिशत संस्थाओं के क्षेत्रीय ग्राम वासी किसकार्य में सर्वाधिक रुचि लेते हैं।
१	छोटी आयु की शादियों की हानियां समझाना	१५.२	८.८
२	पर्दा प्रथा के दोष समझाना	४	७.२
३	अंध विश्वास मिटाने का प्रयास	३०.४	३४.४
४	जातियों के झगड़े मिलकर हल कराने का प्रयास	२९.[illegible]	३६.८
५	ग्राम वासियों को लड़के लड़की का समान महत्व समझाना	६.४	४.
६	स्वयं सेवक दल का आयोजन	१४.४	८.८
		१००	१००

इस तालिका के समंकेा के विश्लेषण से निम्नांकित बातेां का स्पष्टी करण हेाता है :-

१- बुनियादी पाठशालाओं द्वारा दो कार्य बहुत अधिक होते हैं। उनमें से प्रथम कार्य अंध विश्वास मिटाने का प्रयास है जिसे ३०.४ प्रतिशत पाठशालायें प्राथमिकता देती हैं तथा दूसरा कार्य जातियों के झगड़ों को मिलकर आपस में प्रेम से हल करने का है जिसे २६.६ प्रतिशत पाठशालायें प्राथमिकता देती हैं।

२- इन्हीं दोनों कार्यों में ग्रामीणों की भी सर्वाधिक रुचि है। अन्तर केवल इतना ही है कि ग्रामीणों की सबसे अधिक रुचि जातियों के झगड़े प्रेम से हल करने के कार्य में सबसे अधिक है और उसके बाद अंध विश्वास दूर करने के कार्य क्रम में है।

३- ग्राम वासियों को पर्दा प्रथा के दोष समझाने के कार्य को सबसे कम अर्थात् केवल ४ प्रतिशत संस्थायें प्राथमिकता देती हैं तथा इस कार्य में ग्राम वासियों की रुचि भी सबसे कम है।

४- सबसे कम महत्व का दूसरा कार्य लड़के व लड़की के समान समान महत्व को समझाना है इसे केवल ६.४ प्रतिशत संस्थायें महत्व देती हैं। ग्राम वासियों की रुचि भी इस में सबसे कम रुचि है।

-:000:-

५- आर्थिक विकास के कार्यक्रम :-

तालिका क्रमांक - ९

इस सम्भाग की बुनियादी पाठशालाओं व्दारा सन् १९५२ से ग्राम पुनर्निर्माण हेतु आयोजित कार्यक्रमों का विवरण प्राप्त किया गया । उनमें से यहाँ पर उल्लेखनीय सन् १९५२ ,५७, ५८ व ६१ में आर्थिक विकास के कार्यक्रम को सम्पन्न करनेवाली पाठशालाओं की संख्या को प्रतिशत में निम्नांकित तालिका व्दारा प्रदर्शित किया गया है ।-

क्र०	सम्पादित कार्यों के नाम	सन् १९५२ में करने वाली संस्थाओं का प्रतिशत	सन् १९५७ में करनेवाली संस्थाओं का प्रतिशत	सन् १९५८ में करनेवाली संस्थाओं का प्रतिशत	सन् १९६१ में करने वाली संस्थाओं का प्रतिशत
१	ग्रामों के लड़ाई झगड़े आपस में मिलकर हल करने का प्रयास	-	२०.८	४९.६	६६.४
२	बंध विश्वास से होने वाली आर्थिक हानियों से बचाने का प्रयास	-	२०.८	३५.२	५६.८
३	विवाह शादि उत्सवों पर कम खर्च करवाने का प्रयास	-	१३.६	४०.८	६२.४
४	जाति बंधन की संकीर्ण भावना से उद्योगों को अलग रखने का प्रयास	-	१२	३६	४९.६
५	ग्रामों में फलदार वृक्ष लगाने का कार्यक्रम	-	३१.२	५२	७२
६	खेती में उन्नति के प्रयास	-	१४.४	३८.४	५६
७	खाद बनवाने का कार्यक्रम	-	१६.८	३०.४	५२
८	सहकारी समितियां बनवाना	-	७.२	२४	४९.६
९	गृह उद्योगों की उन्नति का प्रयास	-	१६.८	३१.२	४८

इस तालिका के समंकों का विश्लेषण निम्नांकित है:-

१- सन् १९५२ में कोई भी बुनियादी पाठशाला ग्रामों में आर्थिक विकास के कार्यों का आयोजन नहीं करती थी किन्तु ज्यों ज्यों समय

समय बीता अधिकाधिक संस्थाओं ने ग्रामों में इस कार्य को करना प्रारम्भ कर दिया । उक्त तालिका में प्रति वर्ष पाठशालाओं की संख्या की प्रगति इसका ज्वलन्त प्रमाण है ।

२- प्रगति के दृष्टिकोण से सन् १९५८ का उल्लेख अति आवश्यक है क्योंकि इस वर्ष में प्रत्येक कार्य में प्रतिशत असाधारण रूप से बढ़ गया है । उदाहरण के लिये खेती में उन्नति के प्रयास सन् १९५७ में १४.४ प्रतिशत पाठशालायें करती थी किन्तु [illegible]

३- ग्रामों में फलदार वृक्ष लगाने कार्य सन् १९६१ में सबसे अधिक बुनियादी पाठशालाओं ने किया है, जिनका प्रतिशत ७२ है ।

४- ग्रामों के लड़ाई झगड़े प्रेम से हल करने का प्रयास ६६.४ प्रतिशत बुनियादी पाठशालाओं ने किया है । इस कार्य का दूसरा स्थान आता है ।

५- गृह उद्योगों की उन्नति का प्रयास केवल ४८ प्रतिशत संस्थाओं द्वारा हुआ है, इसी प्रकार से " जाति बंधन की संकीर्ण भावना से गृहउद्योगों को अलग रखने का प्रयास भी केवल ४६.६ प्रतिशत पाठशालाओं ने सन् १९६१ में किया है इन्हीं दोनों कार्यों को बहुत कम पाठशालायें करती हैं ।

तालिका क्रमांक - १०

-:०:-:०:-

निम्नांकित तालिका दो बातों को स्पष्ट करती है :-

१- प्रतिशत बुनियादी पाठशालायें किस कार्य को सर्वाधिक करती हैं ।
२- कितनी पाठशालाओं के विद्यार्थी तथा क्षेत्रीय ग्रामवासी किस कार्य में अधिक रुचि लेते हैं ।

तालिका क्रमांक-१०

क्र०	कार्यों का विवरण	कितने प्रतिशत संस्थायें किस कार्य को सर्वाधिक करती हैं	कितनी प्रतिशत संस्थाओं के विद्यार्थी किस काम में सर्वाधिक रुचि लेते हैं।	कितनी प्रतिशत संस्थाओं के क्षेत्रीय ग्राम वासी किस कार्य में सर्वाधिक रुचि लेते हैं।
१	ग्रामों के लड़ाई झगड़े आपस में हल करने का प्रयास	२४	१४.४	२४
२	अंध विश्वास से होने वाली आर्थिक हानियों से बचाने का प्रयास	७.२	४	४.०
३	विवाह आदि उत्सवों पर अपव्यय से बचाने का प्रयास	८.८	-	४.०
४	जातिबंधन की संकीर्ण भावनायें उद्योगों को अलग रखने का प्रयास	४.८	४.८	७.२
५	ग्रामों में फलदार वृक्ष लगाने का कार्यक्रम	३१.२	४०.८	२४
६	खेती में उन्नति के प्रयास करना	१६.८	२४	२०.८
७	खाद बनाने का कार्यक्रम	२.४	०.८	२.४
८	सहकारी समितियां बनवाना	०.८	३.२	४.८
९	गृह उद्योगों की उन्नति का प्रयास	४.०	८.०	८.८
		१००	१००	१००

तालिका के विश्लेषण से निम्नांकित तथ्यों की पुष्टि होती है :-

१- ग्रामों में फलदार वृक्ष लगाने के कार्य को सबसे अधिक संस्थायें प्राथमिकता देकर करती हैं तथा इसी कार्य में विद्यार्थियों एवं ग्राम वासियों की रुचि सबसे अधिक है।

२- उक्त कार्य के पश्चात् ग्रामों के लड़ाई झगड़े आपस में मिल कर हल करने के प्रयास को दूसरा महत्व पूर्ण स्थान प्राप्त है क्योंकि, उक्त कार्य के बाद ही इस कार्य को अधिक पाठशालायें करती है एवं इसमें ग्राम वासियों की रुचि भी अधिक है ।

३- विवाह आदि उत्सवों पर ग्राम वासियों को अपव्यय से बचाने हेतु किए जाने वाले प्रयासों में विद्यार्थियों की किन्चित्मात्र भी रुचि नहीं है अत: इस प्रतिशत शून्य रहा है ।

४- ग्राम वासियों की रुचि दो कार्यों में कम है :-

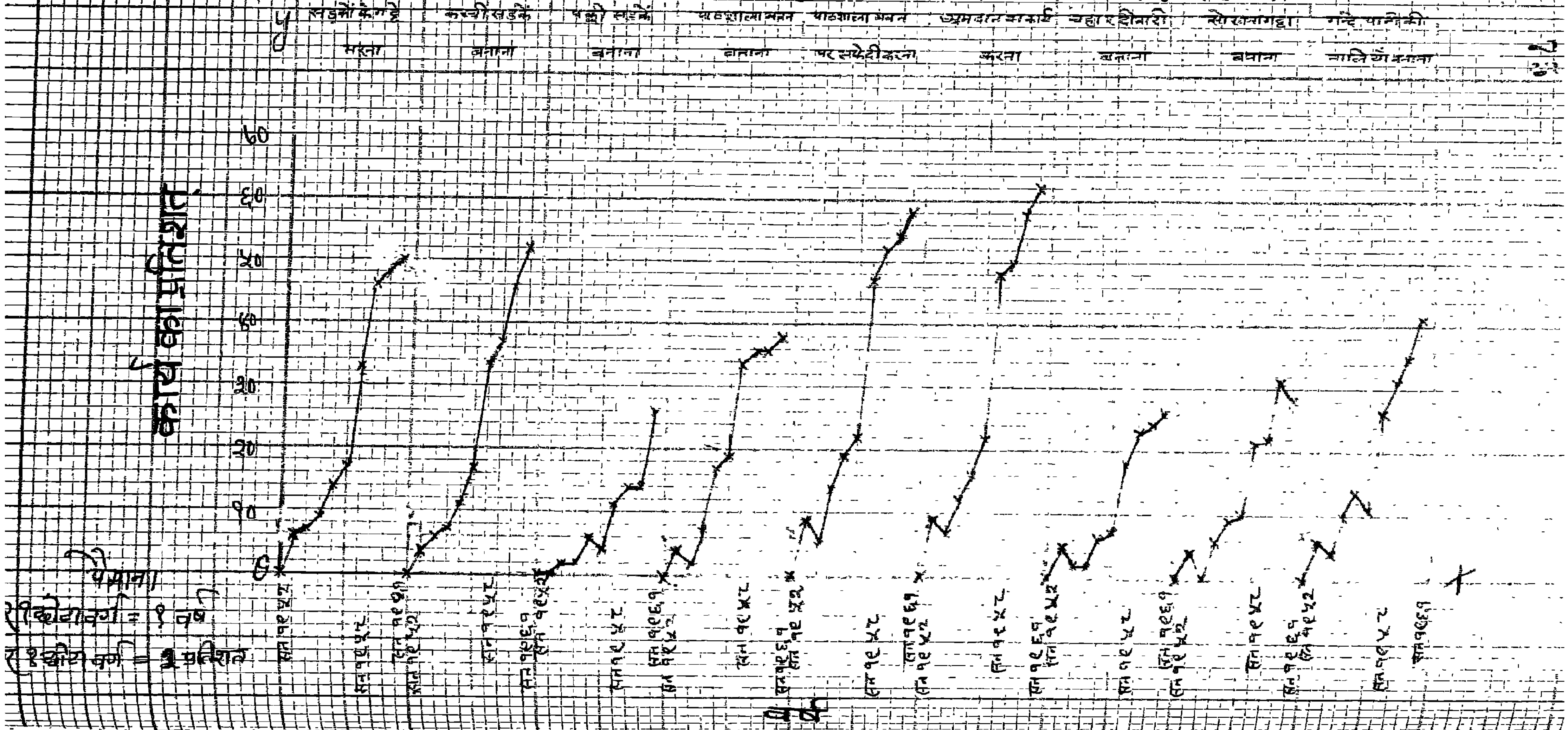
:१: अंध विश्वास से होने वाली हानियां से बचने में तथा

:२: विवाह आदि उत्सवों पर अपव्यय कम करने में ।

५- खाद बनाने के कार्य में ग्राम वासियों की रुचि अन्य समस्त कार्यों की अपेक्षा बिल्कुल ही कम है तथा कम संस्थायें इस कार्य को कर रही हैं ।

-:00000:-

निर्माण के कार्यक्रम की प्रगति



६- निर्माण का कार्यक्रम :-

तालिका क्रमांक -११

इस सम्भाग की बुनियादी पाठशालाओं द्वारा सन् १९५२ से ग्राम पुनर्निर्माण हेतु आयोजित कार्य क्रमों का विवरण प्राप्त किया गया । उसमें से यहां पर उल्लेखनीय सन् १९५२, ५७, ५८ व ६१ में आर्थिक विकास के कार्य क्रम को सम्पन्न करने वाली पाठशालाओं की संख्या को प्रतिशत में निम्नांकित तालिका में अंकित किया गया है।-

क्र०	सम्पादित कार्यों का नाम	सन् १९५२ में करने वाली संस्थाओं का प्रतिशत	सन् १९५७ में करने वाली संस्थाओं का प्रतिशत	सन् १९५८ में करने वाली संस्थाओं का प्रतिशत	सन् १९६१ में करने वाली संस्थाओं का प्रतिशत
१	सड़कों के गढ्ढे भरना	-	१६.८	३२.८	४९.६
२	कच्ची सड़के बनाना	-	१६.८	४३.६	५२
३	पक्की सड़के बनाना	-	४	११.२	२५.६
४	पाठशाला भवन बनाना	-	१९.२	३३.६	३७.६
५	पाठशाला भवन पर सफेदी करना	-	२१.६	४७.२	५७.६
६	सामाजिक कार्यों में श्रमदान करना	-	२१.६	४८	६१.६
७	पाठशाला की चहारदीवारी बनाना	-	७.२	१८.४	२५.६
८	सेनाखता गढ्ढे बनाना	-	९.६	२०.८	२८
९	गन्दे पानी की नालियां बनाना	-	११.२	२६.४	४०.८

इस तालिका के विश्लेषण से निम्नांकित तथ्यों का स्पष्टीकरण होता है :-

१- सन् १९५२ में बुनियादी पाठशालायें ग्रामों में निर्माण का कार्य आयोजित नहीं करती थी अत: इस वर्ष में इस कार्य का प्रतिशत आदि से अन्त तक शून्य है ।

२- सन् १९५८ की प्रगति का उल्लेख करना अति आवश्यक है क्योंकि सन् १९५७ की अपेक्षा १९५८ में निर्माण के प्रत्येक कार्य को करने वाली पाठशालाओं के प्रतिशत में दूने से भी अधिक वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिये सन् १९५७ में ग्रामों में सोख्ता गड्ढे बनानेका कार्य ९.६ प्रतिशत पाठशालायें करती थी किन्तु १९५८ में इसी कार्य को २०.८ प्रतिशत पाठशालायें करने लगी।

३- सन् १९६१ में ६१.६ प्रतिशत बुनियादी पाठशालाओं ने सामाजिक कार्यों में श्रमदान किया है। अन्य कार्यों की अपेक्षा इसका प्रतिशत सर्वाधिक है।

४- पक्की सड़कें २५.६ प्रतिशत संस्थायें तथा कच्ची सड़कें ५२ प्रतिशत पाठशालायें बनाती हैं।

५- सोख्ता गड्ढे तथा गन्दे पानी की नालियों की अपेक्षा कच्ची सड़के बनाने का काम अधिक पाठशालायें करती हैं। कच्ची सड़के ५२प्रतिशत पाठशालायें बनाती हैं और गन्दे पानी की नालियां ४०.८ प्रतिशत व सोख्ता गड्ढों को २८ प्रतिशत संस्थाये बनाती हैं।

तालिका क्रमांक १२

निम्नांकित तालिका दो बातों को स्पष्ट करती है:-

१- कितने प्रतिशत बुनियादी पाठशालायें किस कार्य को सर्वाधिक करती हैं।

२- कितनी पाठशालाओं के विद्यार्थी तथा क्षेत्रीय ग्राम वासी किस कार्य में अधिक रुचि लेते हैं:-

तालिका क्रमांक -१२

क्रमांक	कार्यों का विवरण	कितनी प्रतिशत संस्थायें किस कार्य को सर्वाधिक करती हैं	कितनी प्रतिशत संस्थाओं के विद्यार्थी किस कार्य में प्राथमिकता देते हैं	कितने प्रतिशत संस्थाओं के कौनसे ग्राम वासी किस कार्य में रुचि लेते हैं
१	सड़कों के गड्ढे भरना	१४.४	१४.४	८.६
२	कच्ची सड़कें बनाना	१३.६	११.२	१२.६
३	पक्की सड़कें बनाना	४.८	४	४.८
४	पाठशाला भवन बनाना	८.८	१५.२	१६
५	पाठशालाभवनपर सफेदी करना	२०.८	१८.४	१४.८
६	सामाजिककार्यों में श्रमदान करना	२३.२	२४	३५.२
७	पाठशाला की चहार-दीवारी बनाना	६.४	४	६.४
८	सोख्ता गड्ढे बनाना	४	४.८	-
९	गन्दे पानी की नालियां बनाना	४	४	१.६
		१००	१००	१००

इस तालिका का विश्लेषण निम्नांकित है :-

१- सबसे अधिक बुनियादी पाठशालायें सामाजिक कार्यों में श्रमदान को प्राथमिकता देती हैं, इसी कार्य में विद्यार्थियों तथा ग्राम वासियों की रुचि भी सबसे अधिक है।

२- सबसे कम अर्थात् केवल ४ प्रतिशत बुनियादी पाठशालायें गन्दे पानी की नालियां तथा सोख्ता गड्ढे बनाने के काम को अन्य कार्यों की अपेक्षा अधिक करती हैं। इन दोनों कार्यों में विद्यार्थियों तथा ग्रामवासियों की रुचि भी सबसे कम है।

३ - सोख्ता गड्ढे बनाने के कार्य में ग्राम वासियों की किंचित्मात्र रुचि नहीं है इसी से इस कार्य का प्रतिशत शून्य है।

४- कच्ची सड़क बनाने की अपेक्षा पाठशाला भवन बनाने में अधिक ग्राम वासी रुचि लेते हैं।

-:00000:-

पंचम - अध्याय

रचनात्मक कार्यों की झाँकियाँ













[redacted]

-: बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा विद्यालय :-

१- स्वास्थ्य तथा हाईजीन का कार्य

तालिका क्रमांक - १३

-:०:-

इस सम्भाग की बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा सन् १९५२ से ग्राम पुनर्निर्माण हेतु आयोजित कार्य क्रमों का विवरण संकलित करके उसमें से उल्लेखनीय सन् १९५२, ५७, ५८, व ६१ में स्वास्थ्य तथा हाईजीन के कार्यक्रम को सम्पन्न करने वाली प्रशिक्षण शालाओं की संख्या को प्रतिशत में निम्नांकित तालिका में अंकित किया गया है :-

क्र०	सम्पादित कार्यों का नाम	सन् १९५२ में करनेवाली संस्थाओं का प्रतिशत	सन् १९५७ में करनेवाली संस्थाओं का प्रतिशत	सन् १९५८ में करनेवाली संस्थाओं का प्रतिशत	सन् १९६१ में करने वाली संस्थाओं का प्रतिशत
१-	ग्रामीणों को व्यक्तिगत सफाई के नियम बताने का कार्यक्रम	-	५०	७०	१००
२-	घरों की सफाई संबंधी कार्यक्रम	-	४०	७०	१००
३-	सड़कों की सफाई संबंधी कार्यक्रम	-	५०	७०	१००
४-	जलाशयों की सफाई का प्रयास	-	२०	३०	५०
५-	सार्वजनिक स्थानों की सफाई	-	४०	७०	१००
६-	भोजन में सुधार का प्रयास	-	२०	५०	६०
७-	धूम्रपान की हानियाँ समझाने का कार्यक्रम	-	३०	५०	६०
८-	जल को शुद्ध रखने का प्रयास	-	३०	४०	५०
९-	नशीली वस्तुओं की हानियाँ समझाने का कार्यक्रम	-	२०	३०	५०

इस तालिका के समंक निम्नांकित बातों का स्पष्टीकरण करते हैं ।-

१- सन् १६५२ में किसी भी प्रशिक्षण संस्था ने ग्रामों में स्वास्थ्य तथा हाईजीन का कार्य सम्पादित नहीं किया है । सन्१६५३ से संस्थायें इस कार्य क्रम को आयोजित करने लगी हैं जैसा कि संलग्न ग्राफ से सिद्ध है । ज्यों ज्यों समय व्यतीत होता जा रहा है त्यों त्यों इस कार्य क्रम को सम्पन्न करने वाली संस्थाओं की संख्या बढ़ती जा रही है । उदाहरण के लिये सार्वजनिक स्थानों की सफाई का कार्य सन् १६५२ में शून्य प्रतिशत , सन् १६५७ में ४० प्रतिशत तथा सन्१६६१ में १०० प्रतिशत संस्थायें करने लगी ।

२- सन् १६५८ में स्वास्थ्य तथा हाईजीन के प्रत्येक कार्य में विचारणीय प्रगति हुई है ।

३- सार्वजनिक स्थान तथा सड़कों की सफाई करने का कार्य १०० प्रतिशत संस्थायें सन् १६६१ में सम्पन्न करने लगी ।

४- जलाशयों की सफाई तथा नशीली वस्तुओं के सेवन से होने वाली हानियां को समझाने के कार्यों को केवल ५० प्रतिशत संस्थायें ही करती हैं । अन्य कार्यों की अपेक्षा सबसे कम संस्थाओं ने इन इस कार्यों को अपनाया है ।

५- घरों की सफाई तथा ग्रामीणों को व्यक्तिगत सफाई के नियम समझाने के कार्यक्रमों का आयोजन सन् १६६१ में ६० प्रतिशत संस्थाओं व्दारा हुआ है ।

तालिका क्रमांक - १४

निम्नांकित तालिका में दो बातों का उल्लेख है :-

१- कितनी प्रतिशत बुनियादी प्रशिक्षण संस्थायें किस किस काम को सर्वाधिक करती हैं।

२- कितनी प्रतिशत प्रशिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थी तथा क्षेत्रीय ग्राम वासी किस कार्य में अधिक रुचि लेते हैं :-

क्र0	कार्यों का विवरण	कितने प्रतिशत संस्थायें किस कार्य को सर्वाधिक करती हैं	कितने प्रतिशत संस्थाओं के शिक्षार्थी किस काम में सर्वाधिक रुचि लेते हैं	कितनी प्रतिशत संस्थाओं के क्षेत्रीय ग्रामवासी किस काम में सर्वाधिक रुचि लेते हैं
१-	ग्रामीणों को व्यक्तिगत सफाई के नियम बताने का कार्यक्रम	२०	२०	३०
२-	घरों की सफाई सम्बन्धी कार्यक्रम	१०	१०	-
३-	सड़कों की सफाई सम्बन्धी कार्यक्रम	१०	१०	२०
४-	जलाशयों की सफाई का प्रयास	-	-	
५-	सार्वजनिक स्थानों की सफाई	२०	३०	३०
६-	भोजन में सुधार का प्रयास	१०	१०	१०
७-	धूम्रपान की हानियाँ समझाने का कार्यक्रम	१०	१०	-
८-	जल को शुद्ध रखने का प्रयास	१०	१०	१०
९-	नशीली वस्तुओं की हानियां समझाने का कार्यक्रम	१०	१०	-
		१००	१००	१००

उपरोक्त समंकों के विश्लेषण से निम्नांकित बातों का स्पष्टीकरण होता है :-

१- सार्वजनिक स्थानों की सफाई को सर्वाधिक संस्थायें प्राथमिकता देती हैं तथा इसी कार्य में शिक्षार्थियों एवं ग्राम वासियों की रुचि भी सबसे अधिक है।

२- संस्थाओं से प्राथमिकता प्राप्त करने वाला दूसरा कार्य ग्रामीणों को व्यक्तिगत सफाई के नियम समझाने का कार्यक्रम है। इस कार्य में भी ग्रामवासियों तथा शिक्षार्थी अधिक रुचि लेते हैं।

३- जलाशयों की सफाई के कार्य को संस्थायें प्राथमिकता न देकर सामान्य रूप से ही करती हैं तथा इसमें शिक्षार्थियों एवं ग्राम वासियों की किंचित्मात्र भी रुचि नहीं है।

४- धूम्रपान तथा नशीली वस्तुओं से होने वाली हानियों को समझाने में ग्रामवासियों को किंचित्मात्र भी रुचि नहीं है।

५- भोजन में सुधार तथा जल को शुद्ध रखने के कार्यक्रम में ग्राम वासियों की साधारण रुचि है।

२- **सांस्कृतिक उत्थान के कार्यक्रम**

तालिका क्रमांक -१५

इस सम्भाग की बुनियादी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा सन् १९५२ से ग्राम पुनर्निर्माण हेतु आयोजित कार्यक्रमों का विवरण संकलित करके उसमें से उल्लेखनीय सन् १९५२, ५७, ५८ व ६१ में सांस्कृतिक उत्थान के कार्यक्रम को सम्पन्न करने वाली प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या को प्रतिशत में निम्नांकित तालिका में अंकित किया गया है।

तालिका क्रमांक -१५

	क्रमांक	सम्पादित कार्यों का नाम	सन् १९५२ में करने वाली संस्थाओं का प्रतिशत	सन् १९५७ में करने वाली संस्थाओं का प्रतिशत	सन् १९५८ में करने वाली संस्थाओं का प्रतिशत	सन् १९६१ में करने वाली संस्थाओं का प्रतिशत
महापुरुषों की जयन्तियाँ	१	गांधी जयंती	-	६०	७०	१००
	२	विनोबा जयन्ती	-	५०	७०	९०
	३	तिलक जयन्ती	-	५०	७०	८०
	४	तुलसी जयन्ती	-	५०	७०	९०
	५	बुद्ध जयन्ती	-	२०	४०	५०
	६	महावीर जयन्ती	-	२०	५०	६०
	७	कालिदास जयन्ती	-	-	१०	२०
राष्ट्रीय त्यौहार	१	पन्द्रह अगस्त	-	५०	७०	१००
	२	२६ जनवरी	-	४०	७०	९०
	३	सर्वोदय दिवस	-	४०	६०	९०
	४	बाल दिवस	-	२०	५०	९०
	५	गांधी सप्ताह	-	४०	७०	[illegible]
	६	बुनियादी शिक्षा सप्ताह	-	[illegible]	७०	१००
धार्मिक पर्व	१	राम नवमी	-	४०	६०	१००
	२	जन्माष्टमी	-	४०	७०	१००
	३	सरस्वती पूजन	-	४०	६०	९०
	४	गणेश चतुर्थी	-	२०	४०	८०
	५	[illegible]	-	३०	६०	९०
	६	दशहरा	-	२०	४०	६०
	७	ईद	-	१०	३०	४०
अन्य कार्य	१	कीर्तन भजन का कार्यक्रम	-	५०	७०	९०
	२	रामायण सभा का कार्यक्रम	-	४०	५०	७०
	३	नाटकों का आयोजन	-	३०	५०	८०
	४	लोकगीत लोकनृत्य का आयोजन	-	३०	५०	६०

इस तालिका के समंकों का विश्लेषण निम्नांकित है :-

१- सन् १६५२ में बुनियादी प्रशिक्षण संस्था ने ग्रामों में सांस्कृतिक उत्थान हेतु कोई भी कार्य नहीं किया है । किन्तु समय की गति के साथ इस कार्य को करने वाली संस्थाओं की संख्या में भी प्रगति हुई है । उदाहरण के लिये पन्द्रह अगस्त को सन् १६५२ में ० प्रतिशत , सन् १६५७ में २० प्रतिशत , सन् १६५८ में ७० प्रतिशत तथा सन् १६६१ में १०० प्रतिशत संस्थायें ग्रामों में सम्पन्न करने लगीं ।

२- सन् १६६१ में गांधी जयन्ती , पन्द्रह अगस्त , बुनियादी शिक्षा सप्ताह , राम नवमी तथा जन्माष्टमी के पर्वों को शत प्रतिशत प्रशिक्षण संस्थाओं ने ग्रामों में आयोजन किया है ।

३- यह विशेष उल्लेखनीय बात है कि सन् १६६१ में राम नवमी तथा जन्माष्टमी के पर्वों को १०० प्रतिशत संस्थाये मनाती हैं किन्तु ईद को केवल ४० प्रतिशत संस्थाये ने ही सम्पन्न किया है ।

४- रामायण सभा की अपेक्षा भजन कीर्तन के कार्य को अधिक संस्थायें करती हैं । उदाहरण के लिये सन्१६६१ में रामायण सभा का आयोजन केवल ७० प्रतिशत संस्थाओं ने किया जबकि कीर्तन भजन का कार्य ६० प्रतिशत संस्थाओं ने किया ।

५- सन् १६६१ में लोक गीत व लोक नृत्य के कार्य क्रम के प्रोत्साहन हेतु केवल ६० प्रतिशत संस्थाओं ने ग्रामों में आयोजन किया है ।

६- सन् १६५८ की प्रगति विशेष उल्लेखनीय है क्योंकि इस वर्ष प्रत्येक कार्य में असाधारण वृद्धि हुई है ।

तालिका क्रमांक - १६

-:o:-

निम्नांकित तालिका में दो बातों का उल्लेख किया गया है :-

१- कितनी प्रतिशत बुनियादी संस्थायें किस कार्य को सर्वाधिक करती हैं।

२- कितनी प्रतिशत प्रशिक्षण संस्थाओं के शिक्षार्थी तथा क्षेत्रीय ग्रामवासी किस कार्य में अधिक रुचि लेते हैं :-

क्र०	कार्यों का विवरण	कितने प्रतिशत संस्थायें किस कार्य को सर्वाधिक करती हैं	कितनी प्रतिशत संस्थाओं के विद्यार्थी किस काम में अधिक	कितनी प्रतिशत संस्थाओं के क्षेत्रीय ग्राम वासी किस काम में अधिक रुचि लेते हैं
१-	महापुरुषों की जयन्तियां	२०	२०	२०
२-	राष्ट्रीय त्योहारों का आयोजन	२०	२०	२०
३-	धार्मिक पर्व	३०	३०	४०
४-	कीर्तन भजन का कार्यक्रम	१०	१०	१०
५-	रामायण सभा का कार्य क्रम	१०	१०	१०
६-	नाटकों का आयोजन	१०	१०	-
७-	लोक गीत लोक नृत्य का कार्यक्रम	-	-	-
		१००	१००	१००

इस तालिका के समको का विश्लेषण करने से निम्नांकित निष्कर्ष निकलते हैं :-

१- धार्मिक पर्वों तथा राष्ट्रीय पर्वों के आयोजनों को संस्थायें सबसे अधिक महत्त्व देती हैं, इन्ही आयोजनों में शिक्षार्थियों तथा ग्राम वासियों की रुचि भी सबसे अधिक है ।

२- सांस्कृतिक उत्थान के समस्त कार्यों में ग्राम वासियों की सबसे अधिक रुचि धार्मिक पर्वों के आयोजन में है ।

३- महापुरुषों की जयन्तिया तथा राष्ट्रीय पर्वों में ग्राम वासियों एवं शिक्षार्थियों की सामान्य रुचि है ।

४- लोक गीत तथा लोक नृत्य में शिक्षार्थियों की रुचि नहीं है ।

५- कीर्तन भजन रामायण सभा तथा नाटकों के आयोजन में शिक्षार्थियों की सामान्य रुचि है ।

-:0:-

३- प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम

तालिका क्रमांक - १७

-:000:-

इस सम्भाग की बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं व्दारा सन् १९५२ से ग्राम पुनर्निर्माण हेतु आयोजित कार्यक्रमों का विवरण एकत्रित करके उसमें से उल्लेखनीय सन् १९५२ ,५७, ५८ व ६१ में प्रौढ़ शिक्षा के कार्य क्रम को सम्पन्न करने वाली संस्थाओं की संख्या को प्रतिशत में निम्नांकित तालिका में अंकित किया गया है :-

क्र०	सम्पादित कार्यों का नाम	सन् १९५२में करने वाली संस्थाओं का प्रतिशत	सन् १९५७में कार्य करने वाली संस्थाओं का प्रतिशत	सन् १९५८में करने वाली संस्थाओं का प्रतिशत	सन् १९६१में करने वाली संस्थाओं का प्रतिशत
१	प्रौढ़ों को साक्षर बनाने का प्रयास	-	४०	६०	१००
२	समाचार पत्र पढ़कर सुनाना	-	२०	४०	५०
३	कृषि सम्बन्धी ज्ञान देना	-	४०	६०	९०
४	पंचवर्षीय योजनाओं का ज्ञान देना	-	२०	५०	६०
५	गृह उद्योगों का ज्ञान देना	-	२०	५०	८०
६	सरकारी विभागों की जानकारी देना	-	१०	२०	४०

इस तालिका का विश्लेषण निम्नांकित है :-

१- १९५२ में प्रौढ़ों को साक्षर बनाने का कार्य किसी भी बुनियादी प्रशिक्षण संस्था द्वारा सम्पन्न नहीं हुआ है।

२- सन् १९५८ में प्रत्येक कार्य में विचारणीय वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिये सन् १९५७ में ग्राम वासियों को गृह उद्योगों का ज्ञान केवल २० प्रतिशत प्रशिक्षण संस्थायें देती थी किन्तु सन् १९५८ में ५० प्रतिशत संस्थायें देने लगी।

३- सन् १९६१ में प्रौढ़ों को १०० प्रतिशत संस्थाओं ने किया है अन्य किसी कार्यक्रम में इतनी प्रगति नहीं हुई है।

४- सबसे कम संस्थाओं ने ग्रामीणों को सरकारी विभागों की जानकारी देने का कार्य किया है सन् १९६१ में इसका प्रतिशत ४० है।

५- कृषि सम्बन्धी ज्ञान देने को दूसरा महत्व पूर्ण कार्य माना है इसको ९० प्रतिशत बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाये कर रही हैं।

६- ग्राम वासियों को समाचार पत्र सुनाने का कार्य ५० प्रतिशत प्रशिक्षण संस्थाओं ने सन् १९६१ में सम्पन्न किया है।

तालिका क्रमांक - १८

निम्नांकित तालिका में दो बातों का उल्लेख किया गया है :-

१- कितनी प्रतिशत बुनियादी प्रशिक्षण संस्थायें किस कार्य को सर्वाधिक करती हैं।

२- कितनी प्रतिशत प्रशिक्षण संस्थाओं के क्षेत्रीय ग्राम वासी किस कार्य में अधिक रुचि लेते हैं :-

तालिका क्रमांक - १८

क्रमांक	कार्यों का विवरण	कितनी प्रतिशत संस्थायें किस कार्य का सर्वाधिक करती है	कितनी प्रतिशत संस्थाओं के ग्रामीय ग्राम वासी किस कार्य में सर्वाधिक रुचि लेते हैं
१	प्रौढ़ों को साक्षर बनाने का प्रयास	३०	३०
२	समाचार पत्र पढ़कर सुनाना	१०	-
३	कृषि सम्बन्धी ज्ञानदेना	३०	४०
४	पंच वर्षीय योजनाओं का ज्ञान देना	१०	१०
५	गृह उद्योगों का ज्ञान कराना	१०	१०
६	सरकारी विभागों की जानकारी देना	१०	१०
		१००	१००

इस तालिका के आंकड़ों का विश्लेषण निम्नांकित है :-

१- कृषि सम्बन्धी ज्ञान देने तथा प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के कार्य को सर्वाधिक संस्थायें प्राथमिकता देती हैं । इन्हीं दोनों कार्यों में ग्राम वासियों की भी रुचि है ।

२- प्रौढ़ शिक्षा में उपरोक्त दो कार्यों को छोड़ कर अन्य कार्यों को संस्थाओं ने समान्य मान्यता प्रदान की है ।

३- ग्राम वासियों की सर्वाधिक रुचि कृषि सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करने में है ।

४- समाचार पत्र सुनने में ग्राम वासियोंको किंचित्मात्र भी रुचि नहीं है ।

५- पंच वर्षीय योजनाओं, सरकारी विभागों तथा गृह उद्योगों की जानकारी प्राप्त करने में ग्राम वासियों की साधारण रुचि है ।

४- **सामाजिक उत्थान के कार्य क्रम**

तालिका क्रमांक - १६

-:०:-

इस सम्भाग की बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा सन् १९५२ से ग्राम पुनर्निर्माण हेतु आयोजित कार्यक्रमों का विवरण एकत्रित करके उसमें से उल्लेखनीय सन् १९५२, ५७, ५८ व ६१ में सामाजिक उत्थान के कार्यक्रम को सम्पन्न करने वाली प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या को प्रतिशत में निम्नांकित तालिका में अंकित किया गया है :-

क्र०	सम्पादित कार्यों का नाम	सन् १९५२ में करनेवाली संस्थाओं का प्रतिशत	सन् १९५७ में करनेवाली संस्थाओं का प्रतिशत	सन् १९५८ में करनेवाली संस्थाओं का प्रतिशत	सन् १९६१ में करने वाली संस्थाओं का प्रतिशत
१	छोटी आयु की शादियों की हानियां समझाना	-	३०	५०	८०
२	पर्दा प्रथा के दोष समझाना	-	२०	४०	४०
३	अंध विश्वास मिटाने का प्रयास	-	४०	५०	१००%
४	जातियों के झगड़े मिलकर हल कराने का प्रयास	-	४०	६०	६०
५	ग्राम वासियों को लड़के व लड़की का समान महत्व समझाना	स	३०	६०	६०
६	स्वयं सेवक दल का आयोजन	-	३०	५०	५०

इस तालिका के समंक निम्नांकित तथ्यों का स्पष्टीकरण करते हैं :-

१- सन् १६५२ में सामाजिक उत्थान के कार्य क्रम को बुनियादी प्रशिक्षण संस्थायें सम्पन्न नहीं करती थी किन्तु धीरे धीरे संस्थाये अधिक संख्या में इसे करने लगी और सन् १६६१ में किसी कार्य को १०० प्रति संस्थाये तक आयेजित करने लगी है ।

२- सन् १६५८ में इस कार्यक्रम को सम्पन्न करने वाली प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है । उदाहरणके लिये सन् १६५७ में पर्दा प्रथा के दोष २० प्रतिशत संस्थाये ग्राम वासियों को समझाती थी किन्तु सन् १६५८ में ४० प्रतिशत संस्थायें समझाने लगी ।

३- सन् १६६१ में अंध विश्वास को मिटाने का प्रयास १०० प्रतिशत संस्थाओं ने किया है ।

४- पर्दा प्रथा के दोषों को समझाने का कार्य केवल ४० प्रतिशत संस्थायें ग्रामों में करती हैं । अन्य कार्यों की अपेक्षा इसी कार्य को सबसे कम किया जाता है ।

५- जाति पाति के झगड़े मिलकर आपस में हल कराने का प्रयास ६० प्रतिशत संस्थायें करती हैं । यह दूसरा कार्य है जिसको सर्वाधिक संस्थाये करती हैं ।

तालिका क्रमांक - २०

-:०:-

इस तालिका में दो बातों का उल्लेख किया गया है :-

१- कितनी प्रतिशत बुनियादी प्रशिक्षण संस्थायें किस कार्य को सर्वाधिक करती हैं ।

कितनी प्रतिशत बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं के क्षेत्रीय ग्राम वासी किस कार्य में अधिक रुचि लेते हैं ।

तालिका क्रमांक - २०

क्रमांक	कार्यों का विवरण	कितनी प्रतिशत संस्थायें किस कार्य को सर्वाधिक करती हैं	कितनी प्रतिशत संस्थाओं के क्षेत्रीय ग्राम वासी किस कार्य में सर्वाधिक रुचि लेते हैं
१	छोटीआयु कीशादियों की हानियांसमझाना	२०	२०
२	पर्दा प्रथा के दोष समझाना	१०	-
३	अंध विश्वास मिटाने का प्रयास	२०	३०
४	जातियों के झगड़ेमिलकर हल कराने का प्रयास	३०	४०
५	ग्राम वासियों को लड़के व लड़की का समान महत्वसमझाना	१०	-
६	स्वयं सेवक दल का आयोजन	१०	१०
		१००	१००

इस तालिकाकाविश्लेषण निम्नांकित है :-

१- जाति पांति के झगड़ों को मिलकर हल कराने के कार्य को कुल संस्थायें अन्य कार्यों की अपेक्षा सर्वाधिक करती हैं। तथा इसी कार्य में ग्राम वासियों की रुचि भी अधिक है।

२- अंध विश्वास मिटाने का प्रयास तथा छोटी आयु में होने वाली शादियों की हानियों को समझाने के कार्यों को २० प्रतिशत

संस्थायें अन्य कार्यों की अपेक्षा अधिक करती हैं । उक्त कार्य के पश्चात् इन दोनों कार्यों में ग्राम वासियों की भी रुचि है ।

३- पर्दा प्रथा के दोष समझने व लड़कों के समान ही लड़कियों को मानने में ग्राम वासियों की किंचित्मात्र रुचि नहीं है ।

४- स्वयं सेवक दल के आयोजन में ग्राम वासियों की रुचि सबसे कम है ।

-:000:-

५- आर्थिक विकास के कार्य-क्रम

तालिका क्रमांक -२१

इस सम्भाग की बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा सन् १९५२ से ग्राम पुनर्निर्माण हेतु आयोजित कार्यक्रमों का विवरण एकत्रित करके उसमें से उल्लेखनीय सन् १९५२, ५७, ५८ व ६१ में आर्थिक विकास के कार्य क्रम को सम्पन्न करने वाली प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या को प्रतिशत में निम्नांकित तालिका में अंकित किया गया है।

क्र०	सम्पादित कार्यों का नाम	सन् १९५२ में करनेवाली संस्थाओं का प्रतिशत	सन् १९५७ में करनेवाली संस्थाओं का प्रतिशत	सन् १९५८ में करनेवाली संस्थाओं का प्रतिशत	सन् १९६१ में करने वाली संस्थाओं का प्रतिशत
१-	ग्रामों के लड़ाई झगड़े आपस में मिलकर हलकरने का प्रयास	-	२०	६०	१००
२-	अंध विश्वास से होने वाली आर्थिक हानियों से बचाने का प्रयास	-	२०	४०	८०
३-	विवाह आदि उत्सवों पर अपव्यय से बचाने का प्रयास	-	२०	३०	४०
४-	जाति बंधन की संकीर्ण भावना से उद्योगों को अलग रखने का प्रयास	-	३०	४०	५०
५-	ग्रामों में फलदार वृक्ष लगाने का कार्यक्रम	-	४०	७०	१००
६-	खेती में उन्नति के प्रयास	-	४०	६०	९०
७-	खाद बनाने का कार्यक्रम	-	२०	४०	९०
८-	सहकारी समितियां बनवाना	-	-	१०	४०
९-	गृह उद्योगों की उन्नतिका प्रयास	-	३०	४०	६०

इस तालिका के समंकों का विश्लेषण निम्नांकित है :-

१- सन् १९५२ में आर्थिक विकास का कार्य क्रम बुनयादी प्रशिक्षण संस्थायें ग्रामों में आयोजित नहीं करती थी किन्तु ज्यों ज्यों समय व्यतीत हुआ इस कार्य को करने वाली संस्थाओं की संख्या में वृद्धि होती गई। उदाहरण के लिये खाद बनवाने का कार्य सन् १९५२ में ० प्रतिशत , सन् १९५७ में २० प्रति शत , सन् १९५८ में ४० प्रतिशत तथा सन् १९६१ में ६० प्रतिशत संस्थाओं ने किया ।

२- ग्रामों में फलदार वृक्ष लगाने तथा ग्रामों के झगड़े आपस में मिलकर हल कराने का कार्य सन् १९६१ में १०० प्रतिशत संस्थाओं ने किया ।

३- खाद बनवाने तथा खेती में उन्नति के प्रयास को ६०प्रतिशत संस्थायें करने लगी हैं ।

४- विवाह आदि उत्सवों पर ग्राम वासियों को अपव्यय से बचाने का प्रयास सन् १९६१ में ४० प्रतिशत संस्थाओं ने किया है। अन्य समस्त कार्यों में इसी कार्य को सब से कम संस्थाओं ने किया है।

५- सन् १९६१ में संस्थाओं ने ग्राम वासियों को जाति बंधन से अलग रखने का प्रयास किया ।

-:००००००:-

तालिका क्रमांक - २२

इस तालिका में दो बातों का उल्लेख किया गया है :-

१- कितनी प्रतिशत बुनियादी प्रशिक्षण संस्थायें किस कार्य को सर्वाधिक करती हैं।

२- कितनी प्रतिशत बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं के शिक्षार्थी तथा क्षेत्रीय ग्राम वासी किस कार्य में अधिक रुचि लेते हैं।

क्रमांक	कार्यों का विवरण	कितनी प्रतिशत संस्थायें किस को सर्वाधिक करती हैं	कितनी प्रतिशत संस्थाओं के शिक्षार्थी किस काम में अधिक रुचि लेते हैं।	कितनी प्रतिशत संस्थाओं के क्षेत्रीय ग्राम किस काम में अधिक रुचि लेते हैं।
१	ग्रामों के लड़ाई आपस में हल करने का प्रयास	२०	२०	२०
२	अंध विश्वास से होनेवाली आर्थिक हानियों से बचाने का प्रयास	१०	१०	१०
३	विवाह आदि उत्सवों पर अपव्यय से बचाने का प्रयास	१०	१०	-
४	जाति बंधन की संकीर्ण भावना से उद्योगों को अलग रखने का प्रयास	१०	१०	-
५	ग्रामों में फलदार वृक्ष लगाने का कार्यक्रम	२०	२०	२०
६	खेती में उन्नति के प्रयास करना	१०	१०	३०
७	खाद बनाने का कार्यक्रम	१०	१०	१०
८	सहकारी समितियां बनवाना	-	-	-
९	गृह उद्योगों की उन्नति का प्रयास	१०	१०	१०
		१००	१००	१००

तालिका के समंकों का विश्लेषण करने से निम्नांकि बातों का स्पष्टीकरण होता है ।

१- ग्रामों में फलदार वृक्ष लगाने का तथा ग्राम वासियों के झगड़ों को आपस में मिलकर हल कराने के प्रयास को सर्वाधिक संस्थायें अन्य कार्य की अपेक्षा अधिक महत्व मानती हैं । इन्हीं कार्यों में शिक्षार्थियों तथा ग्राम वासियों की रुचि भी सबसे अधिक है ।

२ सहकारी समितियां बनवाने के कार्य को संस्थायें साधारण मानती हैं । इस कार्य में शिक्षार्थियों तथा ग्राम वासियों की किंचित्मात्र रुचि नहीं है ।

३- जातीय बंधन की संकीर्ण भावना से उद्योगों को अलग रखने तथा विवाह आदि अवसरों पर अपव्यय न करने के कार्यों में ग्राम वासियों को किंचित्मात्र रुचि नहीं है ।

४- खेती के कार्य में ग्राम वासियों की सबसे अधिक रुचि है किन्तु केवल १० प्रतिशत संस्थायें ही इस कार्य को प्राथमिकता देती हैं ।

-:000000:-

६- निर्माण का कार्यक्रम

तालिका क्रमांक -२३

-:०००:-

इस सम्भाग की बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा सन् १९५२ से ग्राम पुनर्निर्माण हेतु आयोजित कार्य क्रमों का विवरण संकलित करके उसमें से उल्लेखनीय सन् १९५२, ५७, ५८ व ६१ में निर्माण के कार्यक्रम को सम्पन्न करनेवाली प्रशिक्षण संस्थाओं की संख्या को प्रतिशत में निम्नांकित तालिका में अंकित किया गया है :-

क्रमांक	सम्पादित कार्यों का नाम	सन् १९५२ में करनेवाली संस्थाओं का प्रतिशत	सन् १९५७ में करनेवाली संस्थाओं का प्रतिशत	सन् १९५८ में करनेवाली संस्थाओं का प्रतिशत	सन् १९६१ में करनेवाली संस्थाओं का प्रतिशत
१	सड़कों के गड्ढे भरना	-	४०	६०	१००
२	कच्ची सड़कें बनाना	-	२०	४०	८०
३	पक्की सड़कें बनाना	-	१०	१०	२०
४	पाठशाला भवन बनाना	-	१०	२०	४०
५	पाठशाला भवन पर सफेदी करना	--	२०	४०	८०
६	सामाजिक कार्यों में श्रमदान करना	-	४०	६०	१००
७	पाठशाला की चहारदीवारी बनाना	-	१०	१०	२०
८	सोख्ता गड्ढे बनाना	-	१०	२०	३०
९	गन्दे पानी की नालियाँ बनाना	-	१०	३०	२०

इस तालिका के विश्लेषण से निम्नांकित तथ्यों का स्पष्टीकरण होता है :-

१- सन् १६५२ में निर्माण का कार्यक्रम किसी भी संस्था व्दारा आयोजित नहीं हुआ है किन्तु धीरे धीरे निर्माण के प्रत्येक कार्य ग्रामों में बुनियादी प्रशिक्षण संस्थायें करने लगी जैसा कि उपरोक्त समंकों से सिद्ध है ।

२- सन् १६६१ में सड़कों के गढ्ढे भरने तथा सार्वजनिक स्थानों में श्रमदान करने के कार्यों को १०० प्रतिशत संस्थाओं ने किया ।

३- पक्की सड़कों गन्दे पानी की नालियाँ तथा पाठशाला की चहार दीवारी को अधिक से अधिक केवल २० प्रतिशत संस्थायें बनाती हैं ।

४- कच्ची सड़के बनाने तथा पाठशाला भवनों पर सफेदी करने के कार्यों का स्थान दूसरा है इनको सन् १६६१ में ८० प्रतिशत संस्थाओं ने सम्पन्न किया है ।

५- निर्माण के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है । : अ : जिन कार्यों में रुपयों की आवश्यकता होती है जैसे पाठशाला भवन बनाना , पाठशाला की चहारदीवारी बनाना , तथा पक्की सड़क बनाना ,:ब: जिन कार्यों में रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है केवल श्रमदान से ही वे सम्पन्न होते हैं । इस तालिका से सिद्ध है कि प्रशिक्षण संस्थायें दोनों प्रकार के कार्य आयोजित कर रही हैं ।

तालिका क्रमांक २४

निम्नांकित तालिका दो बातों को स्पष्ट करती है :-

१- कितने प्रतिशत बुनियादी प्रशिक्षण संस्थायें किस कार्य को सर्वाधिक करती हैं ।

२- कितनी प्रशिक्षण संस्थाओं के शिक्षार्थी तथा क्षेत्रीय ग्राम वासी किस कार्य में अधिक रुचि लेते हैं ।-

[redacted]

तालिका क्रमांक - २४

-:0÷0:-

क्रमांक	कार्यों का विवरण	कितनी प्रतिशत संस्थायें किस कार्य को स्वाभाविक करती है	कितनी प्रतिशत संस्थाओं के शिक्षार्थी किस काम में अधिक रुचि लेते है	कितनी प्रतिशत संस्थाओं के क्षेत्रीय ग्राम वासी किस कार्य में अधिक रुचि लेते है
१	सड़कों में गढ्ढे भरना	२०	२०	२०
२	कच्ची सड़कें बनाना	१०	२०	१०
३	पक्की सड़कें बनाना	१०	-	१०
४	पाठशाला भवन बनवाना	१०	१०	१०
५	पाठशाला भवन पर सफेदी करना	१०	१०	१०
६	सामाजिक कार्यों में श्रमदान करना	२०	३०	३०
७	पाठशाला की चहारदीवारी बनाना	१०	१०	१०
८	सोख्ता गढ्ढे बनाना	१०	-	-
९	गन्दे पानी की नालियां बनाना	-	-	-

इस तालिका के समंकों का विश्लेषण निम्नांकित है :-

१- सार्वजनिक कार्यों में श्रम दान करने तथा सड़क के गढ्ढे भरने के कार्यों को सबसे अधिक संस्थायें करती हैं तथा इन्हीं दोनों कार्यों में शिक्षार्थियों तथा ग्रामवासियों की सर्वाधिक रुचि है ।

२- गन्दे पानी की नालियां बनाने के कार्य को संस्थायें किंचित्मात्र भी महत्त्व नहीं देती हैं तथा इस में ग्राम वासियों एवम् शिक्षार्थियों की भी रुचि नहीं है ।

३- सोख्ता गढ्ढे बनाने के कार्य में शिक्षार्थियों तथा ग्राम वासियों को किंचित्मात्र भी रुचि नहीं है ।

४- पक्की सड़क बनाने के कार्य में शिक्षार्थी रुचि नहीं लेते हैं ।

-:०००००:-

अष्टम - अध्याय

-::निष्कर्ष एवं सुझाव::-

-:o:-

गत अध्याय के समंकों एवम् कार्य क्रम के विश्लेषण से सिद्ध हो जाता है कि इस सम्भाग में बुनियादी पाठशालाओं तथा बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित ग्राम पुनर्निर्माण के कार्य क्रम में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है , तथा उनका प्रयास समग्र ग्राम रचना की ओर उन्मुख है । विभिन्न प्रकार की बुनियादी शिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित ग्राम पुनर्निर्माण के कार्यक्रम के समंकों का संकलन करते समय यथार्थता तथा वास्तविकता तक पहुंचने हेतु निम्नांकित साधनों का अवलम्बन लिया गया :-

१- सम्भाग की प्रत्येक बुनियादी शिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्था के प्रधानों से प्रश्नावली की पूर्ति कराई तथा संस्था द्वारा सम्पादित कार्यों के विवरण हेतु प्रश्नावली के चतुर्थ स्तम्भ की पूर्ति कराई गई ।

२- सम्भाग के समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों के पास प्रश्नावली भेज कर बुनियादी पाठशालाओं के कार्य क्रमों के सम्बन्ध में उनकी व्यक्तिगत सम्मति प्राप्त की ।

३- कुछ जिला विद्यालय निरीक्षकों , संस्थाओं के प्रधानों , विद्यार्थियों , प्रशिक्षणार्थियों तथा ग्राम वासियों से साक्षात्कार किया । उनसे प्रश्नावली में लिखे गये कार्य क्रमों के विषय में वार्तालाप करके उनकी व्यक्तिगत सम्मतियां प्राप्त की ।

४- ग्राम पुनर्निर्माण के कार्य क्रम के सम्बन्ध में संस्थाओं में उपलब्ध आलेखों , पत्र पत्रिकाओं , और पुस्तिकाओं का अवलोकन किया ।

५- जिला विद्यालयों निरीक्षकों के कार्यालय में उपलब्ध आलेखों के निरीक्षण द्वारा बुनियादी पाठशालाओं की प्रश्नावलियों से तुलना की ।

६- ग्रामों में पहुंच कर बुनियादी शिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थाओं के निर्माण कार्यों का अवलोकन किया और उसके संबन्ध में ग्राम वासियों से बात की ।

बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं, बुनियादी पाठशालाओं तथा जिला विद्यालय निरीक्षकों के पास भेजी गई प्रश्नावलियों की प्रतियां परिशिष्ट क्रमांक ५ तथा क्रमांक ६ पर संलग्न हैं ।

बुनियादी पाठशालाओं व्दारा निर्माण कार्य के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षकों के कार्यालय में जो आलेख उपलब्ध हैं उनसे प्राप्त विवरण का अधिक अंशों में समर्थन होता है । उदाहरण के लिये जिला विद्यालय निरीक्षक के एक आलेख की प्रतिलिपि परिशिष्ट क्रमांक २ पर संलग्न की गई है ।

निर्माण कार्य को कुछ स्थानों पर जाकर स्वयं देखा और चित्र लिये जो यत्र तत्र स्थापित हैं ।

ग्राम वासियों, विद्यार्थियों, तथा प्रशिक्षणार्थियों से साक्षात्कार के फलस्वरूप जो सम्मतियां प्राप्त हुई हैं उसका विवरण इस अध्याय के अंत में दिया गया है ।

इस प्रकार से यथार्थता तक पहुंचने का प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया गया है ।

-:00000:-

[redacted]

गत अध्याय में सम्भाग की बुनियादी शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थाओं व्दारा आयोजित ग्राम पुनर्निर्माण के कार्य क्रम का विश्लेषण कर चुके हैं । इस अध्याय में विश्लेषण के आधार पर प्रत्येक कार्य क्रम के निष्कर्ष एवं सुझाव क्रमशः दिये गये हैं ।

१- स्वास्थ्य तथा हाईजीन के कार्यक्र के सम्बन्ध में निष्कर्ष एवं सुझाव:-

तालिका क्रमांक १, २ तथा १३, १४ के अध्ययन से निम्नांकित निष्कर्ष निकलते हैं ।

१- समस्त बुनियादी शिक्षा संस्थायें ग्रामों में स्वास्थ्य तथा हाईजीन के कार्यक्रम का आयोजन कर रही हैं । इस आयोजन में समस्त कार्यों पर बल दिया जा रहा है । तथा प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम में प्रगति हो रही है ।

२- सन् १९५८ में प्रान्तीय सरकार ने २० जनवरी से २६ जनवरी तक बुनियादी शिक्षा सप्ताह संपन्न करने की योजना बनाई अतः प्रत्येक बुनियादी पाठशाला में ग्राम पुनर्निर्माण का कार्यक्रम आयोजित होने लगा ।यह सप्ताह प्रतिवर्ष इन्हीं तिथियों में समस्त प्रान्त में मनाया जाता है । इस सप्ताह के कारण ग्राम पुनर्निर्माण के कार्यक्रम में बहुत विस्तार हुआ और समस्त कार्यों का प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ने लगा ।

३- सन् १९५६ से नई नई प्रशिक्षण संस्थायें खुलती रही हैं अतः उनमें प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या में ज्यों ज्यों वृद्धि हो रही है । त्यों त्यों इस कार्यक्रम में भी वृद्धि हो रही है ।

४- तालिका क्रमांक २ से सिद्ध है कि ग्राम वासी धूम्र पान की कुटेव नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि एक ओर तो धूम्र पान करना और कराना आतिथ्य का एक साधन बन गया है। जिस व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत करते हैं उसे कोई अपना हुक्का नहीं देता है अत: हुक्का या चिलम द्वारा धूम्र पान करके प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध करता है कि वह जाति का एक प्रमुख एवं सम्मानित व्यक्ति है। दूसरा कारण यह है कि धूम्र पान करना ग्राम वासियों के लिये मनोरंजन का साधन है। जब वे कड़ी धूप में सूखी जमीन पर हल चलाते हैं और संतप्त वायु से उनका शरीर झुलसता है तब वे धूम्र पान का सहारा लेकर दो क्षण विश्राम कर लेते हैं। उनके पास पुन: स्फूर्ति धारण करने का अन्य कोई साधन नहीं है यही कारण है कि बुनियादी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के सतत प्रयत्नों के बादभी ग्राम वासियों की धूम्र पान की कुटेव आज भी यथावत है।

५- स्वास्थ्य तथा हाईजीन के कार्यक्रम में दो कार्यों को विशेष सफलता मिली है। इन दोनों कार्यों में पहला स्थान व्यक्तिगत सफाई का है। इस कार्य को संस्थाये सबसे अधिक कर रही हैं, विद्यार्थियों तथा ग्राम वासियों की इस कार्य में सबसे अधिक रुचि है। दूसरा कार्य सार्वजनिक स्थानों की सफाई का है क्योंकि इसमें भी विद्यार्थियों तथा ग्राम वासियों की सर्वाधिक रुचि है और संस्थायें भी इस को पर्याप्त मात्रा में करती हैं।

६- " शुद्ध जल के प्रयोग " का कार्यक्रम न तो बुनियादी संस्थायें अधिक संख्या में सम्पन्न कर रही हैं और न इसमें ग्राम वासियों की रुचि ही है। इसका कारण यह है कि ग्रामों के अधिकांश कुंए कच्चे हैं तथा उनका घाट जमीन की सतह से ऊंचा नहीं है। कुछ ग्रामों में कुंए भी नहीं हैं, वहां के निवासी तालाब, नदी या नहर आदि का पानी पीते हैं।

ग्राम वासी जब खेतों पर हल चलाते हैं, जंगल में लकड़ी काटते हैं या दूर दूर तक जीवकोपार्जन हेतु घूमते हैं तो उन्हें प्यास लगने पर शुद्ध पानी प्राप्त नहीं होता है अत: लाचार होकर वे जैसा भी पानी मिलता है उसी को पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं । शहरों में नलों की व्यवस्था है, पानी की टंकियों से साफ पानी नलों व्दारा घर बैठे प्रत्येक आदमी को प्राप्त हो जाता है अत: वहां पर इस कार्य में प्रगति होना स्वाभाविक है, ग्रामों में नहीं ।

७- नशीली वस्तुओं के सेवन से हानियों की बात भी ग्राम वासियों की समझ में नहीं आ रही है । इस कार्य को न तो बुनियादी संस्थायें प्रधानता दे रही हैं और न ही ग्राम वासियों तथा विद्यार्थियों की इस कार्य में रुचि है । इसका कारण यह है कि ग्रामों में मनोरंजन के साधनों का पूर्ण अभाव है । जब मजदूर वर्ग दिनके कठिन श्रम के पश्चात् थकाहुआ घर वापिस आता है तो एक ओर श्रम उसे शारीरिक पीड़ा विकल करती है और दूसरी ओर गृहस्थी की समस्यायें मानसिक वेदना देती हैं अत: वह इन कष्टों से मुक्ति पाने हेतु नशीली वस्तुओं का उपभोग करने लगता है ।

८- भोजन :-

तालिका क्रमांक दो:२: तथा १४ से ज्ञात होता है कि ग्राम वासियों के भोजन में सुधार करने के कार्य को बुनियादी शिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थायें अन्य कार्यों से अपेक्षाकृत कम करती हैं तथा इस कार्य में ग्राम वासियों, विद्यार्थियों स्वम् प्रशिक्षणार्थियों की रुचि भी सबसे कम है । इस उदासीनता का कारण ग्राम वासियों की निर्धनता है । स्वास्थ्य - विज्ञान के अनुसार संतुलित भोजन में घी, दूध तथा शक्कर या गुड़ आदि पदार्थों को अनिवार्य माना गया है । किन्तु ग्राम वासियों को वर्तमान परिस्थियों में इन भोज्य पदार्थों का प्राप्त होना दुर्लभ है । ग्राम का किसान दिन भर हल चलाने के पश्चात् बड़ी कठिनाई से किसी साधारण अनाज की रोटी से अपना तथा अपने बच्चों का पेट भरता है । ग्रामों के मजदूरों की स्थिति तो इनसे भी दयनीय है अत: इन निर्धन

तथा भूखे मानवों को सन्तुलित आहार का संदेश सुनाना निरर्थक ही है ।

सुझाव

१- यह एक मनोविज्ञानिक सत्य है कि उत्प्रेरणाओं से कार्य की प्रगति होती है । बुनियादी शिक्षा सप्ताह के आयोजन से ग्राम पुनर्निर्माण के कार्यक्रम में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है । सन् १९६१ से शिक्षा विभाग ने गांधी जयन्ती को भी ग्राम सेवा सप्ताह का रूप देना प्रारम्भ कर दिया है । अगर इसी प्रकार कुछ अन्य आयोजन चलते रहेंगे तो अवश्य ही कार्यक्रममें वृद्धि होती रहेगी ।

२- व्यक्तिगत सफाई, घरों की सफाई तथा सार्वजनिक स्थानों की सफाई में संस्थाओं को प्रशिक्षणार्थियों, विद्यार्थियों तथा ग्राम वासियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त होने लगा है अतः इन कार्यों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये ।

३- धूम्र पान तथा नशीली वस्तुओं के सेवन से ग्राम वासियों को मुक्ति दिलाने के लिये ग्रामों में मनोरन्जन के साधनों में वृद्धि करनी होगी । जब मन बहलाने के लिये ग्राम वासियों को स्वस्थ्य एवं उत्तम साधन सुलभ होंगे तो वे हानिकारक साधनों का सहारा न लेंगे । अतः शिक्षण संस्थाओं द्वारा पाठशाला भवन में या अन्य किसी सार्वजनिक स्थान पर वाचनालय, रामायण सभा कीर्तन, लोक नृत्य, लोक गीत, नाटक - प्रहसन तथा देशी खेलों की व्यवस्था की जानी चाहिये । पाठशालाओं का भवन रात्रि के समय खाली रहता है अतः उसका उपयोग समाज कल्याण केन्द्र के रूप में किया जा सकता है ।

४- शुद्ध पानी के लिये एक ओर तो पानी के वर्तनों की सफाई, कुंओं से दूर नहाने की व्यवस्था, गन्दे वर्तन कुंओं में न डालने आदि बातों के प्रचार की आवश्यकता है ।

दूसरी ओर विकास तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के सहयोग से कुंआ खुदवाने तथा उन्हें पक्का बधवाने हेतु ग्राम वासियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

५- ग्राम वासियों के भोजन को समतोल बनाने के लिये दो कार्य आवश्यक हैं।

:अ: उनकी आय में वृद्धि करने के लिये कृषि में उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न किया जाय और सहायक उद्योगों की स्थापना की जाय ।

:ब: साग सब्जी को उगाने और उसका उपयोग करने हेतु प्रयास किया जाय । साथ ही स्थानीय गुणकारी भोज्य वस्तुओं की खोज करके ग्राम वासियों को उनसे अवगत कराया जाय ।

२- सांस्कृतिक उत्थान के कार्यक्रम

तालिका क्रमांक ३, ४,१५ तथा १६ के अवलोकन से निम्नांकित निष्कर्ष निकलते है :-

१- सम्भाग की समस्त बुनियादी शिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थायें ग्रामों में सांस्कृतिक उत्थान के कार्यक्रम को आयोजित कर रही हैं। उनके व्दारा कार्य क्रम के प्रत्येक पहलू पर प्रयत्न हो रहा है। प्रति वर्ष कार्यक्रम में अभिवृद्धि हो रही है।

२- सन् १६५८ से कार्य क्रम में विशेष उन्नति हुई है जिसके दो प्रमुख कारण हैं । एक तो सन् १६५६, ५७ में बहुत प्रशिक्षण संस्थायें खुली जिनके प्रशिक्षित अध्यापकों ने पाठशालाओं में पहुंच कर ग्राम पुनर्निर्माण के कार्य क्रम में गति प्रदान की, और दूसरा प्रमुख प्रोत्साहन का कारण बुनियादी शिक्षा सप्ताह की योजना है ।

३- तालिका क्रमांक ३ से ज्ञात होता है कि संस्थाओं में सभी महापुरुषों की जयन्तियां समान रुप से नहीं मनाई जाती हैं। सन् १९६१ में गांधी जयन्ती ९६ प्रतिशत संस्थाओं में, विनोबा जयन्ती ७४.४ प्रतिशत संस्थाओं में तथा बुद्ध जयन्ती ४५.६ प्रतिशत संस्थाओं में मानाई गई है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय त्योहारों में १५ अगस्त को ९८.४ प्रतिशत संस्थाओं ने तथा सर्वोदय दिवस को ५४.४ प्रतिशत संस्थाओं ने सम्पन्न किया है। गांधी जयन्ती तथा बुनियादी शिक्षा सप्ताह क्रमशः ७४.४ प्रतिशत और ७६ प्रतिशत संस्थायें मनाती हैं। इसका कारण यह है कि अध्यापकों में व्यक्तिगत भावनायें काम करती हैं। वे बुद्ध और महावीर जयन्ती को जाति विशेष का पर्व मान लेते हैं, अतः इन जयन्तियों का आयोजन नहीं करते हैं। सर्वोदय दिवस का स्वरूप ही बदल गया है। मैंने साक्षात्कार के समय कुछ पाठशालाओं के प्रधान अध्यापकों से बात की तो ज्ञात हुआ कि वे विभागीय आदेशानुसार सूत की गुण्डिया पाठशाला व ग्राम वासियों से एकत्रित करके विभाग में भेज देते हैं। चूंकि सर्वोदय दिवसके सम्बन्ध में गांधी सप्ताह तथा बुनियादी शिक्षासप्ताह की तरह उनके पास स्पष्ट आदेश नहीं होता है। अतः अध्यापकों को सही मार्गदर्शन नहीं मिलने पाता है।

४- सन्१९६१ में धार्मिक पर्वों में १०० प्रतिशत पाठशालाओं ने राम नवमी का महोत्सव मनाया है किन्तु ईद का पर्व ३५.२ प्रतिशत पाठशालायें ही आयोजित कर सकीं। यही स्थिति प्रशिक्षण महाविद्यालयों की है। तालिका क्रमांक १५ से स्पष्ट है कि १९६१ में प्रशिक्षण संस्थाओं में से १०० प्रतिशत राम नवमी का आयोजन करती हैं किन्तु केवल ३० प्रतिशत संस्थाओं ने ईद को मनाया है। इस अन्तर का कारण अध्यापकों व ग्राम वासियों की धार्मिक भावना है। अब भी उनके दृष्टिकोण इतने संकुचित हैं कि वे समस्त धर्मों का समान आदर नहीं कर सकते हैं। कुछ प्रधानाध्यापकों ने बतलाया कि उनके ग्रामों में मुसलमानों के केवल दो घर हैं अतः जब रामनवमी मनाते हैं तो समस्त ग्राम वासी बड़े उत्साह से उस महोत्सव में सम्मिलित होते हैं किन्तु ईद मनाते समय केवल उन्हीं दो घरों से दो चार आदमी आ जाया करते हैं अन्य कोई व्यक्ति नहीं आता है।

कुछ अध्यापकों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ईद तो मुसलमानों का त्योहार है अत: हम नहीं मनाते हैं।

५- तालिका क्रमांक ४ व १६ से स्पष्ट है कि ग्राम वासियों तथा विद्यार्थियों को लोकगीत एवम् लोक नृत्य के कार्यों में सबसे कम रुचि है। लोक गीतों का स्थान ग्राम्य जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उनमें भारतीय संस्कृति का दर्शन होता है। प्रत्येक पर्व तथा अवसर के अलग अलग गीत ग्रामों में गाये जाते हैं, अनेक पर्वों तथा जातियों के अलग अलग नृत्य हैं, उनके देशी वाद्ययन्त्र व देशी श्रृंगार के साधन हैं। इतना सब होते हुये भी ग्राम वासी तथा ग्रामों के विद्यार्थी लोक गीत व लोक नृत्यों की ओर से उदासीन हैं क्योंकि उनपर सिनेमा संसार का घातक प्रभाव पड़ा है। ग्रामों में उत्सवों पर अब लाउड स्पीकर द्वारा सिनेमा के गन्दे गीत सुनाये जाते हैं। इन गीतों की ओर ग्राम समाज आकर्षित हो रहा है। ग्रामीणों में हीनता का भाव जम कर बैठ गया है वे शहर वालों को अपने से श्रेष्ठ समझनेके कारण प्रत्येक कार्य में शहरों का अनुकरण करते हैं। शहरों में सिनेमा के गीतों का बोल बाला है। वहां के बालकों, युवकों तथा वृद्धों को सहज ही सिनेमा के गीत गुनगुनाते हुये सुन सकते हैं। अत: ग्राम वासी समझने लगे हैं कि लोक गीत और लोक नृत्य पिछड़ी हुई समाज के प्रतीक हैं। प्रगति शील समाज में इनका नाम निशान तक नहीं है वहां सिनेमा के गाने ही गाये जाते हैं। इन्हीं कारणों से ग्राम वासियों तथा विद्यार्थियों के मन में लोक गीत व लोक नृत्य के प्रति रुचि नहीं रही है।

६- रामायण सभा के आयोजनों का प्रतिशत भी बहुत कम आया है ग्राम वासियों को इस आयोजन में भी सबसे कम रुचि है। इसका कारण ये है कि वे अपढ़ हैं अत: न तो रामायण को पढ़ सकते हैं और न ही उसका अर्थ समझ पाते हैं।

रामायण सभा की अपेक्षा कीर्तन - भजन के कार्य क्रम में उनको अधिक रुचि है क्योंकि कीर्तन व भजन में पढ़ने व अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं होती है उसे तो सबको साथ मिलकर गाया जाता है।

सुझाव :-

१- प्रत्येक पर्व के आयोजन हेतु विभाग से गांधी सप्ताह तथा बुनियादी शिक्षा सप्ताह की भांति स्पष्ट तथा विस्तृत कार्यक्रम सहित आदेश पाठशालाओं में भेजे जाना चाहिये ताकि अध्यापकों को सही मार्गदर्शन मिल सके और वे उस कार्य का लक्ष्य एवं उद्देश्य समझ सके।

२- अध्यापकों का हृदय - पवित्र तथा दृष्टि कोण विशाल होना चाहिये। उसके मन में तुलसी दास तथा रैदास के लिये समान सम्मान होना चाहिये। प्रत्येक अध्यापक को चाहिये कि वह ग्राम वासियों के साथ मिलकर समस्त महा पुरुषों की जयन्तियों को समान उत्साह से मनाये।

३- आज देश के सामने भावात्मक एकता का प्रश्न समस्या बनकर उपस्थित है। देश को सशक्त बनाने के लिये प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में सभी धर्म, जाति, वर्ग, व्यवसायों व प्रान्तों के प्रति आदर भाव होना चाहिये। आज पाठशालाओं में १०० प्रतिशत राम नवमी तथा ३५.२ प्रतिशत एवम् ३० प्रतिशत ईद का महोत्सव संपन्न हो रहा है, यह उचित नहीं है। इसका बालकों पर अनुचित प्रभाव पड़ेगा। अत: आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक पाठशाला में सभी धार्मिक पर्व समानता से सम्पन्न हों, उसमें ग्राम वासियों को आमंत्रित किया जाय और धीरे धीरे उनके दृष्टिकोण को विशाल बनाया जाय।

५- प्रत्येक व्यक्ति के मन में धार्मिक पर्वों को मनाने की उमंग अन्तर्तम में स्वाभाविक रूप से उठती है, ऐसी उमंग राष्ट्रीय पर्वों पर दिखाई नहीं देती है।

समस्त संस्थाओं को ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रीय पर्व को भी उसी उत्साह से सम्पन्न करने लगे तभी राष्ट्रीय भावना का निर्माण हो सकेगा ।

५- लोक गीत और लोक नृत्य के विषय में ग्राम वासियों के मस्तिष्क में बनी मानसिक ग्रंथि को ठीक करना सबसे आवश्यक है । इसके लिये बुनियादी पाठशालाओं मेंलोकगीतों का संग्रह हो , लोक गीतों को विद्यार्थी कंठस्थ करें, लोकगीत और लोक नृत्य के आयोजन होते रहे । अच्छे लोक गीत और लोक नृत्य पर पुरुष्कार वितरित किये जावें । धार्मिक पर्वों पर लोक गीत गाने हेतु ग्राम वासियों को प्रोत्साहित किया जावे ।

६- जिन कार्यों में ग्राम वासी रुचि लेने गये हैं उनका कार्य क्षेत्र विस्तृत किया जाना चाहिये ।

७- रामायण सभा को प्रभावशाली बनाने के लिये प्रौढ़ों को लिखना पढ़ना सिखाया जाना चाहिये ।

-:00000:-

३- प्रौढ़ शिक्षा का कार्य-क्रम

तालिका क्रमांक ५, ६, १७ तथा १८ के अध्ययन करने से निम्नांकित निष्कर्ष निकलते हैं।

१- सम्भाग की समस्त बुनियादी पाठशालायें तथा बुनियादी प्रशिक्षणसंस्थायें ग्राम पुनर्निमाण हेतु प्रौढ़ शिक्षा के कार्य क्रम का आयोजन कर रही हैं। प्रौढ़ शिक्षा को व्यापक अर्थ में लिया गया है तथा इस कार्यक्रम में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

२- बुनियादी शिक्षा सप्ताह की योजना एवम् प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या में वृद्धि होने के कारण सन् १९५८ से कार्य क्रम का प्रतिशत बहुत अधिक बढ़ गया है।

३- प्रौढ़ों को साक्षर बनाने का कार्य बुनियादी पाठशालाओं तथा बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा अन्य कार्यों की अपेक्षा सबसे अधिक हो रहा है। किन्तु समाचार पत्र पढ़कर सुनाने का कार्य सबसे कम होता है जब कि दोनों कार्य एक दूसरे के पूरक हैं। इसका कारण ये है कि बहुत कम पाठशालाओं में दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र तथा पत्रिकायें नहीं आती हैं। जब अध्यापकों को ही पत्र पत्रिकायें उपलब्ध नहीं है तब ग्रामीणों को पढ़कर सुनाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

४- कृषि का ज्ञान प्राप्त करने में ग्राम वासियों की सबसे अधिक रुचि है, इस बात का समर्थन बुनियादी पाठशालाओं तथा बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं के समंको से होता है किन्तु सन् १९६१ में कृषि का ज्ञान देने का कार्य केवल ९७.६ प्रतिशत बुनियादी पाठशालायें तथा ९० प्रतिशत प्रशिक्षण संस्थाओं ने ही किया है। बुनियादी पाठशालाओं में कुछ अध्यापक ऐसे भी हैं जिन्होंने कृषि को प्रशिक्षण काल में मुख्य या सहायक उद्योग के रूप में नहीं लिया था अतः वे अध्यापक ग्रामीणों को कृषि का ज्ञान नहीं देते हैं। कुछ अध्यापक कृषि का साहित्य उपलब्ध न होने के कारण

अपने आपको असमर्थ पाते हैं ।

५- पंचवर्षीय योजनाओं सम्बन्धी साहित्य बुनियादी पाठशालाओं को उपलब्ध नहीं होता है अत: वे इस कार्य को सबसे कम करती हैं । ग्रामोत्थान की दृष्टि से यह कार्य बहुत ही आवश्यक है फिर भी जानकारी न होने के कारण अध्यापक इस कार्य को नहीं कर पाते हैं ।

सुझाव :-

१- विन्ध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग के साथ ही समाज शिक्षा-विभाग था, अत: ग्रामों में काम करने वाले अध्यापकों को ही थोड़ा सा पारिश्रमिक देकर रात्रि पाठशालाओं को चलाने का कार्य कराया जाता था । अगर यह दोनों विभाग फिर एक साथ काम करने लगें तो बुनियादी पाठशाला के अध्यापकों को बड़ी सुविधा हो जायगी क्योंकि उन्हें समाज शिक्षा विभाग से मिट्टी का तैल, पुस्तक, पेन्सल व स्लेट आदि सामान सहज ही उपलब्ध हो सकेगा । समाज शिक्षा विभाग की ओर से समाचार पत्र तथा पत्रिकायें उपलब्ध होगी जिन्हें अध्यापक स्वयं पढ़ेगा और ग्राम वासियों को पढ़कर सुनायेगा ।

२- कुछ अध्यापकों ने अपने ग्रामों में शिक्षा समितियों का संगठन किया है । इन समितियों में ग्राम वासी मिलकर पत्र, पत्रिकाये तथा पुस्तकें मगाते हैं । अत: प्रत्येक अध्यापक अगर अपने ग्राम में शिक्षा समिति का निर्माण कर ले तो पत्र पत्रिकाओं की समस्या हल हो जायगी ।

३- पंचवर्षीय योजनाओं के प्रचार का समस्त साहित्य बुनियादी पाठशालाओं में भेजा जाना चाहिये । अनेक विभाग अपनी अपनी योजनाओं को प्रकाशित कराते हैं, यह समस्त प्रकाशन पाठशालाओं के पुस्तालयों में संग्रहीत किये जा सकते हैं ।

४- ग्रामों में चलने वाले उद्योगों की उन्नति के लिये ग्राम वासियों को तत् सम्बन्धी सरकारी योजनायें समझाई जायें और उनसे सम्बन्ध स्थापित कराया जाय ।

उनके सहायक यन्त्रों में सुधार करके अच्छा बनाया जाय ।

५- ग्रामों से सम्बन्ध रखने वाले भिविन्न विभागों से अध्यापक का अगर थोड़ा भी सम्पर्क हो तो उसे उनसे विशेष जानकारी प्राप्त हो सकती है । अन्य विभाग भी अगर अध्यापकों की सहायता ले तो वे ग्रामों में अधिक कार्य कर सकेते हैं ।

६- साक्षरता को शिक्षा न माना जाय, वरन् साक्षरता के साथ साथ ग्राम वासियों को जीवन की शिक्षा दी जाय जिसमें कृषि, स्वास्थ्य, अध्यात्म आदि विषयों को भी स्थान हो ।

४- सामाजिक उत्थान के कार्यक्रम

तालिका क्रमांक ७, ८, १६ तथा २० के अव लोकन से निम्नांकित निष्कर्ष स्पष्ट होते हैं ।

१- इस सम्भाग की समस्त बुनियादी प्रशिक्षण एवम् शिक्षण संस्थाओं व्दारा ग्राम पुनर्निर्माण हेतु सामाजिक उत्थान के कार्य क्रमों का संपादन हो रहा है । सामाजिक उत्थान हेतु सर्वतोन्मुखी प्रयास हो रहे हैं और प्रति वर्ष उत्तरोत्तर उन्नति हो रही है ।

२- सन् १९५८ में इस कार्यक्रम में सर्वांगीण अभिवृद्धि हुइ है क्योंकि एक ओर प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या में प्रशिक्षण संस्थायें खुलने के कारण वृद्धि हुई है और दूसरी ओर बुनियादी शिक्षा सप्ताह की योजना से प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है ।

३- उक्त तालिकाओं सेसिद्ध है कि पर्दा प्रथा की हानियों को समझाने में ग्राम वासी किंचितमात्र भी रुचि नहीं लेते हैं । इस कार्य के आयोजन में बुनियादी पाठशालाओं तथा प्रशिक्षण संस्थाओं को सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है ।

अत: इस कार्य का प्रतिशत वहुत ही कम रहा है इससे सिद्ध होता है कि ग्राम वासी अभी वहुत ही अधिक रूढ़ वादी हैं। उनका दृष्टि कोण वहुत ही संकुचित है वेह स्त्रियों को पर्दा में रखना ही श्रेयष्कर समझते हैं।

४- दो कार्यों में वुनियादी संस्थाओं को विशेष सफलता प्राप्त हुई है एक अंध विश्वाश को दूर करने के कार्य क्रम में और दूसरा जाति पांति के झगड़ों को आपस में प्रेम से हल करने के कार्य में। ग्राम वासी भी इनकार्यों में सवसे अधिक रुचि लेने लगे हैं। यह दोनों कार्य वहुत ही महत्व के हैं क्योंकि ग्राम वासियों को अंध विश्वाश तथा जातियों के लड़ाई झगड़ों के कारण वहुत मात्रा में धन एवं जन हानि उठानीपढ़ती है। अगर ग्रामों में सभी व्यक्ति प्रेम से रहने लगें तो मुकद्दमें वाजी में व्यय होने वाली धन राशि की वचत होगी और उनकी सामूहिक शक्ति अच्छे कार्यों मे लगे गी। अंध विश्वाश से मुक्ति प्राप्त करने के पश्चात् वे तंत्र मंत्र, ओझा सोखा व भूत प्रेत के डर से मुक्ति पा जायेंगे और उनके रुपयों की वचत होगी।

५- समग्र समाज रचना के लिये स्त्री तथा पुरुष दोनों की प्रगति आवश्यक है। किन्तु ग्रामों में अव भी लड़कों को लड़कियों की अपेक्षा अधिक महत्त्व प्राप्त है। लड़कों को शिक्षा देने के लिये ग्राम वासी पाठशाला भेजने को तैयार हो जाते हैं, उसकी शिक्षा हेतु व्यय की व्यवस्था भी कर देते हैं किन्तु लड़कियों की शिक्षा को वे किंचितमात्र महत्व नहीं देते हैं आज भी उनके मन में स्त्री समाज के प्रति हीन भाव है। यही कारण है कि संस्थाओं को इस कार्य में सवसे कम सफलता प्राप्त हुई है।

सुझाव :-

१- अंध विश्वास को मिटाने तथा जातियों के झगड़ों को प्रेम से हल करने के कार्यों में संस्थाओं को सफलता प्राप्त हुई है । यह दोनों कार्य बहुत ही महत्व के हैं । इन कार्यों के विस्तार हेतु संस्थाओं व्दारा अधिक प्रयत्न किये जाने चाहिये ।

२- ज्यों ज्यों शिक्षा का प्रचार होगा और लोग शिक्षित होते जावेंगे त्यों त्यों रूढ़ वादिता का अंत होगा और समाज की विचार धारा में उदारता आयेगी । अत: लड़कियों को अधिक से अधिक संख्या में पाठशाला लाने का प्रयत्न करना चाहिये ।

३- पर्दा प्रथा को कम करने के लिये अध्यापिकाओं व्दारा प्रयत्न किये जाने चाहिये । कन्या पाठशालाओं में प्रत्येक उत्सव पर ग्रामीण औरतों को आमंत्रित किया जाय, उनकी समितियां बनाई जाय, कीर्तन भजन के कार्य क्रम रक्खे जायं ।

४- संस्थाओं में स्वयं सेवक दलों का निर्माण हो तथा उनके अधिकाधिक कार्य ग्रामों में सम्पन्न हों ताकि ग्राम वासियों को प्रेरणा मिले ।

५- बाल विवाह को रोकने के लिये ग्राम वासियों की विचार धारा में परिवर्तन करना होगा, यह कार्य केवल शिक्षा व्दारा ही सम्भव है । अत: ग्रामीणों को शिक्षित करने की दिशा में विशेष प्रयत्न वांछनीय है ।

५- आर्थिक विकास के कार्यक्रम

तालिका क्रमांक ६, १०, २१ तथा २२ से निम्नांकित निष्कर्ष निकलते हैं :-

१- ग्राम में आर्थिक विकास हेतु समस्त बुनियादी शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थायें प्रयत्नशील हैं । उनके व्दारा आर्थिक वृद्धि के प्रत्येक सम्भव कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं तथा इन समस्त कार्यक्रमों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

२- उक्त तालिकाओं से सिद्ध होता है कि बुनियादी शिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थाओं व्दारा आर्थिक विकास हेतु ग्रामों में दो प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं ।

:अ: अपव्यय रोकने के कार्य क्रम :- अगर किसी प्रकार से ग्रामों में रुपयों का अपव्यय रोका जासके तो ग्रामवासियों की आर्थिक स्थिति अपने आप अच्छी हो सकती है । जब ग्राम वासी आपस में लड़ते हैं तो उनका बहुत सा पैसा वकीलों आदि के घर मुकदमें वाजी के कारण चला जाता है । आपसी झगड़ों के कारण एक दूसरे की फसल जला देते हैं या पशुओं से नष्ट करा देते हैं । अंध विश्वास के कारण देवी देवताओं व भूतों की पूजा में पैसा नष्ट होता है । बीमारी के समय चिकित्सा नहीं कराते हैं इसके कारण अकाल मृत्यु अधिक संख्या में होती हैं । विवाह के लिये बड़े बड़े दहेज देने पड़ते हैं और दावतों पर अनावश्यक व्यय करना पड़ता है इससे वे कर्ज में दब जाते हैं । जातियों के अहंकार में ब्राह्मण व क्षत्री अपने हाथ से खेती नहीं करते हैं अत: उनके खेत खाली पड़े रहते हैं जब इन समस्त कार्यों में सुधार हो जायगा तब ग्राम वासियों का पैसा उनके ही पास रहेगा । अत: संस्थायें अपव्यय रोकने के कार्य क्रम आयोजित कर रहीं हैं ।

:ब: आय में वृद्धि करने के कार्य :- अधिकांश ग्राम वासी खेती करते हैं । खेती से उन्हें पर्याप्त आय नहीं होती है अत: संस्थाओं व्दारा एक ओर खेती की आय बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है दूसरी ओर सहायक उद्योगों तथा फलदार वृक्षों को लगाने की ओर ध्यान दिया जा रहा है ।

३- रूढ़िवादिता के वन्धन में ग्राम वासी इतने अधिक जकड़े हुये हैं कि न तो वे वैवाहिक कृत्यों के अपव्यय को कम करने की ओर ध्यान देते है और न जाति पाँति के वन्धनों से मुक्त होनेके कार्यक्रम में उनकी कोई रूचि ही है। जाति वन्धन को कम करने हेतु संस्थाओं व्दारा भी अधिक प्रयत्न नहीं किये जा रहे हैं क्योंकि यह परम्परा युगों से चली आ रही है। अगर इस जाति प्रथा को कम करने हेतु अध्यापक कोई विशेष प्रयत्न करेगा तो उसे सम्पूर्ण ग्राम समाज के कोप का भाजन वनना पड़ेगा । यही कारण है कि ग्रामों में जाति पाँति के वन्धनों को समझाने का कार्यक्रम संस्थायें धीरे धीरे कर रही हैं।

४- तालिका क्रमांक १० व २२ से ज्ञात होता है कि वालकों को वैवाहिक कार्यो के अपव्यय रोकने में किंचित्मात्र रूचि नहीं है। इसका कारण यह है कि वालक सदैव प्रदर्शन तथा जुलूश एवं वाजों आदि के आयोजनों से प्रसन्न होते हैं । उन्हें तरह तरह के पकवान विवाह के समय खाने को मिलते हैं। अत: इस कार्यक्रम में उनकी अरूचि का होना स्वाभाविक ही है ।

५- खेती में अधिक उत्पादन के लिये अच्छी खाद की व्यवस्था करना अति आवश्यक है। तालिका क्रमांक १० तथा २२ से स्पष्ट है कि खाद वनाने के कार्य क्रमे में ग्राम वासी रूचि नहीं लेते हैं। गोवर की खाद सवसे अच्छी होती है किन्तु ग्राम वासी गोवर के उपले वनाकर जला देते हैं । उपले वनाकर जलाने से लकड़ी की समस्या हल हो जाती है । लकड़ी खरिदने में रुपये पैसे की आवश्यकता होती है। रुपया ग्राम वासियों के पास कभी रहता ही नहीं है अत: वहुत समझाने पर भी वे गोवर को जलाने के ही काम में लाते हैं।

६- इस समस्त कार्य क्रम में ग्राम वासियों तथा विद्यार्थियों को खेती की उन्नति के कार्यक्रम में सव्से अधिक रूचि है। यह स्वाभाविक ही है ।

७- गृह उद्योगों के कार्यक्रम भी संस्थाओं द्वारा बहुत ही कम आयोजित हो रहे हैं तथा ग्राम वासी भी इसमें रुचि नहीं लेते हैं। इसका कारण यह है कि एक तो किसानों के पास साधन नहीं है, और दूसरा तैयार माल के लिये बाजार नहीं है क्योंकि उनका बनाया सामान मशीन के सामान से महगा तथा कम अच्छा होता है।

सुझाव :-

१- शिक्षा के प्रचार से अंध विश्वास तथा रुढ़िवादिता अपने आप समाप्त हो जायगी अत: ग्रामों में अधिक से अधिक शिक्षा का प्रचार होना चाहिये।

२- अगर प्रयत्न करके एक या दो व्यक्तियों से खाद बनवाकर उसका खेती में प्रयोग करा दिया जाय, जब ग्राम वासी खाद के प्रभाव को प्रत्यक्ष ही देखेंगे तो वे भी खाद बनाने लगेंगे।

३- बुनियादी संस्थाओं द्वारा ग्राम उद्योग की वस्तुओं को अपनाया जाना चाहिये। और अन्य लोगों को उन्हें अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये।

४- सहकारिता के प्रचार एवं प्रसार के लिये संस्थाओं को चाहिये कि वे अपने यहां विद्यार्थियों तथा प्रशिक्षणार्थियों की सहयोगी समितियां बनवा दें। इससे एक ओर तो बच्चों को भविष्य के लिये प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा और दूसरी ओर ग्राम वासी उसको देख व समझ सकेंगे तथा प्रोत्साहित होकर स्वयं समितियों का निर्माण करने लगेंगे।

५- खेती की उन्नति व फलदार वृक्ष लगाने के कार्यक्रमों में विस्तार की आवश्यकता है। तभी ग्रामों की आर्थिकस्थिति में सुधार हो सकता है।

६- उद्योगों की उन्नति के लिये जाति बंधन को कम करने का प्रयत्न करना आवश्यक है।

६- निर्माण का कार्यक्रम

तालिका क्रमांक ११, १२, २३ तथा २४ के विश्लेषण से निम्नांकित निष्कर्ष निकलते हैं :-

१- ग्रामों में बुनियादी शिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थायें निर्माण तथा श्रमदान के कार्य क्रमों को विस्तार से आयोजित कर रही हैं तथा उनके इस कार्यक्रम में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है ।

२- सन् १९५६ में इस सम्भाग में बहुत सी बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थायें खुली जिनमें प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अध्यापकों की संख्या में ज्यों ज्यों अभिवृद्धि हुई है त्यों त्यों इस कार्यक्रम में भी वृद्धि हुई है ।

३- सन् १९५८ से बुनियादी शिक्षा सप्ताह का आयोजन हुआ है तभी से इस कार्यक्रम में विशेष उन्नति हुई है यह उन्नति स्थाई है और उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है ।

४- बुनियादी पाठशालायें सामाजिक कार्यों में श्रमदान का कार्य सबसे अधिक करती हैं तथा इसी कार्य में ग्राम वासियों की सबसे अधिक रुचि है जैसा कि तालिका क्रमांक १२ और २४ से स्पष्ट है । इससे सिद्ध होता है कि ग्राम वासियों में सामाजिक भावना बलवती हो रही है और बुनियादी पाठशालायें समाज की प्रेरणा का केन्द्र बन रही हैं ।

५- प्रतिवर्ष वर्षा के कारण ग्रामों के कच्चे रास्ते कट जाते हैं अतः उनकी मरम्मत करने का कार्य बुनियादी शिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थायें अधिक मात्रा में कर रही हैं साथ ही कच्ची सड़कों को पक्का बनाने का प्रयास भी चल रहा है । कई स्थानों पर स्वयं मैंने जाकर इनके द्वारा बनाई गई कच्ची व पक्की सड़कों को देखा ।

उदाहरण के लिये वर्मा डांग में बुनियादी पाठशाला व्दारा १ $\frac{1}{2}$ मील लम्बी कच्ची सड़क तथा गणेश गंज में बुनियादी प्रशिक्षण महा विद्यालय कुण्डेश्वर व्दारा एक मील लम्बी पक्की सड़क के निर्माण में ग्रामवासियों का सहयोग उल्लेखनीय है । पहाड़ी की पाठशाला हेतु श्रमदान व्दारा बनाया गया पक्का भवन , मधुवन का महिला भवन , मिनौरा का पुल तथा शिव पुरी का कुंआ आदि अनेक निर्माणों को देखने से सिद्ध होता है कि बुनियादी संस्थाओं व्दारा ग्रामों में ठोस कार्य हो रहे हैं ।

६- तालिका क्रमांक ११, १२ और २३, २४ के अवलोकन से ज्ञात होता है कि बुनियादी शिक्षा संस्थाओं व्दारा ग्रामों में गन्दे पानी की नालियां बनाने का काम बहुत ही कम हो रहा है । इसका कारण यह है कि ग्रामों के मकान, शहरों की भांति, सीधी पक्तियों में नहीं हैं अत: वहां नालियों का बनाना सम्भव ही नहीं है ।

७- तालिका क्रमांक ११ से ज्ञात होता है कि सन् १९६१ में केवल २८ प्रतिशत बुनियादी पाठशालाओं ने ग्रामों में सोख्ता गढ्ढे बनाने का काम सम्पन्न किया है जब कि अन्य कार्य इसकी अपेक्षा अधिक पाठशालाओं ने किये हैं । इस विषमताकाकारण ग्राम वासियों की छुआ छात की भावना है । सोख्ता गढ्ढे आम तौर से गन्दे पानी के स्थानों पर बनते हैं अत: ग्रामीण बालक इस कार्य में रुचि नहीं लेते हैं । या उनमें गन्दा रहने की आदत इतनी अधिक पड़ गई है कि उससे उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का अनुभव नहीं होता है । इसी कारण इस कार्य में ग्राम वासियों की रुचि शून्य प्रतिशत है जैसा कि तालिका क्रमांक १२ से स्पष्ट है ।

सुझाव :-

१- अध्यापकों व्दारा विभाग की ओर से पाठशाला भवन, अध्यापक निवास स्थान, शौच गृह तथा अन्य निर्माण कार्य कराये जाते हैं । अत: यदि प्रत्येक पाठशाला से एक अध्यापक को निर्माण कार्यों का प्रारम्भिक ज्ञान कराने हेतु अल्पकालीन

प्रशिक्षणों की व्यवस्था अन्य प्रशिक्षणों की भांति हो सके तो निर्माण कार्य बहुत ही उत्तम ढंग से सम्पन्न हो सकते हैं ।

२- अगर पाठशालायें सार्वजनिक कार्यों को अपनाती रहेंगी तो वे समाज के अधिक निकट पहुंच सकती हैं ।

३- नए निर्मित होने वाले मकानों के सम्बन्ध में अध्यापक को ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि ग्राम वासी उन्हें सीधी पंक्तियों में बनावे ।

४- सोख्ता गढ्ढों का निर्माण ग्रामों की गन्दगी की समस्या देखते हुये अति आवश्यक प्रतीत होता है । सर्व प्रथम इनका निर्माण पाठशालाओं में विद्यार्थियों के पानीगृह के पास व पेशाब घर में होना चाहिये । जब इनका उपयोग बच्चेव ग्राम वासी प्रत्यक्ष देखेंगे तब वे धीरे धीरे वे भी बनाने लगेंगे ।

५- निर्माण कार्य के लिये किसी एक ग्राम में संस्था को अपनी शक्ति केन्द्रित करना चाहिये । जब किसी एक ग्राम में निर्माण का कोई कार्य पूरा हो जायगा तोउससे दो लाभ होंगे :-

:अ: उस ग्राम के निवासियों को अन्य कार्यों के लिये प्रोत्साहन मिलेगा ।

:ब: अन्य ग्राम वासी जब उस निर्माण को देखेंगे तो उन्हें प्रेरणा मिलेगी तथा वे श्रमदान में विश्वास करने लगेंगे । बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय कुण्डेश्वर ने निर्माण हेतु गणेश गंज नामक ग्राम में अपनी शक्ति केन्द्रित की । राज मार्ग से गांव तक कच्ची सड़क भी नहीं थी, बीच में एक नाला था जिसे बरसात में पार करना टेढ़ी खीर थी । अत: सन् १९५४ में इस नाले पर पुल बनाने का निर्णय किया । आरम्भ में ग्राम वासियों से वांछित सहयोग नहीं मिला किन्तु जब पुल बनने लगा तो ग्राम वासियों ने उसके निर्माण का पूर्ण उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया ।

पुल के निर्माण के पश्चात् ग्राम वासियों ने अपने आप ही पक्की सड़क बनाने का संकल्प लिया । आरम्भ में महाविद्यालय के अध्यापक उस ग्राम में लोगों को श्रम दान व सहयोग के लिये घर घर जाकर समझाते थे किन्तु अन्त में ग्राम वासी अपनी योजना लेकर अध्यापकों के पास आकर सहयोग की प्रार्थना करने लगे । ज्यों ज्यों निर्माण कार्य होते गये त्यों त्यों ग्राम वासियों का उत्साह बढ़ता गया जिसके परिणाम स्वरुप उस गांव में सन् १९५४ में पक्का पुल, सन् १९५५ व ५६ में एक मील लम्बी पक्की सड़क, सन् १९५७-५८ में एक पक्का महिला भवन, १९५९-६० में एक शिशु सदन बना । गणेश गंज के इन कार्यों से अन्य ग्राम वासियों को प्रेरणा मिली अत: प्रत्येक ग्राम में योजनायें बनी, उन्होंने महा विद्यालय से सहयोग की याचना की और अपनी अपनी योजनाओं को कार्य रूप में परिणित किया । इस संस्था के निकटवर्ती प्रत्येक ग्राम में सदैव एक के बाद दूसरा निर्माण कार्य चलता ही रहता है ।

साक्षात्कार के समय ग्राम वासियों तथा शिक्षकों से प्राप्त विचारों एवं अनुभूतियों का सार

शोधक ने विभिन्न जिलों की ग्रामों में स्थित २२ पाठशालाओं में जाकर वहां के ग्राम वासियों से साक्षात्कार किया । बड़े ही उत्साह के साथ उन भाईयों ने अपनी बुनियादी पाठशाला द्वारा किये गये निर्माण कार्यों की प्रशंसा करते हुये आग्रह पूर्वक अनेक सम्पन्न कार्यों को दिखाया । उदाहरणार्थ - बर्मा डांग जिला टीकमगढ़ के भाईयों ने १½ मील लम्बी कच्ची सड़क तथा कन्या पाठशाला का पक्का भवन दिखाया जो स्थानीय बुनियादी पाठशाला के अध्यापकों के प्रयत्नों से निर्मित हुये थे । ग्राम मजना जिला टीकमगढ़ के लोगों ने ४ फीट ऊंची ६० गज लम्बी पक्की चहारदीवारी दिखाई जिसका निर्माण ग्राम वासियों ने सहायता तथा सहयोग देकर किया था । ग्राम जेरौन जिला टीकमगढ़ की बुनियादी पाठशाला द्वारा आयोजित ग्राम प्रदर्शनी , ड्रामा तथा शिक्षक सम्मेलन में शोधक को स्वयं भाग लेने का अवसर मिला जहां पर उसे ग्राम वासियों के उत्साह एवं सहयोग के प्रत्यक्ष दर्शन हुये । ग्राम अतर्रा जिला टीकमगढ़ में ग्राम वासियों ने अपना ग्राम पुस्तकालय दिखाया जिसमें उस समय ३४० पुस्तकें थी जिसका संयोजक बेसिक पाठशाला का प्रधान अध्यापक था । महा राज पुर जिला छतर पुर के ग्रामवासियों ने बेसिक स्कूल द्वारा आयोजित मासिक बाल मेला का आकर्षक वर्णन किया । ग्राम इटवा जिला पन्ना के ग्रामीण भाईयों ने बड़े उत्साह से शिक्षक द्वारा प्रारम्भ की गई रामायण सभा तथा भजन मण्डली का वर्णन सुनाया, यही पर शोधक को एक ग्राम पुस्तकालय को देखने का अवसर मिला जिसकी स्थापना १५ अगस्त १९६१ को हुई थी इस पुस्तकालय में २२० उत्तम पुस्तकें हैं तथा एक दैयनिक पत्र एवं दो साप्ताहिक पत्र मगाये जाते हैं , इस पुस्तकालय की स्थापना ग्राम वासियों के सहयोग से हुई है, यहां पर नियमित रूप से अध्यापक

ग्राम वासियों को समाचार पत्र तथा पुस्तके पढ़कर सुनाता है। सतना जिले के वरहना ग्राम में शिक्षकों की प्रेरणा व सहयोग से ग्राम वासियों ने मिलकर ७ पक्के कमरे व एक पक्का कुंआ बनाया है। जिला सतना के सज्जन पुर में पाठशाला के दो कमरे व एक हाल, जैत वारा में तीन कमरे तथा रैगांव में पूर्ण पाठशाला भवन देखने को मिला। राजकीय बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण महा विद्यालय के निकट वर्ती ग्रामों में चलने वाले ग्राम पुनर्निर्माण कार्य का शोधक को ७ वर्ष से प्रत्यक्ष अनुभव है यहां गणेश गंज, मिनौरा, शिव पुरी तथा नया गांव में समाज शिक्षा केन्द्रों का संचालन प्रशिक्षणार्थी करते हैं। प्रत्येक सत्र में बुनियादी शिक्षा सप्ताह तथा गांधी सप्ताह के अवसर पर यहां के प्रशिक्षणार्थी तथा समस्त प्राध्यापक ग्रामों में ही निवास करते हैं। यहां का चल पुस्तकालय ग्रामों में घूम घूम कर पुस्तकों का वितरण करता है तथा इस महा विद्यालय के सहयोग से कई ग्रामों में कम्बल बुनाई, अम्बर चर्खा तथा सुगम उद्योगों के सफल केन्द्र चल रहे हैं।

उक्त ग्रामों में ग्राम वासियों से बात करने पर शोधक इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधिकांश ग्राम वासी अपनी बुनियादी पाठशालाओं तथा निकट वर्ती प्रशिक्षण केन्द्रों से संतुष्ठ हैं। बातचीत के समय कुछ ग्राम वासियों ने निम्नांकित विचार व्यक्त किये:-

१- सहायक सामग्री के अभाव में कुछ योजनायें सुचारु रूप से नहीं चलने पाती हैं अत: इन बुनियादी पाठशालाओं में समस्त आवश्यक सामग्री होना चाहिये।

२- कभी कभी बुनियादी पाठशालाओं में अप्रशिक्षित अध्यापक आजाते हैं जिनके कारण समस्त योजनायें रुक जाती हैं।

३- कभी कभी ऐसे अध्यापक आ जाते हैं जो संस्था में दल बन्दी स्थापित कर देते हैं, इस प्रकार के अध्यापकों को पाठशाला से स्थानान्तर करने की प्रार्थना जब अधिकारियों से की जाती है तो वे ध्यान नहीं देते हैं।

४- निरीक्षण अधिकारी अधिकांश बुनियादी प्रशिक्षित नहीं है अतः उनसे उतना सहयोग एवं प्रोत्साहन नहीं मिलता है जितना आपेक्षित है ।

५- जहां तक सम्भव हो शिक्षक स्थानीय होना चाहिये जिससे वे संस्था को अधिक से अधिक समय दे सकें ।

सर्वेक्षण के समय शोधक को अनेक शिक्षकों तथा प्राध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों से बात करने का अवसर मिला उन्होंने ग्राम पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में जो अनुभव सुनाये उनका संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है ।-

१- कुछ अध्यापकों ने बताया कि ग्रामों में कार्य करने के लिये धैर्य एवं लगन की आवश्यकता है क्योंकि ग्राम वासी आरम्भ में अध्यापक पर विश्वास नहीं करते हैं । आजतक ग्रामों में पहुंचने वाले अधिकांश शासकीय अधिकारियों ने उन्हें परेशान किया है अतः वे अध्यापकों तथा उनकी योजनाओं को भी शंका भरी दृष्टि से देखते हैं । इसीलिये ये अध्यापक ग्रामों में दीर्घ काल तक चुपचाप रचनात्मक कार्यों में लगे रहे । जब ग्राम वासियों को विश्वास हो गया कि यह लोग उनकी भलाई के लिये ही कार्य कर रहे हैं तब वे अध्यापकों के इतने निकट आ गये कि उनसे अपनी निजी समस्याओं में भी सलाह लेने लगे ।

२- कुछ अध्यापकों ने बताया कि ग्रामों में अंध विश्वास, धार्मिक संकीर्णता एवं छुवा-छूत के भेद भाव को दूर करने के कार्य क्रम को बड़ी सतर्कता के साथ प्रारम्भ करना चाहिये, क्यों कि इन बातों में सीधा हस्तक्षेप करने पर ग्राम वासी अध्यापक को शंका एवं हेय दृष्टि से देखने लगते हैं तथा अन्य कार्यों में सहयोग के स्थान पर खुला विरोध करने लगते हैं ।

३- कुछ अध्यापकों ने बताया कि रात्रि पाठशाला चलाने से ग्रामोत्थान के कार्यों में बहुत सहायता मिलती है। उनका अनुभव है कि ग्राम के समस्त बच्चे दिन में पाठशाला में पढ़ने नहीं आ सकते हैं। रात्रि में बच्चे तथा प्रौढ़ अपने दैनिक कार्यों से फुर्सत पा जाते हैं अत: वे बड़ी संख्या में अपने आप ही रात्रि पाठशाला में नियमित रूप से उपस्थित होने लगते हैं।

४- एक अध्यापक ने बताया कि उनके गांव में भयानक दलबन्दी थी, अध्यापक की किसी भी योजना में ग्राम वासी सहयोग नहीं देते थे। उसने पाठशाला के मैदान में बैठकर नियमित रूप से रात्रि में एक घन्टा रामायण का पढ़ना तथा उसका अर्थ कहना शुरू किया, ग्रामवासी अपने आप धीरे धीरे रामायण सुनने आने लगे। एक माह पश्चात् गांव का प्रत्येक बूढ़ा तथा युवक, स्त्री तथा पुरुष उस रामायण के कार्यक्रम में उपस्थित होने लगा। अध्यापक ने रामायण के माध्यम से ग्रामीणों को प्रेम का सन्देश सुनाया और दलबन्दी को समाप्त किया।

सप्तम् - अध्याय

उपसंहार

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश में नव निर्माण के अनेकों प्रयत्न किये गये। हर क्षेत्र में पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा नव सृजन का भागीरथी प्रयास चला। प्रजा तंत्र की नीव को दृढ़ करने हेतु आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक पहलुओं पर विविध कार्यक्रमों का आज भी चतुर्मुखी आयोजन चल रहा है। इन समस्त कार्यक्रमों में शिक्षा के महत्व को स्वीकार करके देश की जनप्रिय सरकार ने ६ से १४ वर्ष तक की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का संकल्प लिया है तथा उसके लिये बुनियादी शिक्षा को राष्ट्रीय शिक्षा के रूप में मान्यता प्रदान की है। इस अभूतपूर्व संकल्प की पूर्ति हेतु देश भर में अनेकों बुनियादी पाठशालाओं की स्थापना हो रही है, परम्परागत पाठशालाओं को बुनियादी पाठशालाओं में परिवर्तित किया जा रहा है तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु बुनियादी प्रशिक्षण संस्थायें खोली जा रही हैं।

इन समस्त कार्यों का लक्ष्य समाज का उत्थान करना है। भारत का असली समाज ग्रामों में रहता है जो शदियों की दासता तथा शोषण के कारण अन्दर ही अन्दर खोखला हो गया है। उसमें अनेक विकार उत्पन्न हो गयें हैं। इन विकारों को दूर करके स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिये शिक्षा ही एकमात्र अद्वितीय शक्ति है, यदि उसके रूप को समयानुकूल बनाकर समाज से उसका गठबन्धन कर दिया जाय। यही कारण है कि आज देश भर में बुनियादी शिक्षा का अभियान चलाया जा रहा है क्योंकि यह शिक्षा पूर्ण रूपेण उस भारतीय समाज के अनुकूल है जो सात लाख ग्रामों में बसा हुआ है। इस प्रकार ग्रामों के उत्थान की व्यवस्था बुनियादी शिक्षा के साथ ही साथ होती जा रही है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि ग्रामों के विविध क्षेत्रीय उत्थान कार्य में बुनियादी शिक्षा संस्थाओं का महत्व पूर्ण योग दान है।

इस सम्भाग में बुनियादी शिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थाओं ने जिस प्रकार ग्रामों के उत्थान हेतु अनेक कार्यक्रमों को अपनाया है उसका विवरण तथा प्राप्त समंको का विश्लेषण पिछले अध्यायों में किया गया है। अनेक निष्कर्षों तक पहुंच कर उनसे सम्बन्धित सुझाव भी दिये गये हैं । बुनियादी शिक्षा की समस्त संस्थाओं द्वारा ग्राम पुनर्निर्माण के कार्यों की शतप्रतिशत उपलब्धि वर्तमान परिस्थितियों में अत्यन्त कठिन है, अध्ययन द्वारा जिस प्रगति का दिग्दर्शन हुआ है उससे भविष्य उज्जवल दिखता है ।

इस अध्ययन हेतु सम्भाग की बुनियादी शिक्षा संस्थाओं में प्रश्नावली भेजी गई जिनमें से १२६ बुनियादी पाठशालाओं तथा १० बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं से प्रश्नावलियां वापिस प्राप्त हुई । अत: सम्भाग की यही १२६ बुनियादी पाठशालायें तथा १० बुनियादी प्रशिक्षण संस्थायें इस शोध कार्य का क्षेत्र मानी गई हैं । इसके अतिरिक्त २२ बुनियादी पाठशालाओं के अध्यापकों, ७ बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं के प्राचार्यों तथा ३ जिला विद्यालय निरीक्षकों से साक्षात्कार करके प्राप्त जानकारी को प्रमाणित एवम् संशोधित किया गया ।

इस प्रान्त का निर्माण ३५ छोटी बड़ी रियासतों को मिला कर किया गया था , निर्माण के समय यह प्रांत बहुत ही पिछड़ा हुआ था । विन्ध्य प्रदेश बनने पर इसमें एकरूपता लाने का प्रयत्न हुआ । सन् १९५२ से बुनियादी शिक्षा का प्रारम्भ हुआ और उसके फलस्वरूप ग्राम पुनर्निर्माण का कार्य भी शिक्षा संस्थाओं ने प्रारम्भ किया । मध्य प्रदेश में सम्मिलित होने के पश्चात् बुनियादी शिक्षा द्वारा ग्राम पुनर्निर्माण के कार्यों में उत्तरोत्तर प्रगति होती गई । सन् १९५८ से १९६१ तक की प्रगति विशेष उल्लेखनीय है । इस अध्ययन द्वारा विन्ध्य सम्भाग की विभिन्न बुनियादी शिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा ग्राम पुनर्निर्माण हेतु आयोजित सन् १९५२ से १९६१ तक के समस्त कार्यक्रमों की प्राप्त जानकारी के आधार पर जिन निष्कर्षों एवम् सुझावों को ज्ञात

किया गया है उनका संक्षिप्त वर्णन इस अध्याय में किया गया है ।

निष्कर्ष

-:o:-

इस अध्ययन से निम्नांकित निष्कर्ष निकाले गये हैं :-

१- विन्ध्य क्षेत्रीय समस्त बुनियादी शिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थायें ग्राम पुनर्निर्माण हेतु विभिन्न परिमाणों में अनेक कार्य क्रमों का आयोजन कर रही हैं । इस आयोजन में संस्थाओं की संख्या एवम् कार्य क्रमों में प्रति वर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है ।

२- इस सम्भाग की बुनियादी शिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा ग्राम पुनर्निर्माण हेतु निम्नांकित कार्य क्रम आयोजित हो रहे हैं :-

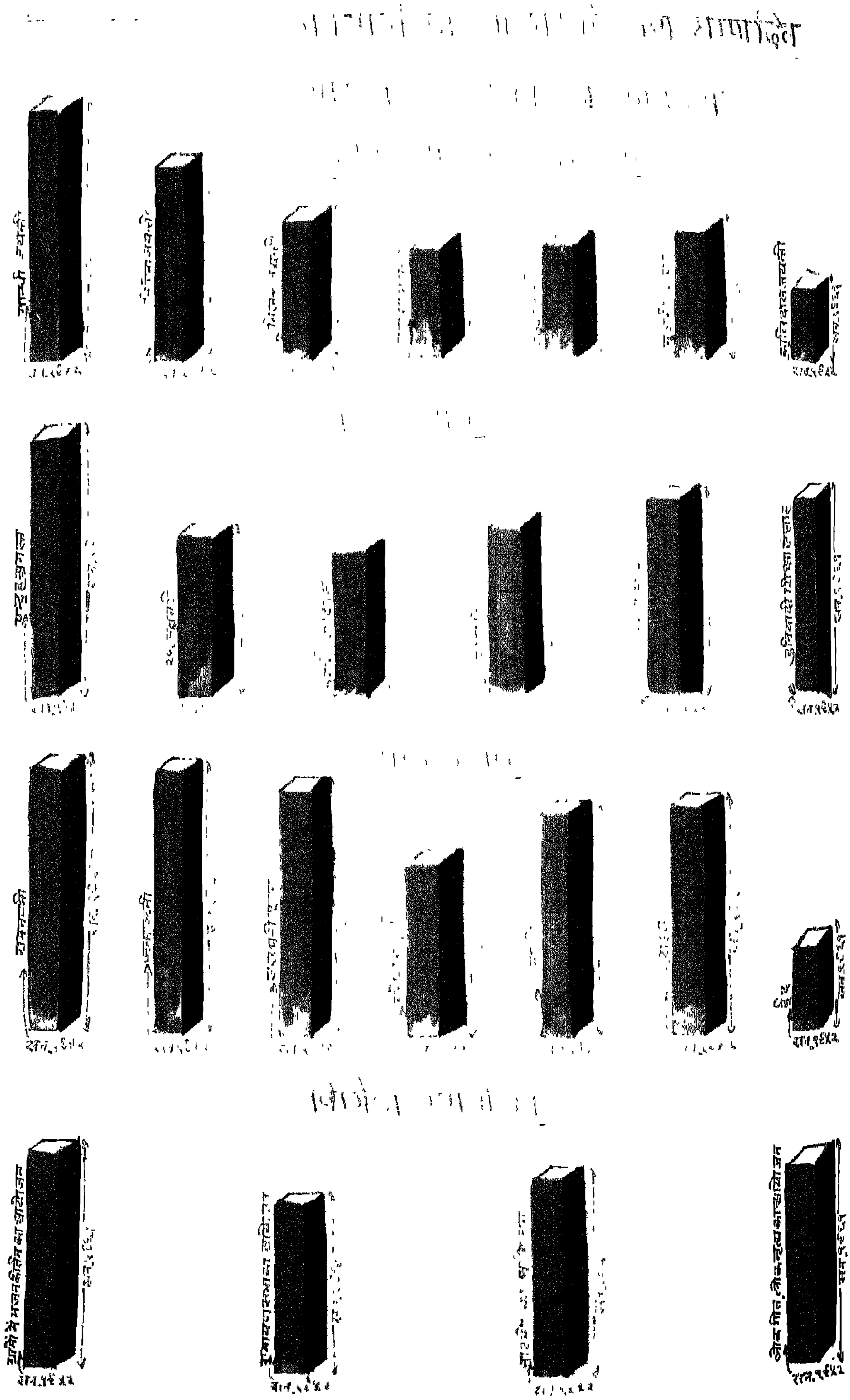
:अ: स्वास्थ्य तथा हाईजीन के विभिन्न कार्यक्रम
:ब: सांस्कृतिक उत्थान के विभिन्न कार्यक्रम
:स: प्रौढ़ शिक्षा के विभिन्न कार्य क्रम
:द: सामाजिक उत्थान के विभिन्न कार्यक्रम
:य: आर्थिक उत्थान के विभिन्न कार्यक्रम
:फ: निर्माण के विभिन्न कार्यक्रम

३- निम्नांकित कार्यों को सबसे अधिक बुनियादी शिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थायें करने लगी हैं तथा इन कार्यों में विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों एवम् ग्राम वासियों की भी रुचि सबसे अधिक है :-

:अ: सार्वजनिक स्थानों की सफाई करना, ग्रामीणों को व्यक्तिगत सफाई के नियम समझाना तथा घरों की सफाई करना,

ग्राम 'नर्निर्माण के कार्यक्रम की प्रगति

(सन् १९५२ तथा सन् १९६१ में)



:ब: गांधी जयन्ती, पन्द्रह अगस्त, बुनियादी शिक्षा सप्ताह, रामनवमी, जन्माष्टमी तथा भजन - कीर्तन का आयोजन ।

:स: प्रौढ़ों को साक्षर बनाना तथा कृषि सम्बन्धी ज्ञान देना ।

:द: जाति बन्धन की संकीर्णता कम करने का प्रयास तथा अंध विश्वास मिटाने का प्रयास ।

:य: फलदार वृक्ष लगाना तथा ग्राम वासियों के झगड़ों को ग्रामों में ही प्रेम से सुलझाने का प्रयास ।

:क: सामाजिक कार्यों में श्रमदान करना ।

४- बुनियादी शिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित निम्नांकित कार्यक्रमों में ग्राम वासियों की रुचि नहीं है ।-

:अ: धूम्र पान एवम् नशीली वस्तुओं के सेवन से होने वाली हानियों को समझने एवम् उनका परित्याग करने के कार्यक्रम

:ब: समाचार पत्र सुनने का कार्य क्रम ।

:स: पर्दा प्रथा के दोषों को समझने एवं लड़कों के समान ही लड़कियों को मान्यता प्रदान करने के कार्यक्रम ।

:द: विवाह आदि उत्सवों के अवसर पर अपव्यय को न करने का कार्यक्रम ।

:य: सोख्ता गड्ढे व गन्दे पानीकीनालियों को बनाने का कार्यक्रम ।

५- निम्नांकित कार्यक्रमों को सामान्य संस्था में बुनियादी शिक्षण एवम् प्रशिक्षण संस्थायें आयोजित कर रही हैं तथा इनमें ग्राम वासियों एवम् शिक्षार्थियों की रुचि भी सामान्य है :-

:अ: सड़कों तथा जलाशयों की सफाई एवं भोजन में सुधार तथा जल को शुद्ध रखने के कार्यक्रम ।

:ब: विनोबा जयन्ती, तुलसी जयन्ती, २६ जनवरी, गांधी सप्ताह, सर्वोदय दिवस, बाल दिवस, सरस्वती पूजन, होली, दशहरा तथा रामायण सभा एवं नाटकों का आयोजन ।

:स: गृह उद्योगों को प्रोत्साहन देना तथा सरकारी विभागों की जानकारी देना ।

:य: खेती में उन्नति करने हेतु प्रयास करना ।

:फ: सड़कों के गढ्ढे भरना, कच्ची सड़कें बनाना तथा पाठशाला भवन पर सफेदी करना ।

६- जातीय एवं धार्मिक संकीर्णता का ग्राम्य समाज पर बहुत अधिक प्रभाव है जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामों में हैंद का आयोजन तथा सोख्ता गढ्ढे व गन्दे पानी की नालियां निर्माण करने के कार्य को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है ।

७- ज्यों ज्यों बुनियादी प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या बढ़ती जा रही है त्यों त्यों ग्राम पुनर्निर्माण के कार्य क्रम को अधिकाधिक संस्थायें अपनाती जा रही हैं ।

८- बुनियादी शिक्षा सप्ताह एवं गांधी सप्ताह के आयोजन से इस कार्य क्रम को अधिक प्रेरणा मिली है ।

६- सामाजिक कार्यों में श्रमदान एवं सार्वजनिक स्थानों की सफाई के कार्यक्रमों में ग्राम वासी अधिक रुचि लेने लगे हैं इससे सिद्ध होता है कि उनमें सामाजिक भावना बलवती हो रही है और शिक्षालय समाज निर्माण का केन्द्र बन रहे हैं ।

सुझाव

इस कार्य क्रम को प्रभावशाली बनाने के लिये निम्नांकित सुझाव दिये गये हैं :-

१- ग्राम पुनर्निर्माण हेतु ग्राम वासियों की रुचि जिन कार्य-क्रमों में सबसे अधिक है तथा जिनको बुनियादी शिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थायें अधिक करने लगी हैं उनको समस्त शिक्षा संस्थायें सुगमता से अपना सकती हैं ।

२- ग्राम पुनर्निर्माण हेतु संस्थाओं द्वारा आयोजित कुछ कार्य क्रमों में ग्राम वासी रुचि नहीं लेते हैं। ऐसे कार्यों में निम्नांकित प्रयत्नों से ग्राम वासियों की रुचि एवं सहयोग का सम्वर्द्धन किया जा सकता है :-

(अ) स्वास्थ्य तथा हाईजीन के कार्यक्रम में ग्राम वासी धूम्र पान तथा नशीली वस्तुओं के परित्याग में रुचि नहीं लेते हैं उनकी इस कुटेव को मिटाने के लिये ग्रामों में स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था करना चाहिये । तथा भोजन में सुधार करने के लिये ग्राम वासियों की आर्थिक स्थिति ठीक करना आवश्यक है क्योंकि वर्तमान स्थिति में सूखी रोटी मात्र का प्राप्त करना उनके लिये कठिन हो रहा है , संतुलित भोजन तो स्वप्नवत है । साधारण साग भाजियों की उपज से भी भोजन में सुधार सम्भव हो सकता है ।

:व: सांस्कृतिक उत्थान के लिये ऐसे प्रयत्न किये जांय जिससे धर्मांधता दूर हो , प्रत्येक ग्राम वासी का दृष्टि कोंण विशाल बने और ईद तथा राम नवमी को समान उत्साह से मनाने लगें । उनके मन में राष्ट्रीय त्योहारों के अवसर पर धार्मिक त्योहारों की भांति आंतिरिक उल्लास उत्पन्न होने लगें । लोक गीत एवं लोक नृत्यों के प्रति ग्राम वासियों की बढ़ती हुई उदासीनता को मिटाने के लिये समस्त शिक्षा संस्थाओं को चाहिये कि वे इन्हें अपनाये और इनका प्रचार करें ।

:स: प्रौढ़ शिक्षा के लिये ग्रामों में शिक्षा समितियों का निर्माण, सरकारी विभागों से प्रचार के साहित्य को एकत्रित कर ग्राम पुस्तकालयों की स्थापना , तथा रात्रि पाठशालाओं में साक्षरता के साथ साथ जीवन शिक्षा की व्यवस्था हेतु प्रयत्न होना चाहिये । अगर शिक्षा विभाग के साथ समाज शिक्षा विभाग को मिला दिया जाय तो प्रौढ़ शिक्षा का कार्य अच्छी तरह चल सकता है ।

:द: सामाजिक उत्थान हेतु बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा की कुरीतियों को मिटाना एवं लड़कों के समान लड़कियों को सम्मान दिलाना आवश्यक है किन्तु अज्ञान-वश ग्राम वासी इन प्रयोगों में रुचि नहीं लेते हैं । इसके लिये शिक्षा के प्रचार व्दारा ग्राम वासियों के दृष्टि कोंण को विशाल बनाना चाहिये । इसमें कन्या पाठशालायें अधिक योग दे सकती हैं ।

:य: आर्थिक स्थिति में सुधार के लिये खेती व ग्राम उद्योगों में उन्नति करना आवश्यक है । अत: खाद बनवाने, बीज गोदामों के अच्छे बीजों को बोने, सहकारी समितियां बनवाने तथा गृह उद्योगों की स्थापना करने हेतु प्रयत्न करना चाहिये । ग्राम वासियों के अज्ञान को मिटाकर अंध विश्वास तथा विवाह आदि उत्सवों पर होने वाले अपव्यय को रोका जा सकता है ।

:फ: निर्माण कार्यों में ग्राम वासियों से सहयोग प्राप्त करने के लिये संस्थाओं को दीर्घकाल तक साधना करना पड़ेगी। ग्राम वासियों से आरम्भ में सहयोग मिलना सम्भव नहीं है। जब उनके मन में अध्यापकों के प्रति तथा उनके कार्यों के प्रति विश्वास हो जायगा तभी वे उनके निर्माण कार्यों में सक्रिय सहयोग देंगे। संस्थायें निर्माण कार्यों का आदर्श प्रस्तुत करें, सोख्ता गड्ढे तथा गन्दे पानी की नालियों का निर्माण संस्थाओं में व अध्यापकों के निवास स्थानों पर किया जाय ताकि ग्राम वासी उनसे प्रेरणा ले सकें।

३- गांधी सप्ताह एवं बुनियादी शिक्षा सप्ताह की भांति विभाग की ओर से यदि अन्य कार्य क्रमों का आयोजन हो ता रहे तो इस दिशा में निश्चित रूप से प्रगति हो सकती है।

४- बुनियादी शिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थाओं में यदि केवल बुनियादी प्रशिक्षित व्यक्तियों की ही नियुक्तियां की जाय तो इस कार्य में अवश्य ही प्रगति हो सकती है।

५- समस्त संस्थाओं के पास ग्राम पुनर्निर्माण के कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने हेतु पर्याप्त सहायक सामग्री होना चाहिये।

६- विभागीय आदेश ग्रामीण बुनियादी पाठशालाओं में ठीक समय पर नहीं भेजे जाते। कभी कभी तो अवसर निकलजाने के पश्चात् यह आदेश पाठशालाओं में पहुंचते हैं। इस अव्यवस्था के कारण पाठशालाओं में कार्यक्रम ठीक तरह नहीं चल पाते हैं। अतः यदि इस सम्बन्ध के समस्त आदेश प्रत्येक संस्था में समय से एक सप्ताह पूर्व पहुंच सके तो कार्य क्रम विशेष प्रभावशाली बन सकते हैं।

७- जिन संस्थाओं में कार्य क्रमों का संचालन सफलता पूर्वक हो रहा है उन्हें प्रोत्साहन दिया जाय तथा अन्य संस्थाओं को इसके अनुभवों से अवगत कराया जाय।

इस क्षेत्र में भावी शोधकार्य के लिए संकेत

-:00000:-

इस वैज्ञानिक युग में अन्य देशों की प्रगति के संदर्भ में यदि अपने देश के ग्रामीण जीवन का तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो एक महान विषमता दिखाई देने लगती है । यह माना कि अपने ग्रामों को उस प्रकार की भौतिक वादिता की ओर नहीं ले जाना है , पर जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं में तो उन्हें स्वावलम्बी बनाना आवश्यक है । उनका जीवन सुखमय बन जाय, उनके मध्य ज्ञान का प्रकाश फैल जाय , वे देश दुनिया की जानकारी प्राप्त करके स्वतंत्र देश में अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों को समझने लगे ऐसा प्रयास तो करना ही होगा । इसी लक्ष्य की पूर्ति हेतु बुनियादी शिक्षा प्रयत्नशील है । बुनियादी शिक्षा के इस समस्त ग्राम पुनर्निर्माण विषयक प्रयत्नों एवं कार्यक्रमों का अध्ययन करके उसके निष्कर्ष इस अभिलेख में प्रस्तुत कर दिये हैं , उनसे इस क्षेत्र में शोध करने वाले भावी - कार्य कर्ता यदि सहायता ले सकेंगे तो मैं अपना प्रयास सफल समझूंगा । इस महत्व पूर्ण -विषय में शोध कार्य के लिये विशाल क्षेत्र पड़ा है जैसे कि :-

:१: ग्राम पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमों के संचालन में बुनियादी शिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थाओं की कठिनाइयों को ज्ञात करना तथा उनके निराकरण के उपाय बताना ।

:२: बुनियादी शिक्षा के इन कार्यो क्रमों से ग्रामों पर कितना प्रभाव पड़ा है ।

:३: बुनियादी प्रशिक्षण काल में शिक्षकों को ग्राम-पुनर्निर्माण हेतु जो मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है उसके स्तर को ऊंचा उठाने के उपाय ।

परिशिष्ट

परिशिष्ट ९

सन् १९५२ से १९५६ तक विन्ध्य प्रदेश की बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रचलित पाठ्य क्रम के पृष्ठ ५ तथा ६ पर ग्राम पुनर्निर्माण के पांचवे प्रश्नपत्र का निम्नांकित कोर्स दिया गया है :-

ग्राम पुनर्निर्माण

परिचय :- ग्राम की वास्तविक दशा, ग्राम और शहर की तुलना, गांव की समस्यायें।

ग्राम की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का निरीक्षण, ग्रामीण सफाई और स्वास्थ्य की दशा, ग्राम पुनर्निर्माण का नई तालीम में स्थान, ग्राम पुनर्निर्माण के विचार से ग्रामीण पाठशालाओं का उद्देश्य, गांव की समाज का केन्द्र स्कूल, पूर्ण ग्राम के लिये स्कूल में कार्य द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य निर्माण का उद्देश्य, स्कूल में स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा और नागरिकता का प्रशिक्षण। ग्राम स्कूल में ग्राम निर्माण के लिये निम्न कार्य किये जायेंगे :-

सामान्य :- गांव की आवादी, भूमि और समस्याओं का अध्ययन।

आर्थिक :- खेती का अध्ययन कृषि उद्योग और व्यापार आदि। जीविका के अन्य साधन। ग्राम उद्योगों की अवनति, ग्रामीणउद्योगों से आय के द्वारा आत्मनिर्भरता। कृषि तथा ग्रामीण उद्योगों की उन्नति के उपाय। गांव की उत्पादन की विक्री के साधन। सहकारी समिति, गांव में इसके लाभ, और कार्य प्रणाली। हलवाई प्रथा इसके आर्थिक पहलू, कम धन और काम।

सामाजिक :- विभिन्न जातियों और झगड़ो का अध्ययन। उनका आपसी व्यवहार धर्म और धार्मिक उत्सव। अन्ध विश्वास। शराब। झाड़ा फूंकी। छुआ छूत। इसको दूर करने के उपाय। स्त्रियों की दशा। उनका समाज में स्थान, उनकी शिक्षा। आधुनिक शिक्षा का ग्राम्य जीवन पर प्रभाव।

शिक्षा :- ग्रामीण अशिक्षित और शिक्षित व्यक्तियों का ज्ञान, शिक्षित व्यक्तियों का पेशा, गांव में शिक्षा की सुविधायें प्रत्येक आयु के छात्रों की संख्या आराम के समय ग्रामीणों के कार्य,

फ़ुरसत के समय राष्ट्र में प्रेम उत्पन्न करना ।

सफाई और स्वास्थ्य :- ग्राम वासियों के स्वास्थ्य की दशा, ग्राम की प्राकृतिक दशा पानी की व्यवस्था, कुंओं की दशा, कुंआ तालाबों को साफ रखने की व्यवस्था, मकान निर्माण नालियां रास्ते व नावदान, कूड़ा और मल मूत्र के लाभ, खाद निर्माण, ग्राम का भोजन और उसकी उन्नति की विधियां, प्राप्त वस्तुओं से उन्नति के उपाय ।

ग्रामीण स्कूल प्रत्येक ग्राम समस्या को हल करने में सहायता करेगा और नई विचारधारा, नई स्फूर्ति चेतना के व्दारा धार्मिक, सामाजिक व राजनैतिक सभी बुराइयों को दूर करेगा । उस कार्य के लिये कई कार्य क्रम बनाना पड़ेंगे जैसे कि सांस्कृतिक कार्य तथा कथा कीर्तन, ग्राम मेला लगवाना, ग्राम प्रदर्शिनियों का आयोजन करना स्कूल में उत्सव मनाना, नाटक और प्रहसन दिखाना ।

परिशिष्ट - २

२ अक्टूबर १९५५ से १७ अक्टूबर १९५५ तक जिला टीकमगढ़ की पाठशालाओं व्दारा आयोजित ग्राम पुनर्निर्माण के कार्यक्रम का मूल्यांकन करके जिला विद्यालय निरीक्षक व्दारा उच्च कार्यालय को भेजे गये विवरण पत्र की प्रतिलिपि निम्नांकित है :-

प्रेषक

श्री गिरीश चन्द पंत

जिला विद्यालय निरीक्षक

टीकमगढ़

अर्द्ध शासकीय पत्र

क्रमांक २२४७ जी०ए० दिनांक ८-९-५६

प्रिय श्री जोशी जी

आपके अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक ५४०० दिनांक ३१-८-५६ का उत्तर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक २०८०-८८-जी०ए० दिनांक ७-९-५६ के व्दारा दिया जा चुका है । किन्तु उसके श्रमदान की रिपोर्ट दूसरे दिन भेजने को लिखा था ।

अतः आज पिछले दो अक्टूबर सन् ५५ से १७ अक्टूबर सन् ५५ तक मनाये जाने वाले श्रमदान सप्ताह में, पाठशाला भवन निर्माण कार्यों में तथा अन्य अवसरों पर किए गये विभिन्न कार्यों में जो श्रमदान छात्रों व्दारा हुआ उसकी दो सूचियां निम्न अनुसार प्रेषित हैं जो इसी पत्र के साथ सामिल हैं ।

१- श्रमदान सप्ताह ११०२५ रुपया ७ आना

२- भवन निर्माण मैदान की सफाई अन्य सार्वजनिक कार्यों का चंदा २१५०० रुपया ।

एकत्र ३२५२५ रु०७ आना

हस्ताक्षर

जिला विद्यालय निरीक्षक

टीकमगढ़

श्रमदान सप्ताह में किए गये कार्यों का मूल्यांकन

१- जूनियर हाई स्कूल जेरोंन	१४५ रुपया
२- केन्द्र दिगौड़ा	८८७ रुपया
३- देरी	१०७ रुपया
४- जूनियर हाई स्कूल बड़ा गांव	४०४ रुपया
५- केन्द्र तथा जूनियर हाई स्कूल लिधौरा	१०१६ रुपया ८ आना
६- केन्द्र बड़ा गांव	१७५० रुपया
७- केन्द्र पलेरा	७०३ रुपया ८ आना
८- ओरछा	३२४ रुपया
९- केन्द्र तथा जूनियर हाई स्कूल मवई	११३१ रुपया ४ आना
१०- केन्द्र टीकमगढ़	५३० रुपया
११- केन्द्र बल्देवगढ़	८९० रुपया
१२- जूनियर हाई स्कूल ओरछा	३५ रुपया
१३- केन्द्र तथा जूनियर हाई स्कूल खरगापुर	२७७७ रुपया ५ आना
१४- जूनियर हाई स्कूल टीकमगढ़	४२१ रुपया १४ आना
	११०२५ रुपया ७ आना

उपरोक्त श्रमदान, पाठशाला भवन निर्माण कार्यों में, खेल के मैदानों की सफाई रास्तावों की मरम्मत, सार्वजनिक स्थान एवं कुओं आदि की सफाई में किया गया है ।

हस्ताक्षर
जिला विद्यालय निरीक्षक
टीकमगढ़ विन्ध्य प्रदेश

-:। सूची श्रमदान जो प्रथम पंचवर्षीय योजनान्तर्गत पाठशालावों में हुवा ।:-

क्रमांक	नाम स्कूल	कार्य जो श्रमदान में हुआ	अनुमानित मूल्य
१	प्रा० मजना	स्कूल से वस्ती तक सड़क तैयार की गई ।	५०० रुपया
२	जू०हा०मवई	मवई कारी रोड के तीन मील तक नाली खोदी तथा झाड़ झंखाड़ हटाये	७०० रु०
३	,, वल्देवगढ़	वगीचे से वस्ती तक सड़क की लेविल कराई गई तथा किले के पास वाली वाल फील्ड वनाया	५०० रु०
४	,, वड़ा गांव	नवीन स्कूल में पत्थर तथा ईटों को लाये तथा सामने सड़क एवं कुंए के निर्माण में सहायता	५०० रु०
५	कुण्डेश्वर कैम्प में	ईटें ३,००० तैयार की खपड़े ५,००० कुंए की मरम्मत तथा आदर्श पेशाव घर एवं पाखाना एग्रीकल्चर फार्म पर मिट्टी डाली	२,००० रु०
६	खरगा पुर	सड़क, स्कूल निर्माण, सफाई खेल का मैदान सर्वजनिक स्थानों की सफाई	५०० रु०
७	जू०हा०टीकमगढ़	गणेश गंज सड़क निर्माण, स्कूल की चहारदीवारी	३०० रु०

८	जू०हा० कारी	तालाब के बांध पर मिट्टी और खेल का मैदान	२०० रुपया
९	प्रा० समरा	स्कूल निर्माणबगीचा लगाना	५०० रु०
१०	प्रा० बनैरा	न्यू खुदाई, खपरा चढ़ना	१५० रु०
११	जू०हा० सरकन पुर	खेल के मैदान की सफाई	३०० रु०
१२	प्रा० लड़वारी	भवन निर्माण	१०० रु०
१३	कन्या पा०मवई	पाठ०भवन निर्माण	५० रु०
१४	सापौन	,, ,, ,, खेल का मैदान और बगीचा	२०० रु०
१५	मोखरा	पाठ्य भवन निर्माण	१०० रु०
१६	अंतौरा	,, ,,चबूतरा निर्माण	१०० रु०
१७	प्रा० निवारी	,, ,,	५०० रु०
१८	जू०हा०बरीचरकलां	,, ,, बौडिंग	१,००० रु०
१९	जू०हा० टेहरका	,, ,, ,,	५०० रु०
२०	,, जेरौन	,, ,, ,,	१,००० रु०
२१	,, ओरछा	,, ,, ,,	५०० रु०
२२	,, सैमरी	,, ,, ,,	५०० रु०
२३	प्रा०तातार पुरा	,, ,,	५०० रु०
२४	भोपाल पुरा	,, ,,	५०० रु०
२५	प्रा० कुलुवा	,, ,,	५०० रु०
२६	कन्या पृथ्वीपुर	,, ,,	५०० रु०
२७	प्रा० सिमरा	,, ,,	५०० रु०

२८	ग्रा० ऊमरी	भवन निर्माण पाठशाला	५००	रुपया
२९	,, बीर सागर	,, ,, ,,	५००	रु०
३०	,, बचावली	,, ,, ,,	५००	रु०
३१	,, ककावनी	,, ,, ,,	५००	रु०
३२	,, सैारका	,, ,, ,,	१,०००	रु०
३३	,, सकेरा	,, ,, ,,	१,०००	रु०
३४	,, कैना	,, ,, ,,	१,०००	रु०
३५	,, वंजारी पुरा	,, ,, ,,	१५०	रु०
३६	जू०हा० बम्होरी कलां	,, ,, ,, सार्वजनिक स्थानों की सफाई	२५०	
३७	पलेरा	पा० भवन निर्माण मैदान की सफाई	४५०	रु०
३८	जू० हा० स्कूल दिगौड़ा	खेल का मैदान और बगीचा	२५०	रु०
३९	,, बम्होरी बराना	पाठ०भवन निर्माण मैदान की सफाई	३००	रु०
४०	,, आलम पुरा	पाठ०भवन निर्माण	१००	रु०
४१	,, चन्देरा	,, ,, ,,	१००	रु०
४२	प्रा० बड़ौड़ा	,, ,, ,,	२५०	रु०
४३	,, वर्मा डांग	,, ,, ,,	१० ०	रु०
४४	,, लार	,, ,, ,,	५०	रु०
		मैदान की सफाई		
४५	,, हनौता	पाठ०भवन निर्माण	२००	रु०
४६	,, राम नगर	,, ,, ,,	१००	रु०

४७	प्रा० बैरवार	पाठभवन निर्माण	२००	रुपया
४८	,, माची	,, ,, ,, मैदान की सफाई	३००	रु०
४९	,, कनैरा	पा० भवन निर्माण मैदान की सफाई	२००	रु०
५०	,, हर पुरा	पा०भवन निर्माण मैदान की सफाई	२००	रु०
५१	,, वमौताल	पा०भवन निर्माण मैदान की सफाई	१००	रु०
			२१५०० रुपया	

हस्ताक्षर

जिला विद्यालय निरीक्षक
टीकमगढ़ विन्ध्य प्रदेश

परिशिष्ट -३

मध्य प्रदेश की बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं के नये पाठ्य क्रम में पृष्ठ २६ व २८ पर ग्राम पुनर्निर्माण का निम्नांकित कोर्स दिया गया है :-

समाज सेवा

प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र अपनी सुविधानुसार कम से कम एक ग्राम समाज सेवा के दृष्टि से चुनेगा तथा अपने प्रयत्नों से उसके समग्र विकास का यथा सम्भव प्रयास करेगा । इस कार्य के हेतु प्रति वर्ष नवम्बर मास में एक सप्ताह के लिये ग्राम शिविर की योजना बनाई जाय । इस शिविर के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य हो सकते हैं :-

१ ग्राम का सामाजिक, आर्थिक एवम् शैक्षिणिक सर्वेक्षण ।

२ ग्राम सुधार तथा ग्राम शाला सुधार हेतु योजना बनाना ।

३ ग्रामोद्योगों का अध्ययन तथा उन्हें उन्नति करने का उपाय ।

४ ग्राम सफाई एवम् स्वच्छता ।

५ स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान का प्रचार व प्रसार ।

६ बीमारियों की रोक थाम व उपचार ।

७ लोक कल्याणकारी प्रवृतियों में योगदान ।

८ श्रम दान द्वारा निर्माण कार्यों में सक्रिय सहयोग ।

९ मेले - उत्सव के अवसर पर सेवा कार्य ।

१० ग्राम शाला को सामुदायिक केन्द्र के रुप में विकसित करना ।

११ सामाजिक शिक्षण, ग्राम के अनुरुप स्वस्थ्य मनोरंजन ।

१२ सहकारिता का प्रचार, प्राथमिक सहायता ।

१३ रंगमंच निर्माण, नाटक प्रहसन, व्याख्यान माला, कठपुतली, चलचित्र, मैजिक लैन्टर्न प्रदर्शन, विभिन्न युवक मण्डल ग्राम सेवा दल, अखाड़ा तथा खेल कूद, आदि कार्यों का संगठन तथा कार्यों द्वारा ग्राम नेतृत्व का विकास ।

ग्राम सेवा शिविर

प्रस्तुत पाठ्य क्रम में व्यवहार पक्ष पर अधिक बल दिया गया है । सामुदायिक जीवन के अन्तर्गत एक सप्ताह के ग्राम सेवा शिविर को पाठ्य क्रम में स्थान दिया गया है । अत: इस ग्राम सेवा शिविर को प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग माना जावे । सामाजिक जीवन और शिक्षण संस्थाओं की गतिविधियों में पारिस्परिक सहकार्य एवं समन्वय लाने के लिये यह शिविर एक उत्तम साधन सिद्ध होगा । इस शिविर में २५ प्रशिक्षार्थी एवं उनके तीन शिक्षक शासकीय व्यय से जावेंगे । प्रशिक्षण विद्यालय के प्राचार्य अपनी ग्राम सेवा शिविर सप्ताह की योजना स्वीकृत्यर्थ अपने संभागीय शिक्षाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे ।

-: शिविर के उद्देश्य :-

१ शाला और समाज के बीच सामंजस्य स्थापित करना ।

२ ग्राम के सर्वांगीण विकास हेतु प्रयास करना ।

३ ग्राम सेवा कार्यरत विभिन्न संस्थाओं में समन्वय स्थापित करना : भारत सेवक समाज, विकाश सेवा खण्ड, समाज सेवा विभाग, : इत्यादि ।

-: शिविरार्थियों के चुनाव का आधार :-

संस्था के पाठ्य क्रम एवं पाठ्येतर कार्यक्रमों में प्रगति के मूल्यांकन के आधार पर २५ प्रशिक्षणार्थियों का चुनाव संस्था के प्राचार्य करेंगे । यह मूल्यांकन निम्नलिखित बातों पर आधारित होगा :-

१ त्रैमासिक परीक्षा का मूल्यांकन ।
२ सामाजिक कार्यों में सक्रिय योग दान ।
३ अध्यापन कार्य में विशेषता ।
४ ग्राम सेवा कार्य का अनुभव ।

परिशिष्ट - ४

बुनियादी शिक्षा सप्ताह के लिये श्री संचालक लोकशिक्षण मध्य प्रदेश की ओर से प्रति वर्ष बुनियादी संस्थाओं को मार्ग दर्शन हेतु योजना प्रसारित की जाती है । यहां पर सन् १९६२ में क्रमांक । क्रिया । म । ब । ८५, भोपाल दिनांक ६ जनवरी को प्रसारित आदेश की प्रतिलिपि नीचे दी जाती है :-

राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी महत्व पूर्ण विशेषता यह है कि वह जीवन की परिस्थितियों से निकटतम सम्बन्ध स्थापित रखती है ।

प्रजातांत्रिक आदर्शों के मूल्यों की शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षा विशारदों ने शिक्षा के इस पहलू पर विशेष बल दिया है ।

प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षणार्थियों को शाला एवं समाज के बीच सहयोग की आवश्यकता भी अनुभूति करना चाहिये । विशाल समाज के बीच शाला एक लघुसमाज है । अनुशासन हीनता, स्वम् लग्न शीलता की बुराइयों को दूर करने तथा उनमें श्रम के महत्त्व की भावना आपूरित करने के लिये यह आवश्यक है कि समाज सेवा शिविर आयोजित किये जावें । शिविर अवधि में विविध कार्य क्रमों के द्वारा इन शिविरों के कारण प्रशिक्षणार्थियों को ग्रामीणों की समस्याओं एवं उसके निराकरण के साधनों का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हो सकेगा।

समाजसेवा शिविर के लिये कार्य क्रम की विस्तृत रूपरेखायें नीचे प्रस्तुत की जाती हैं :-

१ शिविर में प्रशिक्षार्थी ग्राम का पर्यवेक्षण करेंगे ।

२ ग्राम स्वच्छता :-

:अ: ग्राम की समस्त सड़कों की स्वच्छता ।

:ब: शाला के आस पास के स्थानों तथा खेल के मैदानों की स्वच्छता ।

:स: नालियों, गन्दे गड्ढों, घूरों आदि की सफाई ।

:ड: पंचायत भवन, गांव की चौपालों, ढोरघरों, मन्दिरों कुंओं तथा जनसभा, स्थलों की स्वच्छता ।

३ शैक्षणिक प्रदर्शनियां :-

तृतीय पंचवर्षीय योजना, समाज शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा स्त्री शिक्षा, साक्षरता, मतनिर्णय, चुनाव - प्रणाली नागरिकों के अधिकार आदि विषयों से सम्बंधित पहले से तैयार किये गये चार्ट्स, पोस्टरों तथा नक्शों को प्रदर्शित किये जावें ।

४ राष्ट्र गीत प्रशिक्षण :-

सभी प्रौढ़ों एवं बालक बालिकाओं को राष्ट्र गीत के शुद्ध उच्चारण एवं अर्थ से अवगत कराया जावे ।

५ दीवालों पर उद्धरण उक्तियों आदि का लिखा जाना :-

प्रशिक्षणार्थी अच्छे लेखकों के उद्धरण, कहावतें, राष्ट्रीय नेताओं तथा महान व्यक्तियों की उक्तियां जो अवसर के अनुकूल हों। ग्रामों में मकानों की दीवालों पर लिख देवें।

६ निम्नांकित के लिये खेल कूद आयोजन :-

१ प्रौढ़ पुरुष।

२ प्रौढ़ स्त्रियां।

३ शालेय बालक बालिकायें।

७ सांस्कृतिक कार्यक्रम :-

कार्यक्रम १ शिक्षार्थियों तथा २ ग्रामीणों के द्वारा आयोजित किये जावें।

प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिये सुझाव

....

१ सप्ताह भर प्रत्येक गांव एवं नगर में प्रभात फेरियां आयोजित की जावें। छात्र एवं शिक्षकगण अनुशासित ढंग से प्रभातफेरी में प्रयाण करें, उपयुक्त गीत गावें तथा साक्षरता प्रसार एवं निरक्षरता की बुराइयों से सम्बंधित उचित पोस्टर अपने साथ रखें।

२ समूचे ग्राम अथवा नगर की मुख्य दीवालों तथा महत्व पूर्ण स्थानों पर उपयुक्त नारे एवं उद्धरण लिखे जावें। तत्सम्बन्धी पोस्टर भी तैयार कराये जावें तथा महत्वपूर्ण केन्द्रीय स्थानों पर चिपकाये जावें।

३ शाला अहाता या उपयुक्त स्थान पर ग्राम या नगर का बृहदाकारीय नक्शा बनाया जावे। इस नक्शे में इस क्षेत्र की नदियों, पर्वत, उपजें, आबादी, वृक्षों का विवरण, स्मारक, अवलोकनीय दृश्य आदि अंकित किये जावें।

४ शालेय भवनों, शालेयोद्यानों, शालेय अहातों तथा शालेय क्रीडांगनों की स्वच्छता, मरम्मत, सजावट का कार्य किया जावे। इस काम के लिये श्रम दान एवं आर्थिक योग के रूप में जनसहयोग समुपलब्ध किया जावे। शालेय भवनों की सफेदी की भी आवश्यकता अनुभूत होगी।

अतएव सफेदी भी की जावे । दीवालों, छतों आदि की मरम्मत भी करना आवश्यक होगा । दरवाजों, खिड़कियों में नया रंग एवं पेन्ट पोत कर उन्हें नवीन स्वरूप प्रदान किया जावे ।

५ - सांस्कृतिक कार्य क्रम एवं नाट्य कार्य क्रम आयोजित किये जावें निरक्षरता की बुराइयों एवं साक्षरता के लाभों को निरूपित करने वाले नाटक खेले जावें ।

६- प्रदर्शनियां, खेल-कूद आदि आयोजित किये जावें ।

-:000:-

परिशिष्ट ५

श्री जिला विद्यालय निरीक्षक
:म०प्र०:

महोदय जी,

आपके जिले की बुनियादी प्राथमिक पाठशालायें ग्राम निर्माण हेतु जो कार्य क्रम प्रस्तुत करती रहती हैं, उसके सम्बन्ध में विवरण जानना चाहता हूं । कृपया उनके द्वारा सम्पन्न कार्यक्रम से सम्बन्धित विवरण इस पत्रक में यथास्थान लिखकर शेष बातों को काटने का कष्ट करिये । कृपा के लिये आभारी हूं ।

भवदीय:-

कुण्डेश्वर :टीकमगढ़:म०प्र०

प्रेम नारायण रूसिया

दिनांक :-

राजकीय बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय

१- यहां प्रत्येक सन् की बुनियादी प्राथमिक शालाओं की संख्या लिख दीजिये :-

सन् १९५२	सन् १९५३	सन् १९५४	सन् १९५५	सन् १९५६	सन् १९५७	सन् १९५८	सन् १९५९	सन् १९६०	सन् १९६१-६२

२- कार्यक्रम के सम्बन्ध में कृपया नीचे के पत्रक में दो प्रकार की जानकारी दीजिए :-

१- पाठशालायें जो कार्य करती हों उनके सामने सही : : का निशान लगा दीजिए ।

२- " क्रमांकन " के स्थान में, जो पाठशालाओं द्वारा सबसे अधिक होता हो उसके सामने नं० १ लिख दीजिए । अब पहले से कम किन्तु अन्य कार्यों से अधिक जो कार्य होता हो उसके सामने नं० २ लिख दीजिए तथा उससे भी कम जो कार्य होता हो उसके सामने नं० ३ लिख दीजिए । इस प्रकार जो कार्य सबसे कम होता हो उसके सामने अन्तिम नम्बर लिखिए । जो कार्य पाठशालाओं में न होता है उसके सामने गुणा :: : का निशान लगा दीजिए :-

नाम	जो कार्य होता हो उसके सामने :का निशान लगा दीजिए	कार्यक्रम का विवरण	क्रमांकन : कार्यों के अनुसार १, २, ३, ४ आदि लिख दीजिए
सांस्कृतिक कार्य		महापुरुषों की जयंतियां	
		राष्ट्रीय त्योहार	
		धार्मिक त्योंहार	
		कीर्तन	
		रामायण सभा	
		नाटक	
		लोकगीत-लोकनृत्य	
स्वास्थ्य तथा हाईजीन		व्यक्तिगत सफाई	
		घरों की सफाई	
		सड़कों की सफाई	
		जलाशयों की सफाई	
		सार्वजनिक स्थानोंकीसफाई	
		भोजन सम्बन्धी सुधार	
		धूम्रपान निषेध	
		शुद्ध जल का प्रयोग	
प्रौढ़ शिक्षा		प्रौढ़ों को साक्षर बनाना	
		समाचार सुनाना	
		पंचवर्षीय योजनायें समझाना	
		कृषि का ज्ञान देना	
		उद्योगों का ज्ञान देना	
		सरकारी विभागोंकीजानकारी	

नाम	जो कार्य होता हो उसके सामने : का निशान लगा दीजिए	कार्यक्रम का विवरण	क्रमांक : कार्यो के अनुसार १, २, ३, ४ आदि लिख दीजिए
निर्माण कार्य		सड़कों के गड्ढे भरना	
		कच्ची सड़क बनाना	
		पक्की सड़क बनाना	
		पाठशाला भवन बनाना	
		सार्वजनिक कामों में श्रमदान करना	
		पाठशाला की चहारदीवारी बनाना	
सामाजिक कार्य		छोटी उम्र की शादियों की हानियां समझाना	
		पर्दा प्रथा की हानियां बताना	
		अन्ध विश्वास दूर करना	
		छुआ छूत का भेद मिटाना	
		लड़कियों को लड़कों के समान बताना	
		स्वयं सेवक दल बनाना	
आर्थिक विकास के कार्यक्रम		मुकदमें बाजी की हानियां समझाना	
		अन्ध विश्वास दूर करना	
		उत्सवों पर फिजूलखर्ची रोकना	
		सहकारी समितियां बनवाना	
		खेती के नये तरीके बताना	
		गृह उद्योगों को प्रोत्साहन देना	
		छुआ छूत हटाना	
		फलदार वृक्ष लगाना	
		सुधरे बीज बाटना	
		खाद बनवाना	
		उद्योगों का सामान देना	
		बीमारियों की रोकथाम करना	

३- कृपया निम्न प्रश्नों के उत्तर "हां" या "नहीं" में दीजिए :-

१- क्या बेसिक पाठशालाओं के इस कार्य क्रम से ग्रामों को लाभ हुआ है ?

२- क्या अन्य ग्रामों के निवासी अपने यहां बेसिक पाठशालायें खुलवाने के लिये आपसे अनुरोध करते हैं ?

३- क्या उक्त प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन हेतु आपके कार्यालय से समय समय पर आदेश पाठशालाओं में भेजे जाते हैं ?

४- इस कार्यक्रम के प्रोत्साहन हेतु निम्नांकित में से जो कार्य आप करते हों, कृपया उन पर सही : : का निशान लगा दीजिए और ऊपर तरह १, २, ३ लिखकर क्रमांकन करिये ।

प्रोत्साहन के कार्य	सही का : : निशान लगाइये	क्रमांकन: करिये
:अ: कार्य क्रम में स्वयं उपस्थितहोकर		
:ब: अपने किसी सहायक को कार्यक्रम में भेजकर		
:स: अपना लिखित सदेश पाठशाला में भेजकर		
:द: सामान भेजकर		
:य: आर्थिक सहायता देकर		

४- अन्य सुझाव :-

हस्ताक्षर जिला विद्यालय
निरीक्षक

-:00000:-

	कार्यों का क्रमांक	कार्यों के नाम — निम्नांकित में से जो जो कार्य आपने जिस जिस सन् में किए हों उन कार्यों के सामने उस सन् में "हां" लिखिए	सन् १९५२	१९५३	१९५४	१९५५	१९५६	१९५७	१९५८	१९५९	१९६०	१९६१	मूल्यांकन — जिस कार्य को आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझते हो उसके सामने A. उससे कम महत्वपूर्ण कार्य के सामने B. तथा इसी प्रकार C. D. E. आदि लिखिए।	प्रश्न	अन्य विवरण — कृपया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिये। नोट—"कार्यों का क्रमाङ्क" कार्यों के नाम के साथ दिया हुआ है।	उत्तर
सामाजिक उत्थान के कार्यक्रम	१	छोटी आयु में होने वाली शादियों की हानियाँ समझाने का कार्यक्रम।												(अ)	इन कार्यों में से जो कार्य आपकी संस्था सबसे अधिक करती हो उस कार्य का क्रमांक लिखिए—	
	२	पर्दा प्रथा के दोषों को समझाने का कार्यक्रम।												(ब)	इन कार्यों में से जो कार्य आपकी संस्था सबसे कम करती हो उस कार्य का क्रमांक लिखिए—	
	३	अन्ध विश्वास को मिटाने हेतु कार्यक्रम												(स)	इन कार्यों में से जो कार्य आपकी संस्था समान रूप से करती हो उस कार्य का क्रमांक लिखिए—	
	४	जाति पांत के झगड़ों को सुलझाने के कार्यक्रम।												(द)	इन कार्यों में से ग्रामवासी जिस कार्य में सबसे अधिक रुचि लेते हों उस कार्य का क्रमांक लिखिए—	
	५	ग्राम वासियों को लड़के और लड़की का समान महत्व समझाने हेतु कार्यक्रम।												(य)	आपकी संस्था में कितनी लड़कियाँ पढ़ने आती हैं।	
														(फ)	स्वयं सेवक दल वर्ष में कितने अवसरों पर सेवाकार्य करता है ?	
	६	स्वयं सेवक दल के कार्यक्रम।												(क)	स्वयं सेवक दल में कितने ग्रामीण हैं ?	
कार्यक्रम		[दो तरीकों से आर्थिक विकास सम्भव है—एक तो पैसे का अपव्यय रोकना जिसमें नीचे १ से ४ तक के कार्यक्रम आते हैं तथा दूसरा तरीका आय में वृद्धि करने का है जिसमें नीचे ५ से ९ तक के कार्यक्रम आते हैं।]												(अ)	इन कार्यों में से आपकी संस्था जो कार्य सबसे अधिक करती हो उस कार्य का क्रमांक लिखिए—	
														(ब)	इन कार्यों में से जो कार्य आपकी संस्था सबसे कम करती हो उस कार्य का क्रमांक लिखिए—	
	१	गाँव के लड़ाई झगड़ों को गाँव में ही मिलकर सुलझाने, सम्बन्धी कार्यक्रम।												(स)	इन कार्यों में से जो कार्य आपकी संस्था समान रूप से करती हो उस कार्य का क्रमाङ्क लिखिए—	
	२	अन्ध विश्वास के कारण होने वाली														

साक्षात्कार का परिपत्र

१- ग्राम का पता-

२- व्यक्ति का नाम-

३- कार्य करने वाली संस्था
का नाम व पता-

४- कितने वर्षों से ग्राम पुनर्निर्माण का कार्य उनके गांव में चल रहा
है ?

५- प्रति वर्ष कार्य क्रम की अवधि कितनी रहती है ?

६- सम्पादित कार्य क्रमों का विवरण : प्रश्नावली के आधार पर :
:अ: स्वास्थ्य तथा हाईजीन के कौन कौन से कार्य क्रम होते हैं ?

:ब: सांस्कृतिक उत्थान के कौन कौन से कार्य क्रम होते हैं ?

:स: प्रौढ़ शिक्षा के कौन कौन से कार्य क्रम होते हैं ?

:द: सामाजिक उत्थान के कौन कौन से कार्य क्रम होते हैं ?

:य: आर्थिक विकास के सम्पादित कार्य क्रम क्या क्या हैं ?

:फ: कौन कौन से निर्माण के कार्य हुये हैं ?

७- किस कार्य में ग्रामवासी अधिक रुचि लेते हैं ?

८- कौन कौन से कार्य उनको पसन्द नहीं हैं ?

९- अन्य विवरण :-

परिशिष्ट -७

सर्वेक्षित पाठशालाओं की तालिका

:१:	बुनियादी पाठशाला		वमाडांग	जिला	टीकमगढ़
:२:	,,	,,	मजना	,,	,,
:३:	,,	,,	जेरोन	,,	,,
:४:	,,	,,	अतर्रा	,,	,,
:५:	,,	,,	लिधौरा ताल	,,	,,
:६:	,,	,,	निवाड़ी	,,	,,
:७:	,,	,,	जमड़ार	,,	,,
:८:	,,	,,	खिरिया	,,	,,
:९:	,,	,,	मवई	,,	,,
:१०:	माडल वेसिक स्कूल टीकमगढ़			,,	,,
:११:	,, ,,	,,	छतर पुर	,,	छतर पुर
:१२:	बुनियादी पाठशाला		विजावर	,,	,,
:१३:	,,	,,	महराज पुर	,,	,,
:१४:	,,	,,	पठा	,,	,,
:१५:	,,	,,	राम टौरिया	,,	,,
:१६:	,,	,,	नौगांव	,,	,,
:१७:	,,	,,	इटवां	,,	पन्ना
:१८:	,,	,,	गंज	,,	,,
:१९:	,,	,,	वरहना	,,	सतना
:२०:	,,	,,	सज्जन पुर	,,	,,
:२१:	,,	,,	जैत वारा	,,	,,
:२२:	,,	,,	रेगांव	,,	,,

सर्वेक्षित बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाओं की तालिका

:१: रामानुज बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय रीवा

:२: राजकीय बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय राजगढ़ :छतर पुर:

:३: ,, ,, ,, ,, छतर पुर

:४: ,, ,, ,, ,, निवाड़ी :टीकमगढ़:

:५: राजकीय बुनियादी प्रशिक्षण महाविद्यालय कुण्डेश्वर

परिशिष्ट - ८

: उन व्यक्तियों के नाम जिनसे साक्षात्कार प्राप्त किया गया :

:१: श्री अमर नाथ कौल अदालती प्राचार्य राजकीय बुनियादी प्रशिक्षा-
महाविद्यालय कुंडेश्वर

:२: श्री आर० पी० सिंह प्राचार्य राजकीय बुनियादी प्रशिक्षण
महाविद्यालय रीवा

:३: श्री चन्द्र देव सिंह, प्रधानाध्यापक राजकीय बुनियादी प्रशिक्षण
विद्यालय छतर पुर

:४: श्री शिव नाथ निगम ,, ,, ,, ,, राजगढ़

:५: श्री विष्णु कुमार तैलंग ,, ,, ,, ,, निवाड़ी

:६: श्री सूर्य प्रसाद श्री वास्तव प्राध्यापक राजकीय बु०प्र० महा-
विद्यालय कुण्डेश्वर

:७: श्री योध राज सिंह ,, ,, रामानुज ,, ,, रीवा

:८: श्री अवध विहारी लाल श्रीवास्तव जिला विद्यालय निरीक्षक
जिला टीकमगढ़

:९: श्री गोविन्द सिंह उप जिला विद्यालय निरीक्षक पन्ना

:१०: श्री व्रजेन्द्र सिंह जिला विद्यालय निरीक्षक रीवा

:११: श्री कन्हैया लाल खरे उपजिला विद्यालय निरीक्षक छतरपुर

:१२: श्री चतुर्भुज पाठक सामाजिक कार्य कर्ता छतर पुर

:१३: श्री द्वारका सिंह जी संचालक रूरल इन्स्टीच्यूट दरभंगा

:१४: श्री काशी नाथ त्रिवेदी संचालक, ग्राम भारतीय टवलाई, धार

:१५: श्री मिस मारजुरी साइक्स

:१६: श्री चतुरा चमार ग्राम मिनौरा जिला टीकमगढ़

:१७: श्री बुन्दू लाल पस्तौर ग्राम गणेश गंज ,,

:१८: श्री केशरी सिंह जी रैगांव जिला सतना

:१९: श्री हीरा लाल ,, ,, ,, ,,

:२०: श्री राम रसेन्द्र सिंह बारहना ,, ,,

:२१: श्री राम नन्दन सिंह ,, ,, ,,

:२२: श्री राम चन्द्र वाजपेई जैतवारा ,,

:२३: श्री सुरेन्द्र सिंह ग्राम जैतवारा जिला सतना

:२४: श्री राम लखन तिवारी ग्राम इटवां पन्ना

:२५: श्री दुर्गा प्रसाद ,, ,, पन्ना

:२६: श्री लाल नरेन्द्र बहादुर सिंह सज्जन पुर जिला सतना

:२७: श्री चिन्ता मणि शर्मा ,, ,, ,,

:२८: श्री राम चरण सोनी बिजावर छतर पुर

:२९: श्री राजा राम कठेल ,, ,,

:३०: श्री मदन गोपाल महराज पुर ,,

:३१: श्री नर्बदा प्रसाद पटैरिया ,, ,,

:३२: श्री वंशीधर पाठक ग्राम पठा ,,

:३३: श्री मुहम्मद रवखाँ राम टौरिया छतर पुर

:३४: श्री लक्खा राम शर्मा नौ गांव ,,

:३५: श्री स्वामी प्रसाद खैरा नौगांव ,,

:३६: श्री राम चरण सिंह ,, ,, ,,

:३७: श्री टिमरैया जी वर्मा डांग टीकमगढ़

:३८: श्री भगवान दास सेठ मजना ,,

:३९: श्री धर्णीधर रावत जैरोन ,, ,,

:४०: श्री इन्द्रानी चुन्नै लिधौरा ताल ,,

:४१: श्री बारी करा अतर्रा ,, ,,

:४२: श्री आसा राम बनमाली निवाड़ी ,, ,,

:४३: श्री परमा नन्द नीखरा ,, ,, ,,

:४४: श्री जगन्नाथ दीक्षित जमड़ार ,, ,,

:४५: श्री पर्वत सिंह खिरिया ,, ,,

:४६: श्री नाथू राम बजाज मबई ,, ,,

:४७: श्री सुन्दर लाल डांग ,, पन्ना

परिशिष्ट - ६

-:०:-

" ग्रन्थानुक्रमणिका "

१- अंडर स्टेंडिंग बेसिक एजूकेशन

लेखक - श्री अविनाश लिंगम ।

२- विलेज अप लिफ्ट इन इन्डिया

लेखक - श्री यफ० एल० ब्रेन ।

३- रिसर्च एण्ड एक्सपेरीमेन्टस इन रूरल एजूकेशन

लेखक - श्री जे० पी० नायक ।

४- प्रोबलम आफ एजूकेशनल रीकन्स्ट्रक्शन इन इन्डिया

लेखक - श्री के० जी० सैयदन ।

५- मैथडालोजी आफ एजूकेशनल रिसर्च

लेखक - श्री कार्टर वी० गुड० ।

६- गांव आन्दोलन क्यों ?

लेखक - श्री जे० सी० कुमारप्पा ।

७- हमारे गांव का पुनर्निर्माण

लेखक - श्री महात्मा गांधी ।

८- समग्र ग्राम रचना की ओर : तीन खण्ड :

लेखक - श्री धीरेन्द्र मजूमदार ।

९- ग्राम सुधार की एक योजना : सर्वोदय प्रकाशन :

१०- आर्गनाइजिंग ए बेसिक स्कूल

लेखक - श्री के० एल० श्री माली ।

११- डेमोक्रेसी इन एजूकेशन

लेखक - श्री जॉन ० डीवी

१२- शिक्षण विचार

लेखक - श्री विनोवा जी ।

१३- जीवन और शिक्षण

लेखक - श्री विनोवा जी ।

१४- रिकन्सट्रक्सन एण्ड एजूकेशन इन रूरल इण्डिया

लेखक - श्री प्रेम चन्द्र लाल पी० एच० डी० ।

१५- सोसल सर्विस इन इण्डिया

सम्पादक - श्री सर एडवर्ड ब्लन्ट ।

१६- रचनात्मक कार्यक्रम

लेखक - श्री महात्मा गांधी ।

१७- ग्राम सेवा

लेखक - श्री महात्मा गांधी ।

१८- किसानों की दशा का सुधार

लेखक - श्री महात्मा गांधी ।

१६- विन्ध्य प्रदेश एट ए ग्लांस

प्रकाशक - सूचना तथा प्रसार विभाग वि०प्र०१६५५

२०- मध्य प्रदेश में शिक्षा की प्रगति

प्रकाशक - संचालनालय लोक शिक्षण मध्य प्रदेश

२१- समालोचना :गुजराती : अक्टूबर १६१६

२२- नव जीवन के अंकों में विषय सम्बन्धी गांधी जी के लेख

२३- सातवें अखिल भारतीय बुनियादी शिक्षा सम्मेलन का विवरण

प्रकाशक - हिन्दुस्तानी तालीमी संघ सेवा ग्राम

२४- बुनियादी तालीम के दो साल

प्रकाशक - हिन्दुस्तानी तालीमी संघ सेवा ग्राम

२५- यूनीवर्सिटी कमीशन रिपोर्ट

२६- हरिजन सेवक के अंकों में से विषय सम्बन्धी गांधी जी के लेख ।

-:00000:-